

इनपुट टैक्स




इस अध्याय में संदर्भित भाग संख्या सीजीएसटी अधिनियम से संबंधित हैं और संदर्भित नियम संख्या सीजीएसटी नियम से संबंधित हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। संक्षिप्तता के लिए, इस अध्याय में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में संदर्भित किया गया है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरण/चित्रण/प्रश्न और उत्तर 30.04.2025 के समय लागू जीएसटी कानून की स्थिति पर आधारित हैं।

अधिगम परिणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात्, आप सक्षम होंगे:

- इनपुट, इनपुट सेवाएँ, पूंजीगत वस्तुएँ और अन्य प्रासंगिक शब्दों का वर्णन करना, जो आईटीसी से संबंधित हैं।
- सामान्य और विशेष परिस्थितियों में वस्तुओं और सेवाओं पर आईटीसी लेने की विभिन्न शर्तें, समय सीमाएँ, प्रतिबंध और प्रक्रियाएँ समझना।
- उन वस्तुओं और सेवाओं की पहचान करना, जिन पर आईटीसी उपलब्ध है, तथा उन अवरोधित वस्तुओं की पहचान करना, जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है।
- उपरोक्त प्रावधानों और आईटीसी के उपयोग से पंजीकृत व्यक्ति की जीएसटी देनदारी की गणना से संबंधित प्रावधानों को समझना और लागू करना।

अध्याय अवलोकन



1. परिचय

पूर्व अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में, संघ सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) के लिए क्रेडिट तंत्र सेनवाट क्रेडिट नियम, 2004 के अधीन संचालित होता था; और वस्तुओं की बिक्री पर राज्य स्तर के कर के लिए

क्रेडिट तंत्र राज्यों द्वारा उनके संबंधित वाट कानूनों के तहत संचालित होता था। वाट

TAX CREDITS

विधान राज्य के भीतर लेनदेन में इन्पुट और पूंजीगत वस्तुओं पर

आईटीसी की अनुमति देता था, लेकिन राज्य के बाहर से आने वाली इन्पुट और पूंजीगत वस्तुओं पर, जिस पर केन्द्रीय बिक्री कर लगाया गया था, उस पर अनुमति नहीं थी। सेनवाट क्रेडिट नियम, 2004 निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को पूरे देश में वस्तुएँ (पूंजीगत वस्तुएँ और इन्पुट) और सेवाओं पर भुगतान किए गए कर/शुल्क का क्रेडिट लेने और उसका उपयोग करने की अनुमति देते थे।

वस्तुओं और सेवाओं पर क्रेडिट को वर्ष 2004 में सेनवाट क्रेडिट नियम, 2004 के माध्यम से एकीकृत किया गया, ताकि संघीय करों जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के कास्केडिंग प्रभाव को कम किया जा सके। हालाँकि, राज्य स्तर के वाट के कारण क्रेडिट श्रृंखला टूट-फूट वाली रही क्योंकि केन्द्रीय करों का क्रेडिट राज्य कर के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता था और इसी प्रकार राज्य कर का क्रेडिट भी केन्द्रीय कर के खिलाफ उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस श्रृंखला में और विकृति तब हुई जब अंतर-राज्यीय खरीद पर आईटीसी उपलब्ध नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप करों का कास्केडिंग हुआ और वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत बढ़ गई।

जीएसटी व्यवस्था पूरे आपूर्ति श्रृंखला में वस्तुओं और सेवाओं पर निर्बाध क्रेडिट प्रदान करने का वादा करती है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे कि संघटन योजना के तहत कर लगाई गई आपूर्ति, अवरुद्ध क्रेडिट, और छूट प्राप्त वस्तुएँ और/या सेवाएँ। आईटीसी को जीएसटी व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। वास्तव में, यह आईटीसी के प्रावधान हैं, जो जीएसटी को मूलतः एक मूल्य संवर्धित कर बनाते हैं, अर्थात् आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक बिंदु पर कर संग्रह करना, पूर्व में भुगतान किए गए कर का क्रेडिट देने के बाद।

सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय V [भाग 16 से 21] और सीजीएसटी नियम के अध्याय V: इनपुट टैक्स क्रेडिट [नियम 36-45] आईटीसी से संबंधित प्रावधानों का निर्धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त, भाग 41 में आईटीसी के अवलेमेंट के प्रावधान हैं, भाग 49(5), 49ए, 49बी और नियम 88ए मिलकर आईटीसी के उपयोग क्रम का निर्धारण करते हैं और नियम 86ए एवं 86बी में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि के उपयोग की शर्तें और सीमाएँ बताई गई हैं। राज्य जीएसटी कानून भी आईटीसी से संबंधित समान प्रावधान निर्धारित करते हैं।

इस अध्याय में, भाग 16, 17, 18 और 41 के प्रावधानों पर चर्चा¹ की गई है; सबसे पहले इन भाग के वैधानिक प्रावधानों के साथ संबंधित नियम प्रस्तुत किए गए हैं, उसके बाद उनका विश्लेषण किया गया है।

सीजीएसटी अधिनियम के तहत आईटीसी के प्रावधानों को आईजीएसटी अधिनियम पर भी लागू किया गया है, आईजीएसटी अधिनियम के भाग 20 के माध्यम से।

¹आईटीसी से संबंधित जॉब वर्क और इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) के प्रावधानों (भाग 19, 20 और 21) तथा बैंकिंग कंपनियों द्वारा आईटीसी का दावा, आईएसडी द्वारा आईटीसी का वितरण, इनपुट, इनपुट सेवाएँ और पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी का निर्धारण और इसके पूर्ववत करने के प्रावधान (नियम 38, 39, 42 और 43) अंतिम स्तर पर चर्चा के लिए रखे गए हैं।

आईटीसी योजना - संक्षिप्त अवलोकन

नीचे भाग 16, 17 और 18 के प्रावधानों के साथ संबंधित नियमों के अनुसार आईटीसी योजना की प्रमुख विशेषताएँ दी गई हैं। इस योजना पर इस अध्याय के अगले पृष्ठों में विस्तृत चर्चा की गई है।

- ❑ यह योजना करों के कास्केडिंग प्रभाव को रोकने और जीएसटी को गंतव्य आधारित कर बनाने के लिए तैयार की गई है।
- ❑ सामान्यतः, आईटीसी सभी इनपुट, इनपुट सेवाएँ और पूंजीगत वस्तुओं पर उपलब्ध है, जो करदाता व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती हैं। अपवाद है अवरुद्ध क्रेडिट, जिसमें व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग होने पर भी आईटीसी उपलब्ध नहीं है।
- ❑ आईटीसी का उपयोग करों के कास्केडिंग प्रभाव को रोकने के लिए कर योग्य आउटपुट आपूर्ति पर कर का भुगतान करने के लिए किया जाता है।
- ❑ जीएसटी कानून में इनपुट/इनपुट सेवाओं और अंतिम उत्पाद/सेवाओं के बीच 'एक-से-एक' संबंध की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पात्र आईटीसी किसी भी कर योग्य आउटपुट आपूर्ति पर कर के भुगतान में उपयोग की जा सकती है।
- ❑ आईजीएसटी जीएसटी का एक और मुख्य पहलू है। यह एक अंतरिम कर है, जो वस्तुओं या सेवाओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण के समय आईटीसी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। यह भारतीय जीएसटी की एक विशिष्ट विशेषता है।
- ❑ चूँकि आईटीसी का उपयोग कर योग्य आउटपुट आपूर्ति पर कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है, इसलिए आईटीसी छूट प्राप्त आउटपुट आपूर्ति पर उपलब्ध नहीं है, जिस पर कर देय नहीं होता।
- ❑ उपरोक्त सिद्धांत का अपवाद है 'शून्य-रेट आपूर्ति'², अर्थात् निर्यात या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) डेवलपर/यूनिट को आपूर्ति, जहां आउटपुट आपूर्ति पर कर देय न होने पर भी आईटीसी उपलब्ध है क्योंकि शून्य-रेट आपूर्ति छूट प्राप्त आपूर्ति नहीं है। इस तरह की आईटीसी का उपयोग या तो कर का भुगतान करके आपूर्ति करने के लिए किया जा सकता है या अव्यवहृत आईटीसी की रिफंड प्राप्त की जा सकती है। यह सरल तंत्र निर्यात और एसईजेड को पूरी तरह कर-मुक्त बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- ❑ यदि कोई करदाता व्यक्ति कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों कर रहा है, तो वह कर योग्य आपूर्ति के लिए विशेष रूप से उपयोग की गई इनपुट, इनपुट सेवाएँ और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में पूरी आईटीसी लेने का अधिकारी है और छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए विशेष रूप से उपयोग की गई वस्तुओं, सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में कोई आईटीसी नहीं ले सकता।

² शून्य-रेट आपूर्ति और आईटीसी की प्रतिपूर्ति की संकल्पना अंतिम स्तर पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी।

- यदि सामान्य इनपुट, इनपुट सेवाएँ और पूंजीगत वस्तुएँ कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों के लिए उपयोग की जाती हैं, तो केवल कर योग्य आपूर्ति के लिए अनुपातिक आईटीसी ही उपलब्ध है। सामान्य आईटीसी को कर योग्य आपूर्ति और छूट प्राप्त आपूर्ति के मूल्य के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अनुपातिक आईटीसी की गणना के तरीके को निर्धारित करने के लिए जीएसटी कानून में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

भाग 16, 17, 18, 41 और संबंधित नियमों के प्रावधानों को समझने से पहले, आइए सबसे पहले कुछ प्रासंगिक परिभाषाएँ देखें।



2. प्रासंगिक परिभाषाएँ

- **एजेंट** का अर्थ है वह व्यक्ति, जिसमें फैक्टर, दलाल, कमीशन एजेंट, अर्हाटिया, डेल क्रेडरे एजेंट, नीलामीकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक एजेंट, किसी भी नाम से कहा जाए, जो दूसरे की ओर से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या प्राप्ति का व्यवसाय संचालित करता है [भाग 2(5)]।
- **व्यवसाय** में शामिल हैं
 - (क) कोई भी व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, पेशा, व्यवसाय, साहसिक कार्य, शर्त या कोई अन्य समान गतिविधि, चाहे वह मौद्रिक लाभ के लिए हो या न हो;
 - (ख) कोई भी गतिविधि या लेन-देन जो उप-खंड (क) से संबंधित, सहायक या अनुषंगिक हो;
 - (ग) उप-खंड (क) के प्रकार की कोई भी गतिविधि या लेन-देन, चाहे ऐसी लेन-देन की मात्रा, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो.
 - (घ) व्यवसाय की शुरुआत या समापन के संबंध में वस्तुओं सहित पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति या अधिग्रहण.
 - (ङ) किसी क्लब, संघ, सोसाइटी या किसी अन्य ऐसे निकाय द्वारा अपने सदस्यों को सुविधाएँ या लाभ प्रदान करना (सदस्यता शुल्क या किसी अन्य प्रतिपूर्ति के बदले);
 - (च) किसी स्थान में व्यक्तियों का प्रवेश, प्रतिपूर्ति के बदले.
 - (छ) कोई भी व्यक्ति द्वारा उस पद के धारक के रूप में प्रदान की गई सेवाएँ, जिसे उसने अपने व्यापार, पेशा या व्यवसाय के दौरान या उसके विकास के लिए स्वीकार किया हो।

(ज) किसी रेस क्लब की गतिविधियाँ, जिसमें टोटलाइज़र के माध्यम से या बुकमेकर को लाइसेंस देने की गतिविधियाँ, या ऐसे क्लब में किसी लाइसेंस प्राप्त बुकमेकर की गतिविधियाँ शामिल हैं; और

(झ) कोई भी गतिविधि या लेन-देन जिसे संघ सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में संलग्न होते हैं [भाग 2(17)]।

- ❑ **पूँजीगत वस्तुएँ** का अर्थ है ऐसी वस्तुएँ, जिनका मूल्य उस व्यक्ति की खाते की पुस्तकों में पूँजीकृत किया गया हो, जो आईटीसी का दावा कर रहा है और जो व्यवसाय के संचालन या उसके विकास के दौरान उपयोग की गई हों या उपयोग के लिए निर्धारित हों [भाग 2(19)]।
- ❑ **परिवहन** में जहाज, विमान और वाहन शामिल हैं [भाग 2(34)]।
- ❑ **छूट प्राप्त आपूर्ति** का अर्थ है ऐसी किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति, जिस पर कर की दर शून्य हो या जिसे खंड 11 के तहत या आईजीएसटी अधिनियम के खंड 6 के तहत पूरी तरह से कर-मुक्त किया गया हो, और इसमें अकर योग्य आपूर्ति भी शामिल है [भाग 2(47)]।
- ❑ **इनपुट** का अर्थ है कोई भी ऐसी वस्तु, जो पूँजीगत वस्तु नहीं है, और जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय के संचालन या उसके विकास के दौरान उपयोग किया गया हो या उपयोग के लिए निर्धारित किया गया हो [भाग 2(59)]।
- ❑ **इनपुट सेवा** का अर्थ है कोई भी सेवा, जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यवसाय के संचालन या उसके विकास के दौरान उपयोग किया गया हो या उपयोग के लिए निर्धारित किया गया हो [भाग 2(60)]।
- ❑ पंजीकृत व्यक्ति के संदर्भ में **इनपुट कर** का अर्थ है किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर उस पर लगाया गया केंद्रीय कर, राज्य कर, समेकित कर या संघ शासित प्रदेश कर, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—
 - (क) वस्तुओं के आयात पर लगने वाला समेकित वस्तु एवं सेवा कर.
 - (ख) भाग 9 की उप- भाग (3) और (4) की भागों के तहत देय कर.
 - (ग) आईजीएसटी अधिनियम की भाग 5 की उप- भाग (3) और (4) की भागों के तहत देय कर.
 - (घ) संबंधित राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की भाग 9 की उप- भाग (3) और (4) की भागों के तहत देय कर; या
 - (ङ) संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की भाग 7 की उप- भाग (3) और (4) की भागों के तहत देय कर।
 किन्तु इसमें संघटन कराधान के तहत भुगतान किया गया कर शामिल नहीं है [भाग 2(62)]।
- ❑ **इनपुट टैक्स क्रेडिट** का अर्थ है इनपुट कर का क्रेडिट [भाग 2(63)]।

- ❑ **चालान या कर चालान** का अर्थ है वह कर चालान, जिसका उल्लेख खंड 31 में किया गया है [भाग 2(66)]।
- ❑ किसी व्यक्ति के संदर्भ में **आंतरिक आपूर्ति** का अर्थ है किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की प्राप्ति, चाहे वह खरीद, अधिग्रहण या किसी अन्य माध्यम से हो, प्रतिपूर्ति के साथ या बिना प्रतिपूर्ति के [भाग 2(67)]।
- ❑ **मोटर वाहन** का अर्थ वही होगा जो मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 के खंड 2 की खंड (28) में निर्दिष्ट किया गया है [भाग 2(76)]।


मोटर वाहन या मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 के अंतर्गत वाहन का अर्थ है कोई भी यांत्रिक रूप से संचालित वाहन, जिसे सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया हो, चाहे प्रेरक शक्ति उसे बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्राप्त हो, और इसमें वह चेसिस भी शामिल है, जिस पर बॉडी नहीं लगी हो, तथा ट्रेलर; किन्तु इसमें वह वाहन शामिल नहीं है जो स्थिर रेलों पर चलता हो, या ऐसा वाहन जो विशेष प्रकार का हो और केवल कारखाने या किसी अन्य बंद परिसर में उपयोग के लिए अनुकूलित हो, या ऐसा वाहन जिसमें चार से कम पहिए हों और इंजन क्षमता 25 घन सेंटीमीटर से अधिक न हो। [मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 के भाग 2(28)]

- ❑ **गैर-निवासी करदाता व्यक्ति** का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जो कभी-कभी ऐसी लेन-देन करता है जिसमें वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति शामिल हो, चाहे वह प्रधान या एजेंट के रूप में हो या किसी अन्य क्षमता में हो, किन्तु जिसका भारत में स्थायी व्यवसाय स्थान या निवास न हो [भाग 2(77)]।
- ❑ **प्रधान** का अर्थ है वह व्यक्ति, जिसकी ओर से कोई एजेंट वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति या प्राप्ति का व्यवसाय संचालित करता है [भाग 2(88)]।
- ❑ **त्रैमासिक** का अर्थ है वह अवधि जिसमें लगातार तीन कैलेंडर माह शामिल हों, और जो किसी कैलेंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन पर समाप्त होती हो [भाग 2(92)]।
- ❑ वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति का **प्राप्तकर्ता** का अर्थ है—
 - (क) यदि किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के लिए प्रतिपूर्ति देय है, तो वह व्यक्ति जो उस प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;
 - (ख) यदि किसी वस्तु की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं है, तो वह व्यक्ति जिसे वस्तु वितरित की गई हो या उपलब्ध कराई गई हो, या जिसे वस्तु का स्वामित्व या उपयोग प्रदान किया गया हो या उपलब्ध कराया गया हो; और
 - (ग) यदि किसी सेवा की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं है, तो वह व्यक्ति जिसे सेवा प्रदान की गई हो।

और किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, जिसे आपूर्ति की गई है, उसे आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के संदर्भ में माना जाएगा और इसमें वह एजेंट भी शामिल होगा, जो प्राप्तकर्ता की ओर से वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कार्य कर रहा हो [भाग 2(93)]।

- **पंजीकृत व्यक्ति** का अर्थ है वह व्यक्ति जो सीजीएसटी अधिनियम की खंड 25 के तहत पंजीकृत हो, किन्तु इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है, जिसके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर हो [भाग 2(94)]।
- किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों के संदर्भ में, **आपूर्तिकर्ता** का अर्थ है वह व्यक्ति जो उक्त वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति करता है और इसमें वह एजेंट भी शामिल होगा, जो ऐसे आपूर्तिकर्ता की ओर से वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कार्य कर रहा हो: बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो निर्दिष्ट क्रियाशील दावे की आपूर्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयोजित या व्यवस्थित करता है, जिसमें वह व्यक्ति शामिल है जो ऐसी आपूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का स्वामी, संचालक या प्रबंधक हो, उसे ऐसे क्रियाशील दावों का आपूर्तिकर्ता माना जाएगा, चाहे ऐसे क्रियाशील दावे उसके द्वारा स्वयं प्रदान किए गए हों या उसके माध्यम से, और चाहे ऐसे क्रियाशील दावों के लिए मुद्रा या मुद्रा के समतुल्य मूल्य, जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी शामिल हैं, का भुगतान या हस्तांतरण उसके द्वारा या उसके माध्यम से किया गया हो या किसी भी प्रकार से उसके उपयोग में रखा गया हो। और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे निर्दिष्ट क्रियाशील दावों के आपूर्तिकर्ता पर लागू होंगे, जैसे कि वह आपूर्तिकर्ता हो जिसे ऐसे क्रियाशील दावों की आपूर्ति के संबंध में कर भुगतान करने की जिम्मेदारी हो [भाग 2(105)]।
- **कर योग्य आपूर्ति** का अर्थ है ऐसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति, जिस पर सीजीएसटी अधिनियम के तहत कर लागू हो [भाग 2(108)]।
- **वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट** का अर्थ है कोई ऐसा संविदा जो किसी अचल संपत्ति के निर्माण, निर्माण कार्य, निर्माणाधीन वस्तु का निर्माण, पूर्णता, स्थापना, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, सुधार, संशोधन, मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण, परिवर्तन या कमीशनिंग के लिए किया गया हो, जिसमें उक्त संविदा को पूरा करने के दौरान वस्तुओं का संपत्ति में हस्तांतरण (चाहे वस्तुएँ वस्तु के रूप में हों या किसी अन्य रूप में) शामिल हो [भाग 2(119)]।
- **शून्य-रेट आपूर्ति** का अर्थ है निम्नलिखित में से किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति, अर्थात्—
 - (क) वस्तु या सेवा या दोनों का निर्यात; या
 - (ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर या विशेष आर्थिक क्षेत्र यूनिट को अधिकृत संचालन के लिए वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति [आईजीएसटी अधिनियम की भाग 16(1)]।

 3. इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की पात्रता और शर्तें [भाग 16]

 कानूनी प्रावधान		
भाग 16	इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की पात्रता और शर्तें	
उप- भाग	खंड	विवरण
(1)		प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, उन शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जो लागू किए जा सकते हैं और भाग 49 में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार, उस पर किए गए किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का अधिकार रखेगा, जो उसके व्यवसाय के संचालन या संवर्द्धन में उपयोग किए गए हों या उपयोग किए जाने का उद्देश्य हो, और उक्त राशि उस व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट की जाएगी।
(2)		इस भाग में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं रखेगा, जब तक कि
	(क)	उसके पास ऐसे कर चालान या डेबिट नोट होने चाहिए, जो इस अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए हों, या अन्य ऐसे कर भुगतान दस्तावेज जो लागू किए जा सकते हैं;
	(कक)	उक्त खंड (क) में संदर्भित चालान या डेबिट नोट का विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा आउटवर्ड सप्लाइज के विवरण पत्र में प्रदान किया गया हो और उक्त विवरण को ऐसे चालान या डेबिट नोट के प्राप्तकर्ता को भाग 37 में निर्दिष्ट तरीके से सूचित किया गया हो;
	(ख)	उसने उक्त वस्तु या सेवा या दोनों प्राप्त कर ली हो। व्याख्या—इस खंड के प्रयोजन के लिए, यह माना जाएगा कि पंजीकृत व्यक्ति ने वस्तु या, परिस्थितियों के अनुसार, सेवा प्राप्त कर ली है—
	(i)	जहाँ वस्तुएँ आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देशानुसार,

		वितरित की जाती हैं, चाहे वह व्यक्ति एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या अन्यथा वस्तुओं की गतिविधि से पहले या दौरान, चाहे वह वस्तुओं के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से हो या अन्य किसी रूप में,
	(ii)	जहाँ सेवाएँ आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश और खाते के अनुसार प्रदान की जाती हैं।
(खक)		उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को भाग 38 के तहत सूचित किया गया है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है;
(ग)		भाग 41 के प्रावधानों के अधीन, ऐसी आपूर्ति के संबंध में लगाया गया कर वास्तव में सरकार को भुगतान किया गया हो, चाहे वह नकद के माध्यम से हो या उक्त आपूर्ति के संबंध में पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग द्वारा; और
(घ)		उसने भाग 39 के तहत रिटर्न प्रस्तुत किया हो:
		यदि किसी चालान के तहत वस्तुएँ लॉट्स या किस्तों में प्राप्त की जाती हैं, तो पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने का अधिकार उस अंतिम लॉट या किस्त के प्राप्त होने पर होगा:
		यदि किसी प्राप्तकर्ता द्वारा, ऐसे वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति (उन आपूर्ति को छोड़कर जिन पर रिवर्स चार्ज आधार पर कर देय है) के मूल्य के साथ कर के भुगतान में चालान जारी होने की तारीख से सौ अठारह (180) दिनों के भीतर भुगतान विफल रहता है, तो प्राप्तकर्ता द्वारा लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके बराबर राशि को, भाग 50 के तहत देय ब्याज के साथ, ऐसे तरीके से भुगतान किया जाएगा जैसा कि लागू किया जा सकता है:
		साथ ही यह प्रावधान भी है कि प्राप्तकर्ता उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने का अधिकार रखेगा जो उसने आपूर्तिकर्ता को वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के मूल्य के साथ देय कर का भुगतान करने पर किया है।
(3)		यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने पूंजीगत वस्तुओं और यंत्र एवं मशीनरी की लागत के कर घटक पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत अवमूल्यन का दावा किया है, तो उक्त कर घटक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4)	<p>किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के लिए जारी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं होगा, यदि यह वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद आने वाले 30 नवम्बर के दिन तक या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने तक, जो भी पहले हो, प्राप्त किया गया हो।</p>	
(6)	<p>यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति का पंजीकरण भाग 29 के तहत रद्द कर दिया जाता है और बाद में किसी भी आदेश के तहत, चाहे वह भाग 30 के अंतर्गत हो या अपील प्राधिकारी, अपील ट्रिब्यूनल या अदालत द्वारा जारी किसी आदेश के अनुसार, पंजीकरण रद्द करने का आदेश वापस ले लिया जाता है और जहाँ उप-भाग (4) के तहत किसी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, तो उक्त व्यक्ति को ऐसे चालान या डेबिट नोट के संबंध में वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के लिए भाग 39 के तहत रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकार होगा—</p>	
	(i)	<p>उक्त चालान या डेबिट नोट से संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद आने वाले 30 नवम्बर तक या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने तक, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया गया हो, या</p>
	(ii)	<p>जहाँ ऐसा रिटर्न पंजीकरण रद्द करने की तारीख या पंजीकरण रद्द करने की प्रभावी तारीख, जो भी लागू हो, से लेकर पंजीकरण रद्द करने के आदेश को रद्द करने की तारीख तक की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है और यह रिटर्न पंजीकरण रद्द करने के आदेश को रद्द करने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाता है,</p>
<p>जो भी बाद में हो।</p>		
<p>भाग 41 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ</p>		
(1)	<p>प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, लागू किए जाने वाले ऐसे शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, अपने रिटर्न में पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्व-मूल्यांकन करते हुए लाभ लेने का अधिकार रखेगा और उक्त राशि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दी जाएगी।</p>	
(2)	<p>किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उप-भाग (1) के तहत लिए गए ऐसे वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिस पर कर आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, उक्त व्यक्ति द्वारा लागू ब्याज के</p>	

	साथ, ऐसे तरीके से रद्द किया जाएगा जैसा कि लागू किया जा सकता है। साथ ही यह प्रावधान है कि यदि उक्त आपूर्तिकर्ता उपरोक्त आपूर्ति के संबंध में देय कर का भुगतान करता है, तो उक्त पंजीकृत व्यक्ति उस रद्द किए गए क्रेडिट की राशि को पुनः लाभ लेने का अधिकार रखेगा, ऐसे तरीके से जैसा कि लागू किया जा सकता है।
अध्याय V: सीजीएसटी नियमों के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट	
नियम 36	इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए दस्तावेज़ संबंधी आवश्यकताएँ और शर्तें
(1)	इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी पंजीकृत व्यक्ति, जिसमें इनपुट सेवा वितरक भी शामिल है, द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज़ के आधार पर लिया जाएगा, अर्थात्:-
(क)	वस्तु या सेवा या दोनों के आपूर्तिकर्ता द्वारा भाग 31 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया चालान,
(ख)	भाग 31 की उप-भाग (3) की खंड (एफ) के प्रावधानों के अनुसार, कर के भुगतान के अधीन जारी किया गया चालान,
(ग)	आपूर्तिकर्ता द्वारा भाग 34 के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया एक डेबिट नोट,
(घ)	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन, आयात पर समेकित कर के निर्धारण के लिए विनिर्दिष्ट कोई प्रवेश बिल या कोई समान दस्तावेज़,
(ङ)	इनपुट सेवा वितरक चालान या इनपुट सेवा वितरक ऋण-पत्र या नियम 54 के उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा वितरक द्वारा जारी किया गया कोई दस्तावेज़।
(2)	पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर ऋण का लाभ केवल तभी लिया जा सकेगा जब अध्याय VI के उपबंधों में विनिर्दिष्ट सभी लागू विवरण उक्त दस्तावेज़ में सम्मिलित हों।
	बशर्ते कि यदि उक्त दस्तावेज़ में सभी निर्दिष्ट विवरण शामिल नहीं हैं, लेकिन इसमें कर लगाए गए राशि का विवरण, माल या सेवा का वर्णन, माल या सेवा की

	<p>आपूर्ति का कुल मूल्य या दोनों, आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन और अंतर-राज्य आपूर्ति के मामले में आपूर्ति का स्थान शामिल हो, तो ऐसा पंजीकृत व्यक्ति इनपुट कर ऋण का लाभ प्राप्त कर सकता है।</p>
(3)	<p>किसी भी आदेश के पालन में भुगतान किए गए किसी भी कर के संबंध में, जहां भाग 74 के तहत किसी धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत विवरण प्रस्तुत करने या तथ्यों को छिपाने के आधार पर कोई दावा पुष्ट किया गया हो, ऐसे कर पर किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर ऋण का लाभ नहीं लिया जाएगा।</p>
(4)	<p>भाग 37 के उपभाग (1) के अंतर्गत जिन चालानों या डेबिट नोटों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, उनके संबंध में किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर ऋण का लाभ नहीं लिया जाएगा, सिवाय इसके कि—</p> <p>(क) ऐसे चालानों या डेबिट नोटों का विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति विवरण में प्रस्तुत किया गया हो, और यदि कोई संशोधन हुआ हो तो फॉर्म जीएसटीआर-1ए में, या चालान प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके; तथा</p> <p>(ख) ऐसे चालानों या डेबिट नोटों के संबंध में इनपुट कर ऋण का विवरण पंजीकृत व्यक्ति को नियम 60 के उप-नियम (7) के अंतर्गत फॉर्म जीएसटीआर-2 बी में सूचित किया गया हो।</p>
नियम 37	<p>विचार भुगतान न करने की स्थिति में इनपुट कर ऋण की विलोपना</p>
(1)	<p>एक पंजीकृत व्यक्ति, जिसने किसी भी इनवर्ड आपूर्ति (सामान या सेवाओं या दोनों) पर, उन आपूर्तियों को छोड़कर जिन पर रिवर्स चार्ज आधार पर कर देय है, इनपुट कर ऋण का लाभ उठाया हो, लेकिन उपरोक्त आपूर्ति के मूल्य की राशि, पूरी या आंशिक रूप से, और उस पर देय कर, भाग 16 के उप-भाग (2) के दूसरे खंड में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे उस आपूर्ति के संबंध में उठाए गए इनपुट कर ऋण के बराबर राशि, उस राशि के अनुपात में जो आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं की गई है, को वापस करना होगा या चुकाना होगा, साथ ही उस पर भाग 50 के तहत देय ब्याज का भुगतान करते हुए, चालान जारी होने की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद के कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करते समय।</p> <p>यह प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के अनुसूची 1 में निर्दिष्ट बिना मूल्य की आपूर्ति का मूल्य, भाग 16 की उप-भाग (2) के दूसरे प्रावधान के उद्देश्यों के लिए भुगतान किया गया माना जाएगा।</p>

	साथ ही यह प्रावधान है कि भाग 15 की उप-भाग (2) की खंड (बी) के प्रावधानों के अनुसार जो कोई भी राशि जोड़ने के कारण होने वाली आपूर्ति का मूल्य है, वह भी भाग 16 की उप-भाग (2) के दूसरे प्रावधान के उद्देश्यों के लिए भुगतान किया गया माना जाएगा।
(2)	यदि उक्त पंजीकृत व्यक्ति बाद में उक्त आपूर्ति के मूल्य की राशि और उस पर देय कर का भुगतान उसके आपूर्तिकर्ता को करता है, तो वह उप-नियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट को पुनः लाभ लेने का अधिकार रखेगा।
(4)	भाग 16 की उप-भाग (4) में निर्दिष्ट समय सीमा उस किसी भी क्रेडिट को पुनः लाभ लेने के दावे पर लागू नहीं होगी, जिसे पहले रद्द किया गया हो, और जिसे पुनः लाभ लेने का दावा अधिनियम के प्रावधानों या इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार किया गया हो।
नियम 37क	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान न करने की स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट का रद्द करना और उसका पुनः लाभ लेना
	यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने किसी चालान या डेबिट नोट के संबंध में किसी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया है, जिसकी जानकारी आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में आउटवर्ड सप्लाइज के विवरण में, और यदि कोई संशोधन हुआ हो तो फॉर्म जीएसटीआर-1ए में, या चालान प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए प्रदान की गई हो, लेकिन उस आपूर्तिकर्ता द्वारा उक्त आउटवर्ड सप्लाइज के विवरण से संबंधित कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया गया हो, और वह स्थिति आर्थिक वर्ष की समाप्ति के बाद 30 सितंबर तक बनी रहे, जिसमें उक्त चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया था, तो उक्त पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को रद्द किया जाएगा, जबकि वह आर्थिक वर्ष की समाप्ति के बाद 30 नवंबर तक फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करता है।
	यदि उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न में, उस आर्थिक वर्ष की समाप्ति के बाद 30 नवंबर तक, जिसमें उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया था, रद्द नहीं की जाती है, तो उक्त राशि उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा भाग 50 के तहत ब्याज के साथ देय होगी।

साथ ही यह प्रावधान है कि यदि उक्त आपूर्तिकर्ता बाद में उक्त कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करता है, तो उक्त पंजीकृत व्यक्ति उस क्रेडिट की राशि को उसके बाद के किसी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में पुनः लाभ लेने का अधिकार रखेगा।



विश्लेषण

(i) इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की पात्रता [भाग 16(1)]

(क) जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को माल और/या सेवाओं की इनवर्ड आपूर्ति पर लगे जीएसटी का आईटीसी प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह भाग 49 के अंतर्गत आईटीसी के उपयोग से संबंधित उपबंधों तथा संबंधित नियमों में निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगा। [भाग 49 कर, ब्याज, दंड और अन्य राशियों के भुगतान से संबंधित उपबंधों को निर्धारित करती है। इसे इस अध्ययन सामग्री के इस मॉड्यूल के अध्याय 13: कर का भुगतान में विस्तार से चर्चा की गई है।]

(ख) व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ/सेवाएँ

जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उन माल और/या सेवाओं पर उपलब्ध होगा, जो व्यवसाय के संचालन या उसके विस्तार के दौरान उपयोग की गई हों या उपयोग के उद्देश्य से हों [व्यवसाय की परिभाषा देखें]। व्यवसाय के संचालन या विस्तार के दौरान माल और/या सेवाओं के “उपयोग का इरादा” भी ऐसे माल और/या सेवाओं पर आईटीसी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। अतः, उन माल और/या सेवाओं पर भुगतान किया गया कर, जो गैर-व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए हों या उपयोग के उद्देश्य से नहीं हैं, के रूप में क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता। आईटीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में जमा किया जाएगा।

(ii) आईटीसी लेने की शर्तें [भाग 16(2)]

यह उप-भाग “नॉन-अब्सटेंट क्लॉज” के साथ शुरू होती है, अतः इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के उद्देश्य से इसमें निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा, चाहे भाग 16 की किसी अन्य उप-भाग के तहत अन्य शर्तें पूरी हो चुकी हों या नहीं। पंजीकृत व्यक्ति केवल तभी इनवर्ड आपूर्ति पर आईटीसी का अधिकार रखेगा जब निम्नलिखित सभी छह शर्तें पूरी हों:

(ख) चालान/डेबिट नोट का विवरण जो आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने फॉर्म जीएसटीआर-1 में अपलोड किया गया हो या आईएफएफ का उपयोग करते हुए और जो विवरण फॉर्म जीएसटीआर-2बी में प्राप्तकर्ता को सूचित किया गया हो [भाग 16(2)(आआ) नियम 36(4) के साथ पढ़ा गया]

किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल उसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है यदि उक्त आपूर्ति के संबंध में चालान/डेबिट नोट का विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा आउटवर्ड सप्लाइज के विवरण में प्रस्तुत किया गया हो (फॉर्म जीएसटीआर-1, यदि कोई संशोधन हुआ हो तो फॉर्म जीएसटीआर-1ए में, या आईएफएफ का उपयोग करते हुए) और उक्त विवरण उस चालान/डेबिट नोट के प्राप्तकर्ता को फॉर्म जीएसटीआर-2बी में सूचित किया गया हो।

जीएसटीआर-1 एक मासिक या त्रैमासिक विवरण है जिसमें पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई आउटवर्ड आपूर्तियों का विवरण शामिल होता है। जहाँ जीएसटीआर-1 को क्यूआरएमपी योजना के अंतर्गत त्रैमासिक रूप से दाखिल किया जाता है, वहाँ आपूर्तिकर्ता त्रैमासिक अवधि के प्रथम दो महीनों के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का उपयोग करके ऐसे विवरण प्रस्तुत कर सकता है। यह सुविधा करदाता को अपने प्राप्तकर्ताओं को क्रेडिट हस्तांतरित करने के उद्देश्य से प्रदान की गई है।

आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत ऐसी आउटवर्ड आपूर्ति का विवरण संबंधित प्राप्तकर्ता को जीएसटीआर-2बी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषित किया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है। जीएसटीआर-2बी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के लिए एक स्वचालित रूप से उत्पन्न आईटीसी विवरण है, जो आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटीआर-1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी⁷ के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विवरण पर आधारित होता है।

फॉर्म जीएसटीआर-1ए एक ऐसा फॉर्म है जिसमें पंजीकृत व्यक्ति, अपनी पसंद से, किसी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में वस्तुओं और/या सेवाओं की आउटवर्ड सप्लाइज का विवरण प्रस्तुत करने के बाद, लेकिन उसी कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न दाखिल करने से पहले, आउटवर्ड सप्लाइज का विवरण संशोधित या अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत कर सकता है।

इस प्रकार, जिन चालान/डेबिट नोट का विवरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने फॉर्म जीएसटीआर-1, यदि कोई संशोधन हुआ हो तो फॉर्म जीएसटीआर-1ए में, या आईएफएफ का उपयोग करते हुए प्रस्तुत नहीं किया गया है (और इसलिए ये विवरण प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2बी में दिखाई नहीं देते), उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तकर्ता द्वारा लिया नहीं जा सकता।

⁷क्यूआरएमपी, जीएसटीआर-1/आईएफएफ प्रस्तुत करने, जीएसटीआर-1ए और जीएसटीआर-2बी से संबंधित प्रावधानों पर इस स्टडी मटीरियल के इस मॉड्यूल के अध्याय 15: रिटर्न में विस्तार से चर्चा की गई है।

जिन चालानों/डेबिट नोटों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी वर्तमान माह के जीएसटीआर-2बी में परिलक्षित नहीं हुआ है, उस पर आईटीसी करदाता उन किसी भी आगामी महीनों में दावा कर सकता है, जब उक्त चालानों/डेबिट नोटों का विवरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

उपरोक्त अवधारणा को निम्नानुसार चित्रित किया गया है:

वे चालान/डेबिट नोट जिनका विवरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके जीएसटीआर-1 में/आईएफएफ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो और जो प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2 बी में परिलक्षित हुए हों, उन पर आईटीसी।



ऐसे चालान/डेबिट नोटों पर पूर्ण आईटीसी दावा किया जा सकता है, यदि आईटीसी का लाभ लेने की सभी अन्य शर्तें पूरी की गई हों।

वे चालान/डेबिट नोट जिनका विवरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके जीएसटीआर-1 में/आईएफएफ के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया हो और इसलिए प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2बी में परिलक्षित न हुए हों, उन पर आईटीसी।



ऐसे चालान/डेबिट नोटों के संबंध में कोई आईटीसी दावा नहीं किया जा सकता।



⚡ जिन चालानों पर किसी भी प्रावधान के अंतर्गत आईटीसी उपलब्ध नहीं है, जैसे कि भाग 17(5) के तहत, उन्हें आईटीसी का दावा करते समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए, भले ही उन्हें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

⚡ दूसरी ओर, आयात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी, रिवर्स चार्ज के तहत जारी किए गए दस्तावेज़, आईएसडी से प्राप्त क्रेडिट आदि के संबंध में पूर्ण आईटीसी लिया जा सकता है, जो भाग 37(1) के दायरे के बाहर हैं।

चित्रण 1

विजय सेल्स, एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, अक्टूबर माह के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से 100 चालान (वस्तु/सेवा की आंतरिक आपूर्ति के लिए) प्राप्त करता है, जिनमें कुल ₹10 लाख का जीएसटी शामिल है।

100 चालानों में से 80 चालानों का विवरण, जिनमें ₹6 लाख का जीएसटी शामिल है, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके संबंधित जीएसटीआर-1 में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत किया गया और यह विवरण विजय सेल्स के जीएसटीआर-2बी में परिलक्षित हुआ। अक्टूबर माह के लिए ऐसे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर-1ए का उपयोग करके जीएसटीआर-1 में कोई संशोधन नहीं किया गया।

मान लें कि ₹10 लाख का जीएसटी अन्यथा आईटीसी के लिए पात्र है। अक्टूबर माह के लिए विजय सेल्स अपने जीएसटीआर-3बी (जिसे 20 नवंबर तक दाखिल करना है) में दावा किए जा सकने वाले आईटीसी की गणना इस प्रकार है:

उत्तर

विजय सेल्स द्वारा अक्टूबर माह के लिए 20 नवंबर तक दाखिल की जाने वाली जीएसटीआर-3बी में दावा की जाने वाली आईटीसी की गणना इस प्रकार की जाएगी:-

चालान	चालानों में शामिल आईटीसी की राशि (₹)	उपलब्ध कर सकने योग्य आईटीसी की राशि (₹)
जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत 80 चालान	6 लाख	6 लाख [नोट 1 देखें]
20 चालान जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत नहीं किए गए	4 लाख	शून्य [नोट 2 देखें]
कुल	10 लाख	6 लाख

नोट्स:

- (1) जिन चालानों को आपूर्तिकर्ताओं ने अपने जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किया है और जो विजय सेल्स के जीएसटीआर-2बी में प्रदर्शित हैं, उन पर 100% आईटीसी लिया जा सकता है।

- (2) नियम 36(4) के अनुसार, उन चालानों के संबंध में आईटीसी, जिन्हें आपूर्तिकर्ताओं ने अपने जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2बी में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, का दावा नहीं किया जा सकता। अतः उन 20 चालानों के संबंध में, जो आपूर्तिकर्ताओं के जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और विजय सेल्स के जीएसटीआर-2बी में प्रदर्शित नहीं हैं, कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं हो सकता।⁸

(ग) माल और/या सेवाओं की प्राप्ति [भाग 16(2)(ख)]

आईटीसी लेने वाले पंजीकृत व्यक्ति को माल और/या सेवाएँ प्राप्त होनी चाहिए।


“बिल टू शिप टू” मॉडल: इस मॉडल के अंतर्गत, माल को ग्राहक (पंजीकृत व्यक्ति) - ‘बी’ के निर्देश पर एक तृतीय पक्ष - ‘सी’ को डिलीवर किया जाता है, जो विक्रेता (आपूर्तिकर्ता) - ‘ए’ से माल खरीदता है। दूसरे शब्दों में, ‘ए’ ‘बी’ को चालान बनाता है, लेकिन ‘बी’ के निर्देश पर माल ‘सी’ को भेजता है। वास्तव में, इस स्थिति में दो आपूर्ति होती है: एक ‘ए’ से ‘बी’ को और दूसरी ‘बी’ से ‘सी’ को। अतः इस मॉडल के अंतर्गत, वह ग्राहक (पंजीकृत व्यक्ति) जो ऐसे माल को प्राप्त करता है, वास्तव में उक्त माल का भौतिक रूप से प्राप्तकर्ता नहीं होता है।

ऐसे मामलों में, **भाग 16(2)(ब)** की व्याख्या के अनुसार, यह माना जाएगा कि पंजीकृत व्यक्ति (ग्राहक) ने माल प्राप्त कर लिया है। दूसरे शब्दों में, माल जो पंजीकृत व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को दस्तावेजों के हस्तांतरण या अन्य तरीके से, माल के परिवहन से पहले या परिवहन के दौरान, भेजा जाता है, उसे उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त माना जाएगा। अतः उस पंजीकृत व्यक्ति को आईटीसी उपलब्ध होगा, जिसके आदेश पर माल किसी तृतीय व्यक्ति को डिलीवर किया गया है।

इसी प्रकार, सेवाएँ भी सेवा प्रदाता (आपूर्तिकर्ता) द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता (पंजीकृत व्यक्ति) के निर्देशानुसार किसी तृतीय पक्ष को प्रदान की जा सकती हैं। इस स्थिति में भी, यद्यपि सेवा प्राप्तकर्ता (पंजीकृत व्यक्ति) सेवा का वास्तविक रूप से प्राप्तकर्ता नहीं होता, भाग 16(2)(ब) की व्याख्या के अनुसार यह माना जाएगा कि पंजीकृत व्यक्ति (सेवा प्राप्तकर्ता) ने सेवा प्राप्त कर ली है। दूसरे शब्दों में, सेवा जो किसी व्यक्ति को पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश और उसके खाते पर प्रदान की जाती है,

⁸मान लीजिए, बाद में इन 20 चालानों के आपूर्तिकर्ता अपने नवम्बर माह के जीएसटीआर-1 में उक्त चालानों का विवरण प्रस्तुत करते हैं, तो यह विवरण विजय सेल्स के नवम्बर माह के जीएसटीआर-2बी में प्रदर्शित होगा और विजय सेल्स नवम्बर माह के जीएसटीआर-3बी में इन चालानों का क्रेडिट (आईटीसी) ले सकता है।

उसे उस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त माना जाएगा। अतः उस पंजीकृत व्यक्ति को आईटीसी उपलब्ध होगा, जिसके निर्देशानुसार सेवाएँ किसी तृतीय व्यक्ति को प्रदान की गई हैं।



(1) बट्री एक व्यापारी है, जो आत्माराम से सोडा ऐश की एक खेप के लिए आदेश देता है। बट्री को चंपक से उसी मात्रा के सोडा ऐश के लिए खरीद आदेश प्राप्त होता है। बट्री आत्माराम को निर्देश देता है कि माल चंपक को पहुँचाया जाए, और इसके परिणामस्वरूप आत्माराम बट्री पर चालान जारी करता है क्योंकि बट्री वास्तव में उस माल का खरीदार है, जिसने आत्माराम को माल चंपक को पहुँचाने के लिए निर्देश दिया है। यद्यपि माल शारीरिक रूप से बट्री के परिसर में प्राप्त नहीं हुआ है, भाग 16(2)(बी) के तहत ऐसे माल का आईटीसी बट्री को लेने की अनुमति है।



(2) एबीसी प्रा. लि. का पंजीकृत मुख्यालय (नई दिल्ली) अपने पंजीकृत शाखा कार्यालय, बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम की मरम्मत और रखरखाव के लिए नई दिल्ली की डीईएफ प्रा. लि. के साथ अनुबंध करता है। डीईएफ प्रा. लि. द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए एबीसी प्रा. लि., नई दिल्ली पर चालान जारी करती है। यद्यपि वास्तविक सेवाएँ शाखा कार्यालय द्वारा प्राप्त की जाती हैं, न कि मुख्यालय द्वारा, भाग 16(2)(बी) के तहत ऐसी मरम्मत और रखरखाव सेवाओं का आईटीसी मुख्यालय को लेने की अनुमति है।


एक्स-वर्क्स अनुबंध के तहत आपूर्ति किए गए माल के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की उपलब्धता पर स्पष्टिकरण

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल डीलरों और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओईएम्स) के बीच अनुबंध सामान्यतः एक्स-वर्क्स (ईएक्सडब्ल्यू) अनुबंध होता है, और अनुबंध की शर्तों के अनुसार, माल (यानी वाहन) का स्वामित्व डीलर को ओईएम के फैक्ट्री गेट पर तब हस्तांतरित हो जाता है जब डीलर के निर्देश पर माल को परिवहनकर्ता को सौंपा जाता है, और ओईएम की ओर से डिलीवरी उसके फैक्ट्री गेट पर पूरी मानी जाती है।

परिवहन ओईएम द्वारा डीलर की ओर से व्यवस्थित किया जा सकता है और जहाँ बीमा की व्यवस्था की जाती है, वह भी डीलर की ओर से की जा सकती है। किसी भी हानि की स्थिति में दावा डीलर द्वारा ही दर्ज किया जाना चाहिए।

समीक्षा के लिए जो मुद्दा उत्पन्न हुआ वह यह था कि क्या आईटीसी केवल तब ही डीलर द्वारा लिया जा सकता है जब वाहन शारीरिक रूप से उसके व्यवसायिक परिसर में प्राप्त हो जाएँ, या आईटीसी उस तारीख को लिया जा सकता है जब वाहन उसके लिए चालान किए जाएँ और ओईएम द्वारा उसके फैक्ट्री गेट पर परिवहनकर्ता को सौंप दिए जाएँ।

यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में, उक्त माल में संपत्ति ओईएम द्वारा फैक्ट्री गेट पर परिवहनकर्ता को माल सौंपते ही डीलर को हस्तांतरित माना जाएगा। अर्थात्, माल को आपूर्तिकर्ता (ओईएम) द्वारा फैक्ट्री गेट पर परिवहनकर्ता के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति (डीलर) को पहुँचाया गया माना जाएगा, और उक्त माल की आपूर्ति ओईएम के फैक्ट्री गेट पर पूरी हुई मानी जाएगी, भले ही माल पंजीकृत व्यक्ति (डीलर) द्वारा शारीरिक रूप से ट्रांजिट अवधि के बाद प्राप्त किया जाए।



अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि भाग 16(2)(बी) की व्याख्या के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति (डीलर) को उक्त माल "प्राप्त" माना जाएगा उस समय जब आपूर्तिकर्ता द्वारा फेक्ट्री गेट पर परिवहनकर्ता को माल सौंपा जाता है, ताकि उसे आगे उस पंजीकृत व्यक्ति (डीलर) तक पहुँचाया जा सके।

यह सिद्धांत अन्य माल की आपूर्ति के संबंध में भी लागू होता है, जहाँ आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच अनुबंध एक ईएक्सडब्ल्यू (एक्स वर्क्स) अनुबंध है, और अनुबंध की शर्तों के अनुसार, माल को आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को या प्राप्तकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति (जिसमें परिवहनकर्ता शामिल है) को उसके (आपूर्तिकर्ता के) व्यवसाय स्थल पर पहुँचाना होता है, और माल में संपत्ति उस समय प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित मानी जाती है जब माल सौंपा जाता है।

ऐसे मामलों में, भाग 16(2)(बी) के प्रावधानों के अनुसार, उक्त माल को उस समय प्राप्तकर्ता द्वारा "प्राप्त" माना जाएगा जब उक्त माल प्राप्तकर्ता या परिवहनकर्ता को सौंपा जाता है, जैसा कि मामला हो।

यह भी उल्लेख किया गया है कि भाग 16(1) के प्रावधानों के अनुसार (जिस पर पहले चर्चा की गई), एक पंजीकृत व्यक्ति केवल उन माल और/या सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में आईटीसी लेने का अधिकार रखता है, जो व्यवसाय के संचालन या उसके आगे बढ़ाने के क्रम में उपयोग की जाती हैं या उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं।

अतः, यदि किसी भी चरण में माल को गैर-व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया जाता है, चाहे वह उसके व्यवसायिक परिसर में शारीरिक रूप से प्राप्त करने से पहले हो या उसके बाद, तो पंजीकृत व्यक्ति ऐसे माल पर भाग 16(1) के अनुसार आईटीसी लेने का अधिकार नहीं रखेगा।

इसके अलावा, यदि किसी भी समय माल "प्राप्त" करने के बाद ऐसा माल खो जाता है, चोरी हो जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, लिखित रूप से हटा दिया जाता है या उपहार अथवा निःशुल्क नमूने के रूप में वितरित किया जाता है, तो पंजीकृत व्यक्ति ऐसे माल के संबंध में आईटीसी का हकदार नहीं होगा, जैसा कि भाग 17(5)(एच) में प्रावधानित है। [भाग 17(5) अवरोधित क्रेडिट से संबंधित प्रावधानों को समाहित करती है और इस अध्याय में इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी।]⁹

⁹ सर्कुलर संख्या 241/35/2024-जीएसटी दिनांक 31.12.2024

(घ) भाग 38 के तहत पंजीकृत व्यक्ति को सूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में आईटीसी का विवरण सीमित नहीं है [भाग 16(2)(बीए)]

भाग 38 यह निर्धारित करती है कि पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर -1 में (यदि कोई संशोधन हो तो जीएसटीआर -1 ए में) या आईएफएफ का उपयोग करके प्रस्तुत की गई आउटवर्ड आपूर्ति का विवरण तथा आईटीसी का विवरण प्रत्येक माह ऐसे आपूर्ति के प्राप्तकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। इस स्वचालित उत्पन्न कथन को जीएसटीआर-2बी कहा जाता है।

जीएसटीआर-2बी कंटेन्स द डीटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाइज (i) ऑन व्हिच आईटीसी इज अवेलेबल टू द रिसिपिएंट एज वेल एज (ii) ऑन व्हिच आईटीसी कैनाॅट बी अवेल्ड, वेदर होली ऑर पार्टली, बाय द रिसिपिएंट। भाग 38 स्टिप्युलेट्स दैट आईटीसी कैनाॅट बी अवेल्ड इन केस व्हेयर द डीटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाइज इन जीएसटीआर-1/यूज़िंग आईएफएफ हैव बीन फर्निशड बाय स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन्स।

- ❑ अतः, ऐसे इनवर्ड सप्लाई के संबंध में आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा, जिनका विवरण पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किया गया हो, जो नया पंजीकृत व्यक्ति है (पंजीकरण लेने की निर्धारित अवधि के भीतर)।
- ❑ जिसने कर का भुगतान करने में डिफॉल्ट किया हो और जहाँ ऐसा डिफॉल्ट निर्धारित अवधि तक जारी रहा हो।
- ❑ जिसका जीएसटीआर-1/आईएफएफ के अनुसार देय आउटपुट टैक्स किसी विशेष कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी में भुगतान किए गए आउटपुट टैक्स से निर्धारित सीमा तक अधिक हो।
- ❑ जिसने ऐसी राशि का आईटीसी लिया हो जो निर्धारित अवधि के दौरान और निर्धारित सीमा तक जीएसटीआर-2बी के अनुसार वह ले सकता है, उससे अधिक हो।
- ❑ जिसने भाग 49(12) के प्रावधानों के साथ नियम 86बी के अनुसार अपनी कर देयता का निर्वाह करने में डिफॉल्ट किया हो, अर्थात् जिसने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से नियम 86बी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक कर देयता का भुगतान किया हो।¹⁰
- ❑ अन्य निर्दिष्ट वर्ग के व्यक्ति

¹⁰ नियम 86बी यह प्रावधान करता है कि पंजीकृत व्यक्ति अपने आउटपुट टैक्स के देयता का निर्वाह करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग उस कर देयता के 99% से अधिक नहीं कर सकता, उन मामलों में जहाँ किसी माह में कर योग्य आपूर्ति (मुक्त आपूर्ति और शून्य-रेट आपूर्ति को छोड़कर) का मूल्य ₹50 लाख से अधिक हो, बशर्ते कि निर्दिष्ट अपवाद लागू हों। इसका विवरण इस अध्याय में आगे चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ड) वास्तव में सरकार को चुकाए गए आपूर्ति कर पर लागू कर [भाग 16(2)(सी)]

आपूर्तिकर्ता ने उस माल और/या सेवाओं पर लगाया गया कर, जिसके लिए आईटीसी लिया जा रहा है, वास्तविक रूप से या तो नकद में या आईटीसी का उपयोग करके भुगतान किया होना चाहिए, बशर्ते कि भाग 41 के प्रावधान लागू हों।

स्व-मूल्यांकित आईटीसी का लाभ उठाना [भाग 41]

एक पंजीकृत व्यक्ति अपने रिटर्न में स्व-मूल्यांकित योग्य आईटीसी का क्रेडिट ले सकता है। ऐसी राशि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा कर दी जाएगी।

आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान न करने की स्थिति में आईटीसी की उलटफेर और उसका पुनः लाभ उठाना [भाग 41 के साथ नियम 37ए के संदर्भ में]

(I) आईटीसी की उलटफेर: यदि उस आईटीसी के अनुरूप देय कर आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को भुगतान नहीं किया जाता है, तो उक्त आईटीसी को संबंधित व्यक्ति द्वारा लागू ब्याज सहित उलट दिया जाएगा।

एक पंजीकृत व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) किसी कर अवधि के लिए ऐसे चालान/डेबिट नोट के संबंध में आईटीसी का लाभ उठा सकता है, जिनका विवरण उसके आपूर्तिकर्ता द्वारा आउटवर्ड आपूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किया गया हो, चाहे वह जीएसटीआर-1 में हो, यदि कोई संशोधन हो तो जीएसटीआर-1 ए में या आईएफएफ का उपयोग करके।

हालाँकि, यदि आपूर्तिकर्ता उस कर अवधि के लिए, जो उक्त आउटवर्ड सप्लाइ के कथन से संबंधित है, 30 सितंबर तक जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है, जिस वित्तीय वर्ष में ऐसे चालान/डेबिट नोट के संबंध में आईटीसी लिया गया हो; तो उक्त आईटीसी की राशि को संबंधित प्राप्तकर्ता द्वारा उलट दिया जाएगा, और यह जीएसटीआर -3बी में उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद 30 नवंबर तक रिटर्न प्रस्तुत करते समय किया जाएगा, जिस दौरान ऐसा आईटीसी लिया गया हो।

हालाँकि, यदि उक्त आईटीसी की राशि प्राप्तकर्ता द्वारा उलट नहीं की जाती है, तो उक्त राशि संबंधित व्यक्ति द्वारा भाग 50 के तहत ब्याज सहित चुकाई जाएगी।

(II) उलटित आईटीसी का पुनः लाभ उठा: जहाँ उक्त आपूर्तिकर्ता उपरोक्त आपूर्ति के संबंध में देय कर का भुगतान करता है, वहाँ उक्त पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उलट दी गई क्रेडिट की राशि का पुनः लाभ लिया जा सकता है।

अतः, जहाँ उक्त आपूर्तिकर्ता बाद में उक्त कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करता है, वहाँ उक्त पंजीकृत व्यक्ति ऐसी क्रेडिट की राशि का पुनः लाभ उसके बाद की किसी कर अवधि के जीएसटीआर-3बी रिटर्न में उठा सकता है।



(3) जमकू, एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, ने चंकू को ₹10,000 मूल्य का माल आपूर्ति किया, जिस पर उसने मार्च, 2024 में जारी चालान में प्रत्येक ₹900 का सीजीएसटी

और एसजीएसटी चार्ज किया। जमकू ने उक्त माह के लिए अपना जीएसटीआर-1 नियत तिथि से पहले प्रस्तुत करते हुए उक्त चालान का विवरण अपलोड किया, जिस आधार पर चंकू ने मार्च, 2024 के लिए अपने जीएसटीआर-3बी में सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में प्रत्येक ₹900 का आईटीसी लिया, क्योंकि उक्त आईटीसी उसके जीएसटीआर-2बी में भी परिलक्षित था। हालाँकि, जमकू सितंबर, 2024 तक संबंधित जीएसटीआर-3बी (मार्च, 2024 के लिए) प्रस्तुत करने में असफल रहा।

अनुसार, अक्टूबर, 2024 के लिए 20 नवंबर, 2024 को जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करते समय, चंकू ने पूर्व में लिया गया आईटीसी की राशि उलट दी। इसके पश्चात्, यदि जमकू 20 दिसंबर, 2024 को जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करता है और सीजीएसटी तथा एसजीएसटी के रूप में प्रत्येक ₹900 की उक्त राशि का भुगतान करता है, तो जमकू अब पूर्व में उलट दिए गए ₹900 के सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुनः लाभ उठा सकता है।

(छ) रिटर्न प्रस्तुत करना [भाग 16(2)(डी)]

आईटीसी लेने वाला पंजीकृत व्यक्ति भाग 39 के अंतर्गत अपना जीएसटीआर-3बी रिटर्न प्रस्तुत कर चुका होना चाहिए। अतः, किसी करदाता को योग्य इनवर्ड सप्लाइ पर आईटीसी का लाभ उठाने के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iii) थोक में प्राप्त माल: आईटीसी केवल अंतिम थोक प्राप्त होने पर ही उपलब्ध
[भाग 16(2) की पहली उपभाग]

यदि किसी चालान के अंतर्गत आने वाला माल एक ही खेप में प्राप्त नहीं होता, बल्कि थोक/किस्तों में प्राप्त होता है, तो आईटीसी केवल अंतिम थोक/किस्त प्राप्त होने पर ही लिया जा सकता है।



(4) एक्सवायजेड ने अगस्त महीने में एबीसी के साथ 10 मीट्रिक टन रसायन की आपूर्ति के लिए ₹1,18,000 (जिसमें जीएसटी ₹18,000 शामिल है) का अनुबंध किया। यह रसायन तीन महीनों की अवधि में थोक में वितरित किया जाना है। एबीसी ने पूरे (राशि के लिए अगस्त में चालान जारी किया और एक्सवायजेड ने भी उसी महीने भुगतान कर दिया, लेकिन आपूर्ति नवंबर में पूरी हुई। यद्यपि एक्सवायजेड ने कर की पूरी राशि अगस्त में ही भुगतान कर दी थी, वह इसका आईटीसी केवल रसायन के अंतिम थोक की प्राप्ति पर ही नवंबर महीने में ले सकता है।

(iv) चालान का भुगतान 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए [भाग 16(2) की दूसरी उपभाग के साथ नियम 37 के संदर्भ में]

पंजीकृत व्यक्ति को चालान जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर माल और/या सेवाओं का मूल्य तथा कर आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना आवश्यक है [भाग 16(2) की दूसरी उपभाग के संदर्भ में]।

हालाँकि, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति, जिसने किसी इनवर्ड सप्लाई पर आईटीसी लिया है, आपूर्तिकर्ता को उक्त सप्लाई के मूल्य की राशि, चाहे पूरी या आंशिक रूप से, साथ ही उस पर देय कर 180 दिनों के भीतर चालान जारी होने की तिथि से भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसे उस सप्लाई के संबंध में लिए गए आईटीसी के बराबर राशि, जो आपूर्तिकर्ता को न चुकाए गए भाग के अनुपात में हो, उलटनी होगी या चुकानी होगी, साथ ही भाग 50 के तहत देय ब्याज भी, और यह राशि 180 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद अगले कर अवधि के जीएसटीआर-3बी रिटर्न में प्रस्तुत करनी होगी।

अपवाद

माल और/या सेवाओं के मूल्य सहित कर का 180 दिनों के भीतर भुगतान करने की यह शर्त निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं होती:

(क) ऐसी आपूर्ति जिन पर कर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत देय हो

- (ख) बिना मुआवजे की मानी जाने वाली आपूर्ति - अनुसूची ।
 (ग) आपूर्तिकर्ता की देयता के कारण आपूर्ति के मूल्य में किए गए अतिरिक्त योग, जो कि भाग 15(2)(बी) के अनुसार प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किए जाते हैं।
 बिंदु (ख) और (ग) में दिए गए परिस्थितियों में, आपूर्ति का मूल्य भुगतान माना जाएगा।



(5) गुणवत्ता विवाद के कारण, पीजेडपी प्रा. लि. ने किसी विक्रेता द्वारा आपूर्ति की गई मशीन का भुगतान तब तक रोका जब तक कि उसे ठीक न किया जा सके। इस विवाद में 180 दिन से अधिक समय बीत गया। पीजेडपी द्वारा चालान पर लिया गया क्रेडिट 180 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद प्रस्तुत किए गए माह के जीएसटीआर-3बी में ब्याज सहित भुगतान/उलटना आवश्यक है। केवल तब, जब विक्रेता ने मशीन को ठीक किया और पीजेडपी ने भुगतान जारी किया, तभी पीजेडपी पुनः उस क्रेडिट का लाभ उठा सकता है।

- (V) यदि कर घटक पर मूल्यहास दावा किया गया हो, तो आईटीसी की अनुमति नहीं है [भाग 16(3)]

यदि कोई व्यक्ति पूंजीगत माल तथा संयंत्र और मशीनरी पर आईटीसी ले रहा है और उसने उक्त वस्तुओं की लागत के कर घटक पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मूल्यहास दावा किया है, तो उक्त कर घटक पर आईटीसी की अनुमति नहीं होगी। अतः, ऐसी वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 और जीएसटी कानून के तहत एक साथ दोहरा लाभ नहीं लिया जा सकता। दूसरे शब्दों में, या तो आयकर अधिनियम के तहत कर घटक पर मूल्यहास लिया जा सकता है या जीएसटी कानून के तहत उस कर का आईटीसी लिया जा सकता है।

- (vi) आईटीसी लेने की समय सीमा: अगले वित्तीय वर्ष की 30 नवंबर या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो [भाग 16(4)]

किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित चालानों या उस वित्तीय वर्ष में जारी डेबिट नोटों पर आईटीसी किसी भी समय अगले वित्तीय वर्ष की 30 नवंबर तक या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि तक लिया जा सकता है, जो भी पहले हो।

यहाँ, डेबिट नोट के मामले में, संबंधित वित्तीय वर्ष निर्धारित करने के लिए डेबिट नोट जारी करने की तिथि प्रासंगिक होती है, न कि मूल चालान की तिथि¹¹

अनपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आरसीएम आपूर्ति के संबंध में भाग 16(4) के अंतर्गत समय सीमा पर स्पष्टिकरण¹²

यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में, जहाँ अनपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति प्राप्त की गई हो, और जहाँ कर प्राप्तकर्ता द्वारा आरसीएम के अंतर्गत भुगतान करना होता है तथा चालान प्राप्तकर्ता द्वारा भाग 31(3)(एफ) के अनुसार जारी किया जाना होता है, आईटीसी लेने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक वित्तीय वर्ष वह होगा जिसमें चालान प्राप्तकर्ता द्वारा भाग 31(3)(एफ) के अंतर्गत जारी किया गया हो, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त आपूर्ति पर कर का भुगतान किया गया हो और भाग 16 और 17 की अन्य शर्तों और प्रतिबंधों को पूरा किया गया हो।

यदि प्राप्तकर्ता उक्त आपूर्ति के समय के बाद चालान जारी करता है और उसके अनुसार कर का भुगतान करता है, तो उसे इस विलंबित कर भुगतान पर ब्याज चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे विलंबित चालान जारी करने के मामलों में प्राप्तकर्ता भाग 122 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है।¹³



(6) एक डेबिट नोट दिनांक 07.07.2024 को मूल चालान दिनांक 16.03.2024 के संबंध में जारी किया गया है। चूँकि चालान वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित

अतः उक्त चालान के संबंध में आईटीसी लेने के लिए प्रासंगिक वित्तीय वर्ष भाग 16(4) के अनुसार एफवाई 2023-24 होगा। हालाँकि, चूँकि डेबिट नोट वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी किया गया है, अतः उक्त डेबिट नोट के संबंध में आईटीसी लेने के लिए प्रासंगिक वित्तीय वर्ष भाग 16(4) के अनुसार एफवाई 2024-25 होगा।

¹¹ सर्कुलर संख्या 160/16/2021- जीएसटी दिनांक 20.09.2021

¹² सर्कुलर संख्या 211/5/2024- जीएसटी दिनांक 26.06.2024

¹³ भाग 122, जिसमें दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं, का विवरण अंतिम स्तर पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।



(7) हर्क्यूल्स मशीनेरी ने जनवरी महीने में चालान संख्या 49 दिनांक 28 जनवरी 2024 के अंतर्गत ₹4,15,000 मूल्य की मशीन एक्सवायजेड को वितरित की, जो जीएसटी के अंतर्गत मासिक रिटर्न दाखिल करने वाला पंजीकृत व्यक्ति है, और एक्सवायजेड की आवश्यकताओं के अनुसार मशीन का ट्रायल रन और कैलिब्रेशन किया। डिलीवरी के पश्चात किए गए कार्यों के लिए शुल्क अप्रैल 2024 में जारी डेबिट नोट में ₹50,000 के रूप में लिया गया। एक्सवायजेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना वार्षिक रिटर्न नवंबर 2024 तक प्रस्तुत नहीं किया। चालान संख्या 49 के संबंध में भुगतान किए गए कर पर आईटीसी लेने की समय सीमा 30 नवंबर 2024 होगी। चूंकि डेबिट नोट अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है, इसलिए ₹50,000 पर उपलब्ध आईटीसी लेने की समय सीमा 30 नवंबर 2025 होगी [पूर्व वित्तीय वर्ष के वार्षिक रिटर्न की प्रस्तुति की तिथि या अगले वित्तीय वर्ष की 30 नवंबर, जो भी पहले हो]।

अपवाद

भाग 16(4) के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा उन क्रेडिट के पुनः लाभ लेने के लिए लागू नहीं होती, जिन्हें पहले उलट दिया गया था।

(vii) पंजीकरण रद्द या निरस्त किए जाने की स्थिति में आईटीसी लेने की समय सीमा [भाग 16(6)]

यदि किसी करदाता का पंजीकरण रद्द किया जाता है और बाद में उसे पुनः सक्रिय किया जाता है, तो रद्द करने की तिथि/प्रभावी रद्द करने की तिथि से लेकर रद्दीकरण पुनः सक्रिय होने की तिथि तक की अवधि के लिए रिटर्न पोर्टल पर करदाता द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में, यदि प्राप्तकर्ता ने उस वित्तीय वर्ष से संबंधित किसी भी चालान/डेबिट नोट के संबंध में आईटीसी का दावा नहीं किया है और इस बीच, भाग 16(4) में निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो वह उक्त चालान/डेबिट नोट पर आईटीसी का दावा नहीं कर पाएगा।

अतः छूट प्रदान की गई है और ऐसे मामलों में, जहाँ पंजीकरण रद्द करने की तिथि/प्रभावी रद्द करने की तिथि से लेकर रद्दीकरण पुनः सक्रिय होने की तिथि तक की अवधि के लिए रिटर्न रद्दीकरण पुनः सक्रिय होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाती हैं, भाग 16(4) के तहत किसी भी चालान/डेबिट नोट के संबंध में आईटीसी लेने की समय सीमा रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि तक बढ़ा दी गई है।

बशर्ते कि उक्त चालान या डेबिट नोट के संबंध में भाग 16(4) के तहत आईटीसी लेने की समय सीमा पंजीकरण रद्द होने की तिथि तक पहले ही समाप्त न हो गई हो।

(viii) आईटीसी की सीमा निर्धारित करना - (i) कर योग्य आपूर्ति और (ii) व्यावसायिक प्रयोजनों के अनुपात में [भाग 17 की उप-भाग (1) और (2)]

आईटीसी का लाभ माल और/या सेवाओं के उपयोग के अनुपात में सीमित है, अर्थात् (i) कर योग्य और/या शून्य-रेट आपूर्ति में और (ii) व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए। इसका विवरण नीचे शीर्षक (4) में दिया गया है।

(ix) कुछ आपूर्ति पर आईटीसी की अनुमति नहीं [भाग 17(5)]

निश्चित माल और सेवाओं के लिए आईटीसी को अवरुद्ध किया गया है। इसका विवरण नीचे शीर्षक (4) में दिया गया है।

प्रश्नोत्तरी
समय!



अप्रैल माह के लिए जीएसटी की निम्नलिखित राशि सुंखिया एसोसिएट्स के जीएसटीआर-2बी में परिलक्षित हो रही है, जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है:

कच्चा माल खरीदा	₹20,000
माल बनाने के लिए मशीनरी खरीदी	₹1,00,000
निर्माण कार्य के लिए कच्चा माल खरीदा	₹5,00,000

अचल संपत्ति को लेखा पुस्तकों में पंजीकृत किया जाना है। इसके अलावा, कच्चा माल की खरीद के लिए ₹30,000 का जीएसटी वाला चालान अप्रैल के जीएसटीआर-2बी में परिलक्षित नहीं हुआ है क्योंकि आपूर्तिकर्ता ने अपना जीएसटीआर-1 प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, कच्चा माल के परिवहन के लिए अप्रैल में सिंधु ट्रांसपोर्टर्स से प्राप्त जीटीए सेवाओं पर ₹25,000 का जीएसटी भुगतान किया गया है।

अप्रैल माह के लिए सुंखिया एसोसिएट्स द्वारा लिया जा सकने वाला आईटीसी की गणना कीजिए।


(क) ₹1,45,000

(ख) ₹6,20,000

(ग) ₹6,45,000

(घ) ₹6,75,000

4. क्रेडिट का वितरण और अवरुद्ध क्रेडिट [भाग 17¹⁴]

 कानूनी प्रावधान		
भाग 17	क्रेडिट का वितरण और अवरुद्ध क्रेडिट	
उप-भाग	खंड	क्रेडिट का आवंटन और अवरुद्ध क्रेडिट
(1)		यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से किसी व्यवसाय के उद्देश्य के लिए और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए करता है, तो क्रेडिट की राशि केवल उस इनपुट कर तक सीमित होगी, जो उसके व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए जिम्मेदार है।
(2)		यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से इस अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य आपूर्ति सहित शून्य-रेट आपूर्ति करने के लिए और आंशिक रूप से उक्त अधिनियमों के तहत छूट प्राप्त आपूर्ति करने के लिए करता है, तो क्रेडिट की राशि केवल उस इनपुट कर तक सीमित होगी, जो उक्त कर योग्य आपूर्ति सहित शून्य-रेट आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।
(3)		उप-भाग (2) के तहत छूट प्राप्त आपूर्ति का मूल्य वह होगा जो विनियमित किया जा सकता है, और इसमें ऐसी आपूर्ति शामिल होगी जिस पर प्राप्तकर्ता रिवर्स चार्ज के आधार पर कर देय है, प्रतिभूतियों के लेन-देन, भूमि की बिक्री और अनुसूची II के अनुच्छेद 5 के खंड (बी) के अनुसार भवन की बिक्री। व्याख्या— इस उप-भाग के प्रयोजनों के लिए, "छूट प्राप्त आपूर्ति का मूल्य" में अनुसूची III में निर्दिष्ट गतिविधियों या लेन-देन का मूल्य शामिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि— (i) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट गतिविधियों या लेन-देन का मूल्य; और (ii) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 8 के खंड (ए) के संबंध में विनियमित की जाने वाली ऐसी गतिविधियों या लेन-देन का मूल्य।

¹⁴ बैंकिंग कंपनियों द्वारा आईटीसी के दावे और इनपुट, इनपुट सेवाओं एवं पूंजीगत माल पर आईटीसी के निर्धारण तथा इसके उलटने से संबंधित प्रावधान [नियम 38, 42 और 43] अंतिम स्तर पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

(5)	भाग 16 की उप- भाग (1) और भाग 18 की उप- भाग (1) में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा:-	
	(क)	मान्यता प्राप्त बैठने की क्षमता वाले व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटर वाहन, जिनमें चालक सहित अधिकतम तेरह व्यक्ति हों, के लिए आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा, सिवाय इसके कि उन्हें निम्नलिखित कर योग्य आपूर्ति करने के लिए उपयोग किया जाए:
	(क)	ऐसे मोटर वाहनों की आगे की आपूर्ति, अथवा
	(ख)	यात्रियों का परिवहन, अथवा
	(ग)	ऐसे मोटर वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करना;
	(कक)	जहाज और हवाई जहाज, सिवाय उन परिस्थितियों के जब उनका उपयोग --
	(i)	निम्नलिखित कर योग्य आपूर्ति करने के लिए, अर्थात्--
	(क)	ऐसे जहाजों या हवाई जहाजों की आगे की आपूर्ति, अथवा
	(ख)	यात्रियों का परिवहन, अथवा
	(ग)	ऐसे जहाजों को नेविगेट करने का प्रशिक्षण प्रदान करना, अथवा
	(घ)	ऐसे हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण प्रदान करना;
	(ii)	माल के परिवहन के लिए;
	(कख)	सामान्य बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत और रखरखाव की सेवाएँ, केवल उन मोटर वाहनों, जहाजों या हवाई जहाजों से संबंधित होने तक, जिन्हें खंड (क) या खंड (कक) में उल्लेखित किया गया है।
	बशर्ते कि ऐसी सेवाओं के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा--	
	(i)	जहाँ खंड (क) या खंड (कक) में उल्लिखित मोटर वाहन, जहाज या हवाई जहाज वहाँ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं;
(ii)	जहाँ इसे एक करदायी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, जो संलग्न हो--	
(i)	ऐसे मोटर वाहनों, जहाजों या हवाई जहाजों के निर्माण में, अथवा	

		(II) ऐसे मोटर वाहनों, जहाजों या हवाई जहाजों के संबंध में सामान्य बीमा सेवाओं की आपूर्ति में, जिनका बीमा उसने कराया हो;
(ख)	निम्नलिखित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति—	
	(i)	भोजन और पेय, बाहरी कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, मोटर वाहनों, जहाजों या हवाई जहाजों की लीजिंग, किराया या किराए पर देना, जिन्हें खंड (क) या खंड (कक) में उल्लेखित किया गया है, सिवाय उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के, जिनका वहाँ उल्लेख है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा:
		बशर्ते कि ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा, जहाँ ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की इनवर्ड आपूर्ति किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उसी श्रेणी की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आउटवर्ड कर योग्य आपूर्ति करने के लिए या कर योग्य मिश्रित/संयुक्त आपूर्ति के तत्व के रूप में उपयोग की जाती है;
	(ii)	क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता; तथा
	(iii)	अवकाश जैसे छुट्टी या गृह यात्रा भत्ता के दौरान कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले यात्रा लाभ:
		बशर्ते कि ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा, जहां किसी भी समय लागू कानून के तहत नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को वही प्रदान करना अनिवार्य ¹⁵ ।
(ग)		कार्य अनुबंध सेवाएँ, जब अचल संपत्ति (सिवाय संयंत्र और मशीनरी) के निर्माण के लिए प्रदत्त हों, सिवाय उन मामलों के जहाँ यह कार्य अनुबंध सेवा की आगे की आपूर्ति के लिए इनपुट सेवा हो;
(घ)		माल या सेवाएँ या दोनों, जो किसी करदायी व्यक्ति द्वारा अपनी ओर से अचल संपत्ति (सिवाय संयंत्र या मशीनरी) के निर्माण के लिए प्राप्त की जाती हैं, जिसमें ऐसे माल या सेवाएँ शामिल हों:

¹⁵ सर्कुलर संख्या 172/04/2022- जीएसटी दिनांक 06.07.2022 स्पष्ट करता है कि यह भाग 17(5)(बी) के पूरे प्रावधान पर लागू होता है।

	<p>या दोनों का उपयोग व्यवसाय के संचालन या उसके प्रवर्धन के दौरान किया जाता है।</p> <p>व्याख्या.— खंड (सी) और (डी) के प्रयोजनों के लिए, "निर्माण" शब्द में पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, विस्तार या परिवर्तन या मरम्मत शामिल हैं, बशर्ते कि यह उक्त अचल संपत्ति में पूंजीकरण की सीमा तक हो।</p>
(च)	वे माल या सेवाएँ या दोनों जिन पर भाग 10 के अंतर्गत कर भुगतान किया गया हो;
(छ)	वे माल या सेवाएँ या दोनों, जो किसी गैर-निवासी करदायी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई हों, सिवाय उन मालों के जो उसने आयात किए हों;
(छक)	वे माल या सेवाएँ या दोनों, जो किसी करदायी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई हों और जिनका उपयोग या उपयोग का इरादा उन गतिविधियों के लिए किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की भाग 135 में उल्लिखित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उसकी जिम्मेदारियों से संबंधित हों;
(ज)	व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएँ या दोनों;
(झ)	वे माल जो खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, लेखांकन से हटा दिए गए या उपहार या निःशुल्क नमूनों के रूप में निपटाए गए; तथा
(ट)	भाग 74 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अवधि के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किया गया कोई भी कर।
(6)	<p>सरकार वह तरीका निर्धारित कर सकती है जिसके द्वारा उप- भाग (1) और (2) में उल्लिखित क्रेडिट का आवंटन किया जा सके।</p> <p>व्याख्या.— इस अध्याय और अध्याय VI के प्रयोजनों के लिए, "संसाधन और मशीनरी" शब्द का अर्थ है ऐसे उपकरण, यंत्र और मशीनरी जो आधार या संरचनात्मक समर्थन द्वारा भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हों और जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों की बाह्य आपूर्ति के लिए किया जाता हो, और इसमें ऐसे आधार और संरचनात्मक समर्थन शामिल हैं, परन्तु इनमें शामिल नहीं हैं—</p>
(i)	भूमि, भवन या कोई अन्य नागर संरचनाएँ
(ii)	दूरसंचार टावर; तथा
(iii)	निर्माण स्थल के बाहर बिछाई गई पाइपलाइनें



विश्लेषण

दो परिस्थितियों में आईटीसी के आवंटन और संबंधित प्रतिबंध की आवश्यकता तय करती है, साथ ही निर्दिष्ट इनवर्ड सप्लाई पर आईटीसी को अवरुद्ध करने का प्रावधान भी है।

क. आईटीसी का आवंटन [भाग 17 की उप-भागएँ (1) और (2)]

- (i) वैल्यू एडेड टैक्स के तहत क्रेडिट योजना का मौलिक सिद्धांत यह है कि इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल पर भुगतान किया गया कर केवल तभी क्रेडिट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है जब आउटपुट पर कर देय हो। अतः, जब आउटपुट पर कर देय नहीं होता, तो क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता।

अनुसार, जीएसटी के तहत आईटीसी को आउटपुट सप्लाई पर कर भुगतान के लिए प्राप्त और उपयोग किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, जब आउटपुट सप्लाई पर कर देय नहीं होता, अर्थात् छूट प्राप्त सप्लाई पर, तब आईटीसी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उपरोक्त सिद्धांत का एकमात्र अपवाद 'जीरो रेटेड सप्लाई' है, जहाँ आईटीसी उपलब्ध होता है भले ही आउटपुट सप्लाई पर कोई कर देय न हो, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई छूट प्राप्त सप्लाई नहीं है।

यदि कोई करदायी व्यक्ति दोनों करयोग्य और छूट प्राप्त सप्लाई करता है, तो वह केवल करयोग्य सप्लाई के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के संबंध में आईटीसी का पूर्ण क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार होता है, और छूट प्राप्त सप्लाई के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के लिए कोई भी क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता।

यदि सामान्य इनपुट, इनपुट सेवाएँ और पूंजीगत माल करयोग्य तथा छूट प्राप्त सप्लाई दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो केवल करयोग्य सप्लाई से संबंधित अनुपातित आईटीसी उपलब्ध होता है। सामान्य आईटीसी को करयोग्य सप्लाई और छूट प्राप्त सप्लाई के मूल्य के अनुपात में आवंटित किया जाता है।

- (ii) इसके अलावा, यदि कोई करदायी व्यक्ति माल और/या सेवाओं का उपयोग आंशिक रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और आंशिक रूप से गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करता है, तो वह केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के संबंध में आईटीसी का पूर्ण क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार होता है, और गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त माल और/या सेवाओं के लिए कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता।

यदि सामान्य इनपुट, इनपुट सेवाएँ और पूंजीगत माल आंशिक रूप से व्यावसायिक और आंशिक रूप से गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो केवल व्यावसायिक उद्देश्यों से संबंधित अनुपातित आईटीसी ही उपलब्ध होता है।

भाग 17 की उप-भाग 1 (1) और (2) तथा नियम 42 और 43 में इस प्रकार के अनुपातित आईटीसी की गणना के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों पर अंतिम स्तर पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।



आईजीएसटी अधिनियम की भाग 16(2) यह निर्दिष्ट करती है कि शून्य-रेटेड सप्लाय करने के लिए इनवर्ड सप्लाय पर आईटीसी प्राप्त किया जा सकता है। शून्य-रेटेड सप्लाय वह शब्दावली है जो दो प्रकार की सप्लाय को कवर करती है: (i)

निर्यात, और (ii) किसी एसईजेड इकाई या एसईजेड डेवलपर को अधिकृत कार्यों के लिए सप्लाय। अतः, आईटीसी उन माल और/या सेवाओं पर उपलब्ध है जो निर्यात के दौरान या किसी एसईजेड इकाई या एसईजेड डेवलपर को की गई सप्लाय के लिए प्रयुक्त होती हैं।¹⁶



(8) एक पंजीकृत व्यक्ति जूते बनाने के व्यवसाय में है। उसने अपने मित्रों को 50 जोड़ी जूते निःशुल्क दिए। ऐसे 50 जोड़ी जूतों से संबंधित इनपुट और इनपुट सेवाओं पर आईटीसी, जो गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हुई हैं, उपलब्ध नहीं होगा।



(9) एक पंजीकृत व्यक्ति एक उत्पाद 'एक्स' का निर्माण करता है जिस पर 18% जीएसटी देय है, एक उत्पाद 'वाय' का निर्माण करता है जिस पर शून्य दर का कर लागू है, और एक उत्पाद 'जेड' का निर्माण करता है जिसे बंधपत्र के तहत कर भुगतान किए बिना निर्यात किया जाता है। सभी तीनों उत्पाद सामान्य इनपुट और इनपुट सेवाओं से निर्मित होते हैं। उत्पाद 'वाय' से संबंधित इनपुट और इनपुट सेवाओं पर आईटीसी, क्योंकि यह छूट प्राप्त सप्लाय है, उपलब्ध नहीं होगा।

ख. अवरुद्ध क्रेडिट [भाग 17(5)]

जीएसटी के तहत करयोग्य माल और/या सेवाओं की सप्लाय के लिए प्रयुक्त लगभग सभी इनपुट, इनपुट सेवाओं या पूंजीगत माल पर भुगतान किए गए कर का आईटीसी अनुमत है, सिवाय कुछ सीमित वस्तुओं की सूची के जो भाग 17(5) में दी गई हैं। अतः, ऐसे वस्तुओं पर आईटीसी अनुमत नहीं है, भले ही वे इनपुट, इनपुट सेवाओं या पूंजीगत माल के रूप में योग्य हों और व्यवसाय के संचालन या उसके प्रवर्धन के दौरान प्रयुक्त हों।



¹⁶ शून्य-रेटेड सप्लाय से संबंधित प्रावधानों पर अंतिम स्तर पर चर्चा की जा चुकी है।

अवरुद्ध क्रेडिट की सूची मुख्यतः व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं, ऐसे इनपुट और इनपुट सेवाओं को शामिल करती है जिनके उपयोग से अचल संपत्ति (सिवाय संयंत्र और मशीनरी) का निर्माण होता है, दूरसंचार टावर, निर्माण स्थल के बाहर बिछाई गई पाइपलाइनें, आदि, तथा कर चोरी के पता चलने पर भुगतान किए गए कर आदि।

जिन विभिन्न माल और/या सेवाओं पर क्रेडिट अवरुद्ध है, उन्हें नीचे चर्चा की गई है:

(i) मोटर वाहन और अन्य परिवहन साधन तथा संबंधित सेवाएँ (बीमा, सेवा और मरम्मत एवं रखरखाव)

मोटर वाहन और परिवहन साधनों को सीजीएसटी अधिनियम में परिभाषित किया गया है [संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत देखें]

मोटर वाहन में शामिल नहीं हैं -

- स्थायी पटरी पर चलने वाला वाहन
- किसी कारखाने या किसी बंद स्थान में उपयोग के लिए विशेष उद्देश्य वाले वाहन
- 4 पहियों से कम वाले वाहन जिनमें 25सीसी तक की इंजन क्षमता लगी हो - (अतः रेलवे, 25सीसी तक इंजन क्षमता वाले दो/तीन पहिया वाहन, साइकिल आदि मोटर वाहन की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।),

सारांशतः, कुछ अपवादों को छोड़कर मोटर वाहन, जहाज और विमान पर आईटीसी अवरुद्ध है। इसके अलावा, मोटर वाहन, जहाज और विमान से संबंधित कुछ सेवाओं जैसे सामान्य बीमा, सेवा और मरम्मत एवं रखरखाव पर भी आईटीसी अवरुद्ध है। मूल सिद्धांत यह है कि जिन मोटर वाहन, जहाज और विमानों पर आईटीसी अवरुद्ध है, उनसे संबंधित बीमा, सेवा और मरम्मत एवं रखरखाव सेवाओं पर भी आईटीसी अवरुद्ध है। मोटर वाहन, जहाज, विमान और संबंधित सेवाओं से संबंधित अवरुद्ध क्रेडिट अगले पृष्ठ पर चर्चा की गई है:

क्रमांक	वह माल और/या सेवाएँ जिन पर क्रेडिट अवरुद्ध है	उल्लिखित माल और/या सेवाओं (स्तंभ 2) पर क्रेडिट की अनुमति के अपवाद	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन, जिनकी बैठने की क्षमता ≤ 13 व्यक्ति (चालक सहित) - <u>इस तालिका में इन्हें अयोग्य मोटर वाहन के रूप में संदर्भित किया गया है</u>	<p>अयोग्य मोटर वाहन जब निम्नलिखित योग्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं -</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ऐसे मोटर वाहनों की आगे करयोग्य आपूर्ति करने के लिए (जैसे, मोटर वाहन व्यापारी)* <i>[इस तालिका के नीचे दिए गए डेमो वाहनों पर आईटीसी की उपलब्धता पर चर्चा देखें।]</i> ➤ यात्रियों के परिवहन की करयोग्य आपूर्ति करने के लिए (जैसे, यात्रा संचालक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त अयोग्य मोटर वाहनों पर आईटीसी की अनुमति नहीं है। <input type="checkbox"/> 13 व्यक्तियों (चालक सहित) तक की बैठने की क्षमता वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) किसी भी प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त है। <input type="checkbox"/> अयोग्य मोटर वाहनों के अलावा अन्य मोटर वाहनों (जैसे, माल परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहन) पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अनुमति प्राप्त है।

		<p>परिवहन सेवाओं) पर;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ऐसे मोटर वाहनों (जैसे, मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूल) पर प्रशिक्षण प्रदान करने की करयोग्य आपूर्ति करना 	<p>डंपर, टिपर आदि) किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने पर अनुमति प्राप्त है।</p>
(ii)	जहाज़ और विमान	<p>जहाज़ और विमान जब निम्नलिखित योग्य प्रयोजनों में किसी एक के लिए प्रयुक्त हों—</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ऐसे जहाज़ों या विमानों की आगे करयोग्य आपूर्ति करना; ➤ यात्रियों के परिवहन की करयोग्य आपूर्ति करना; ➤ ऐसे जहाज़ों को संचालित करने पर प्रशिक्षण प्रदान करने की करयोग्य आपूर्ति करना; ➤ ऐसे विमानों को उड़ाने पर प्रशिक्षण प्रदान करने की करयोग्य आपूर्ति करना ; 	<p>योग्य प्रयोजनों के अलावा किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जहाज़ और विमान पर आईटीसी अनुमति प्राप्त नहीं है।</p>

		➤ माल परिवहन।	
(iii)	<p>सामान्य बीमा, सेवा, मरम्मत और रखरखाव जो निम्नलिखित से संबंधित हो:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ अयोग्य मोटर वाहन ➤ जहाज़ ➤ विमान 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> अयोग्य मोटर वाहन, जहाज़ या विमान से संबंधित ऐसी सेवाएँ जब योग्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हों <input type="checkbox"/> जब ऐसी सेवाएँ प्राप्त की जाएं— <ul style="list-style-type: none"> ○ अयोग्य मोटर वाहन, जहाज़ या विमान के निर्माता द्वारा; या ○ अयोग्य मोटर वाहन, जहाज़ या विमान के संबंध में सामान्य बीमा सेवाओं के प्रदाता द्वारा, जिन्हें उसने बीमित किया हो 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> मोटर वाहन, जहाज़ या विमान से संबंधित सामान्य बीमा, सेवा, मरम्मत और रखरखाव की सेवाओं पर आईटीसी अनुमति प्राप्त नहीं है, जिन पर आईटीसी अनुमति प्राप्त नहीं है। <input type="checkbox"/> मोटर वाहन, जहाज़ या विमान से संबंधित सामान्य बीमा, सेवा, मरम्मत और रखरखाव की सेवाओं पर आईटीसी अनुमति प्राप्त है, जिन पर आईटीसी अनुमति प्राप्त है।
(iv)	<p>मोटर वाहन, जहाज़ या विमान का लीज़, किराया या किराये पर देना</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> जब ऐसी सेवाएँ समान श्रेणी की सेवाओं की बाह्य करयोग्य आपूर्ति करने के लिए 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> मोटर वाहनों के लीज़, किराया या किराये पर लेने पर आईटीसी

	विमान, जिन पर आईटीसी अनुमति प्राप्त नहीं है	या करयोग्य संयुक्त या मिश्रित आपूर्ति के तत्व के रूप में प्रयुक्त हों <input type="checkbox"/> जब ऐसी सेवाएँ किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वैधानिक दायित्व के अंतर्गत प्रदान की जाएँ	जहाज़ या विमान, जिन पर आईटीसी अनुमति प्राप्त है, पर आईटीसी भी अनुमति प्राप्त है।** <input type="checkbox"/> ऐसी सेवाओं पर आईटीसी उप-ठेका लेने के मामले में अनुमति प्राप्त है, अर्थात् जब ऐसी सेवाएँ उस करदाता द्वारा प्रयुक्त हों जो उसी व्यवसाय क्षेत्र में हो।
--	---	--	---



**** उपरोक्त तालिका में उल्लिखित "लीज़िंग" शब्द केवल मोटर वाहन, जहाज़ और विमान के लीज़िंग को संदर्भित करता है, और किसी अन्य वस्तु के लीज़िंग को नहीं।**

अतः मोटर वाहन, जहाज़ और विमान के लीज़िंग के अलावा अन्य लीज़िंग के मामले में आईटीसी का लाभ प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।¹⁷

डेमो वाहनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता के संबंध में स्पष्टीकरण, जो यात्रियों के परिवहन हेतु प्रयुक्त मोटर वाहन हैं, जिनकी स्वीकृत बैठने की क्षमता 13 व्यक्तियों से अधिक नहीं है (चालक सहित), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की भाग 17(5)¹⁸ की खंड (a) के प्रावधानों के अनुसार।

चूंकि डेमो वाहन अधिकृत डीलरों द्वारा संभावित खरीदारों को ट्रायल रन प्रदान करने और वाहन की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इससे संभावित खरीदा

रों को किसी विशेष प्रकार के मोटर वाहन को खरीदने का निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अतः, चूंकि डेमो वाहन समान प्रकार के मोटर वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देते हैं, उन्हें डीलर द्वारा करयोग्य आपूर्ति करने के उद्देश्य से प्रयुक्त माना जा सकता है।

¹⁷ सर्कुलर संख्या 172/04/2022 जीएसटी दिनांक 06.07.2022

¹⁸ सर्कुलर संख्या 231/25/2024 जीएसटी दिनांक 10.09.2024

'ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति'। अतः, डेमो वाहनों के संबंध में इनपुट कर ऋण को सीजीएसटी अधिनियम की भाग 17(5) के खंड (क) के अंतर्गत अवरुद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि इसे ऐसे अवरोध से उप-खंड (क) के प्रावधान के अनुसार बाहर रखा गया है। उक्त खंड के उप-खंड (क) के अनुसार।



(10) कर्मचारियों के आधिकारिक उपयोग हेतु किसी विनिर्माण कंपनी द्वारा खरीदे गए कारों पर लिए गए इनपुट कर क्रेडिट को अवरुद्ध किया गया है।

(11) ग्राहकों को बिक्री के उद्देश्य से किसी कार डीलर द्वारा खरीदी गई कारों पर इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति है।

(12) यात्रियों के परिवहन के लिए कारों के किराये के व्यवसाय में संलग्न किसी कंपनी द्वारा खरीदी गई कारों पर इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति है।

(13) ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किसी कार ड्राइविंग स्कूल द्वारा खरीदी गई कारों पर इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति है।

(14) कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से कार्यालय तक तथा वापसी हेतु परिवहन करने के लिए किसी कंपनी द्वारा खरीदी गई (24 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाली) बसों पर इनपुट कर क्रेडिट की अनुमति है।

(15) कंपनी द्वारा अपनी तैयार माल की परिवहन के लिए खरीदी गई ट्रकों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति है।

(16) किसी विनिर्माण कंपनी द्वारा अपने सीईओ के आधिकारिक उपयोग के लिए खरीदे गए विमान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अवरुद्ध है।

(17) विमान उड़ाने का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले एविएशन स्कूल द्वारा खरीदे गए विमान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अनुमति है।

(18) किसी विनिर्माण कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कार पर लिया गया सामान्य बीमा पर आईटीसी अवरुद्ध है।

(19) कंपनी द्वारा अपनी तैयार माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रक की रखरखाव एवं मरम्मत सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति है।

(20) किसी कार निर्माण कंपनी द्वारा निर्मित कारों पर लिया गया सामान्य बीमा सेवा पर आईटीसी की अनुमति है।

(21) के निदेशकों की आधिकारिक यात्रा के लिए खरीदी गई बिजनेस जेट पर आईटीसी अवरुद्ध है।

(ii) भोजन एवं पेय पदार्थ, आउटडोर कैटरिंग, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सेवाएं

क्रमांक	वस्तुएँ और/या सेवाएँ जिन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरुद्ध है	कॉलम (2) में उल्लिखित वस्तुओं और/या सेवाओं के लिए अपवाद, जिन पर क्रेडिट की अनुमति है	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भोजन और पेय पदार्थ ➤ आउटडोर कैटरिंग ➤ सौंदर्य उपचार ➤ स्वास्थ्य सेवाएं ➤ कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी ➤ जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ ऐसे वस्तुएँ और/या सेवाएँ, जब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा समान श्रेणी की वस्तुओं और/या सेवाओं की बाह्य कर योग्य आपूर्ति करने या कर योग्य सम्मिश्रित (कॉम्पोजिट) या मिश्रित (मिक्स्ड) आपूर्ति के तत्व के रूप में उपयोग की जाती हैं। ❑ ऐसे वस्तुएँ और/या सेवाएँ, जब किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वैधानिक दायित्व के तहत प्रदान की जाती हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ ऐसे वस्तुएँ और/या सेवाएँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट सब-कॉन्ट्रैक्टिंग के मामले में अनुमति है, अर्थात् जब ये वस्तुएँ और/या सेवाएँ उसी व्यवसाय में संलग्न करदाता द्वारा उपयोग की जाती हैं, जैसे कि किसी अन्य आउटडोर कैटरर द्वारा ली गई आउटडोर कैटरिंग सेवा। ❑ जब ऐसे वस्तुएँ और/या सेवाएँ किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं

			कर्मचारियों को बिना किसी वैधानिक दायित्व के प्रदान की गई सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरुद्ध है।
(ii)	क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस सेंटर की सदस्यता	ऐसी सेवाएँ, जब नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वैधानिक दायित्व के तहत प्रदान की जाती हैं।	जब ऐसे वस्तुएँ और/या सेवाएँ किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना किसी वैधानिक दायित्व के प्रदान की जाती हैं, तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरुद्ध है।
(iii)	कर्मचारियों को छुट्टी या गृह यात्रा भत्ता जैसी छुट्टियों पर दिए जाने वाले यात्रा लाभ		



(22) किसी विनिर्माण कंपनी द्वारा अपनी स्थापना की 10वीं वर्षगांठ पर अपने ग्राहकों को निःशुल्क परोसे जाने वाले भोजन सामग्री की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरुद्ध है।

(23) अमृतसर के कैटर एबी एंड कंपनी को लुधियाना में आयोजित होने वाली शादी में कैटरिंग का अनुबंध प्रदान किया गया है।

फर्म ने शादी में परोसे जाने वाले स्नेक्स की आपूर्ति का अनुबंध लुधियाना के स्थानीय कैटरर सीडी एंड संस को दिया है। एबी एंड कंपनी द्वारा ली गई ऐसी आउटडोर कैटरिंग सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति है।

(24) किसी वस्त्र निर्यातक द्वारा अपने संभावित ग्राहकों के लिए आयोजित मार्केटिंग इवेंट के लिए ली गई आउटडोर कैटरिंग सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरुद्ध है।

(25) कंपनी द्वारा अपने कारखाने में निःशुल्क कैंटीन चलाने के लिए ली गई आउटडोर कैटरिंग सेवा। फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948 के अनुसार कंपनी को अपने कारखाने में कैंटीन स्थापित करना आवश्यक है। ऐसे आउटडोर कैटरिंग पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति है।

(26) कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने किसी क्लब की सदस्यता ली है, जिसकी फीस कंपनी द्वारा भुगतान की गई। ऐसी सेवा पर आईटीसी अवरुद्ध है अवरुद्ध।

(27) कंपनी द्वारा अपने उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के लिए निःशुल्क अवकाश आयोजित करने हेतु किसी ट्रेवल एजेंसी की सेवाएँ लेने पर ऐसी सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरुद्ध है।

(iii) अचल संपत्ति के निर्माण के लिए कार्य अनुबंध सेवाएँ [भाग 17(5) के खंड (क) का प्रावधान]

एक प्रमुख इनपुट सेवा, जिस पर आईटीसी अवरुद्ध है, वह निर्माण गतिविधि से संबंधित इनपुट सेवा है, जैसे कार्यालय भवन, फैक्ट्री भवन आदि का निर्माण (सिवाय उन व्यक्तियों के जैसे बिल्डर्स, डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, जो दूसरों के लिए निर्माण कार्य कर रहे हैं)। हालांकि, कार्यालय और फैक्ट्री भवन की मरम्मत, रखरखाव, नवीनीकरण आदि जैसी सामान्य निर्माण संबंधित सेवाओं पर आईटीसी उपलब्ध है। अतः सामान्य रूप से, जब निर्माण संबंधी खर्चों को लेखा पुस्तकों में पूंजीगत खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है, तो निर्माण सेवाओं का आईटीसी उपलब्ध नहीं होता। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी खर्च का पूंजीकरण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि करदाता आईटीसी लेना चाहता है या नहीं, बल्कि यह लेखा मानकों और सामान्य स्वीकृत लेखा प्रथाओं के आधार पर तय होता है।

वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा सीजीएसटी अधिनियम में दी गई है [संदर्भ: प्रासंगिक परिभाषाएँ]। मूल रूप से, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक सम्मिश्रित आपूर्ति है जिसमें वस्तुएँ और सेवाएँ दोनों शामिल होती हैं। पूर्व कानूनों के तहत, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में चल और अचल संपत्तियों से संबंधित कार्य शामिल थे। हालाँकि, जीएसटी कानून के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सीमा केवल अचल संपत्ति तक सीमित कर दी गई है।

अचल संपत्ति का अर्थ

अचल संपत्ति को जीएसटी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः हमें अचल संपत्ति की परिभाषा के लिए अन्य कानूनों को देखना होगा। साधारण खंड अधिनियम, 1897 की भाग 3(26) के अनुसार, अचल संपत्ति में भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, और धरती से जुड़ी वस्तुएँ या किसी ऐसी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी वस्तुएँ शामिल हैं। "धरती से जुड़ा हुआ" शब्द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की भाग 3 में निम्नलिखित अर्थ में परिभाषित है:

(क) पृथ्वी में निहित, जैसे वृक्षों और झाड़ियों के मामले में; [हालाँकि, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत "अचल संपत्ति" की परिभाषा में खड़े वृक्ष, उगती हुई फसलें अथवा घास सम्मिलित नहीं हैं।]
 (ख) पृथ्वी में संलग्न, जैसे दीवारों या भवनों के मामले में।
 (ग) ऐसी संलग्न वस्तु से जुड़ा हुआ जो स्थायी रूप से उस वस्तु के लाभप्रद उपभोग के लिए संलग्न हो जिससे वह जुड़ा हुआ है।

जीएसटी कानून के अंतर्गत, कार्य अनुबंध (वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट) की मिश्रित आपूर्ति को सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची II के अनुच्छेद 6(क) के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति माना गया है।

अचल संपत्ति के निर्माण हेतु किए गए कार्य अनुबंध सेवाओं पर **इनपुट कर साख** की अनुमति नहीं है, सिवाय उन स्थितियों के जब

- यह कार्य अनुबंध सेवा की आगे आपूर्ति (उप-ठेका) के लिए इनपुट सेवा के रूप में प्रयुक्त की जाती है;

[कार्य अनुबंध सेवाओं पर इनपुट कर साख केवल वही करदाता प्राप्त कर सकता है जो उसी व्यवसाय में संलग्न हो, अर्थात् केवल कार्य ठेकेदार ही अपने द्वारा प्राप्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर आईटीसी का लाभ ले सकता है।]

- अचल संपत्ति संयंत्र एवं मशीनरी है।

[पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न संयंत्र एवं मशीनरी को अचल संपत्ति माना जाता है। तथापि, ऐसे संयंत्र एवं मशीनरी के निर्माण में प्रयुक्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति अपवादस्वरूप प्रदान की गई है।]

निर्माण का अर्थ

“निर्माण” में उस अचल संपत्ति पर पूंजीकरण की सीमा तक पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, संवर्धन या परिवर्तन अथवा मरम्मत शामिल हैं।

अतः यदि पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, संवर्धन या परिवर्तन अथवा मरम्मत का पूंजीकरण नहीं किया जाता है, तो इसे जीएसटी कानून के अंतर्गत “निर्माण” के रूप में नहीं माना जाएगा। फलस्वरूप, ऐसी निर्माण गतिविधियों के लिए प्राप्त किए गए कार्य अनुबंध सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिनका पूंजीकरण नहीं किया गया है, चाहे वह किसी भी अचल संपत्ति के लिए हो या किसी भी संयंत्र और मशीनरी के लिए, सभी प्राप्तकर्ताओं को उनके व्यवसाय की प्रकृति की परवाह किए बिना अनुमत होगा।

यंत्र और मशीनरी का अर्थ

“यंत्र और मशीनरी” का अर्थ है ऐसे उपकरण, यंत्र और मशीनरी जो किसी नींव या संरचनात्मक सहारे द्वारा पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़े हों और जो माल और/या सेवाओं की बाह्य आपूर्ति के लिए प्रयुक्त हों तथा इसमें **ऐसी नींव या संरचनात्मक सहारा भी शामिल है।**

परन्तु इसमें शामिल नहीं है

भूमि, भवन या अन्य नागरिक संरचनाएँ, दूरसंचार टावर, और कारखाने के परिसर के बाहर लगाए गए पाइपलाइन।

अतः पात्र यंत्र और मशीनरी के निर्माण के लिए प्राप्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्तकर्ता को उसके व्यवसाय की प्रकृति की परवाह किए बिना तथा इस बात की परवाह किए बिना कि उक्त व्यय प्राप्तकर्ता द्वारा पूंजीकृत किया गया है या नहीं, अनुमत है।

उदाहरण के लिए, किसी नींव द्वारा पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़ी मशीनरी के निर्माण के लिए प्राप्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत होगा। हालाँकि, दूरसंचार टावरों के निर्माण के लिए प्राप्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर आईटीसी अवरुद्ध होगा।



(28) किसी सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा अपने कार्यालय के निर्माण के लिए प्राप्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरुद्ध है।

(29) नोएडा का कार्य अनुबंधक सीडी एंड को. को लखनऊ में एक व्यावसायिक परिसर के निर्माण का अनुबंध दिया गया है। इस फर्म ने परिसर के निर्माण के लिए लखनऊ के स्थानीय कार्य अनुबंधक ईएफ एंड को.की सेवाएँ प्राप्त की हैं। ऐसे कार्य अनुबंध सेवाओं पर सीडी एंड को. द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत है।

(30) किसी ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा उस नींव के निर्माण के लिए प्राप्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर, जिस पर उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी स्थायी रूप से स्थापित की जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत है।

(31) किसी विनिर्माण कंपनी द्वारा अपने कारखाने के बाहर लगाए जाने वाले पाइपलाइनों के निर्माण के लिए प्राप्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरुद्ध है।

(32) एक परामर्श फर्म ने अपने कार्यालय भवन की मरम्मत के लिए एक कार्य अनुबंधक की सेवाएँ प्राप्त की हैं। कंपनी ने इस प्रकार के व्यय को अपने लाभ और हानि खाते में दर्ज किया है। ऐसे सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत है।

(33) एक दूरसंचार कंपनी ने अपने कार्यालय भवन की मरम्मत के लिए एक कार्य अनुबंधक की सेवाएँ प्राप्त की हैं। कंपनी ने इस प्रकार के व्यय को पूंजीकृत किया है। ऐसे सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरुद्ध है।



अचल संपत्ति के निर्माण के लिए प्राप्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में उपलब्ध है:

- (i) जब कार्य अनुबंध सेवाएँ किसी कार्य अनुबंधक द्वारा आगे अन्य कार्य अनुबंध सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त की जाती हैं।
- (ii) पात्र यंत्र और मशीनरी के निर्माण के लिए। इस स्थिति में, आईटीसी सभी प्राप्तकर्ताओं को उनके व्यवसाय की प्रकृति और इस बात की परवाह किए बिना कि व्यय पूंजीकृत किया गया है या नहीं, अनुमत है।
- (iii) जब कार्य अनुबंध सेवा का मूल्य पूंजीकृत नहीं किया गया हो। इस स्थिति में, आईटीसी सभी प्राप्तकर्ताओं को उनके व्यवसाय की प्रकृति की परवाह किए बिना अनुमत है।

(iv) अचल संपत्ति का स्वयं-निर्माण [भाग 17(5) की खंड (घ) के प्रावधान]

तो अब हम जानते हैं कि अचल संपत्ति (प्लांट और मशीनरी के अलावा) के निर्माण के लिए किसी कार्य ठेकेदार के अलावा किसी करदाता द्वारा प्राप्त कार्य अनुबंध सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर कोई करदाता माल और सेवाएँ प्राप्त करता है और अचल संपत्ति का निर्माण करता है, जिसका उपयोग व्यवसाय के संचालन या विस्तार के लिए किया जाना है, बिना किसी कार्य ठेकेदार की सेवाएँ लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या आईटीसी की अनुमति होगी?

उत्तर है नहीं। किसी करदाता को अपनी ओर से अचल संपत्ति (प्लांट और मशीनरी के अलावा) के निर्माण के लिए प्राप्त माल और/या सेवाओं पर आईटीसी की अनुमति नहीं है, भले ही ऐसे माल और/या सेवाएँ व्यवसाय के संचालन या विस्तार में उपयोग की जा रही हों। इस प्रकार, अचल संपत्ति के निर्माण में प्रयुक्त माल और/या सेवाओं पर आईटीसी केवल उन ही मामलों में अवरुद्ध होता है, जहाँ करदाता अपनी स्वयं की उपयोग के लिए अचल संपत्ति का निर्माण करता है, भले ही निर्माणाधीन अचल संपत्ति का उपयोग व्यवसाय के संचालन या विस्तार में किया जा

रहा हो अपने व्यवसाय के विस्तार।

'निर्माण' और 'यंत्र एवं मशीनरी' शब्दों पर चर्चा कार्य अनुबंध सेवाओं के लिए [उपरोक्त बिंदु (iii) में विस्तारित] स्व-निर्माण (अपने खाते पर निर्माण) पर भी लागू होता है।



अचल संपत्ति के निर्माण में प्रयुक्त माल और/या सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में ही उपलब्ध है:

- (i) योग्य यंत्र एवं मशीनरी के निर्माण के लिए
- (ii) जब माल और/या सेवाओं का मूल्य पूंजीकृत नहीं किया गया हो
- (iii) जब निर्माण अपने खाते पर नहीं किया जा रहा हो



(34) एक कंपनी अपने कार्यालय भवन के निर्माण के लिए सीमेंट, टाइल्स आदि खरीदती है और एक आर्किटेक्ट की सेवाएँ प्राप्त करती है। ऐसे माल और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवरुद्ध है।

(35) अपने एक ग्राहक के लिए एक वाणिज्यिक परिसर के निर्माण के लिए सीमेंट, पेंट, लोहे की छड़ें और आर्किटेक्ट तथा इंटीरियर डिजाइनरों की सेवाएँ प्राप्त करता है। ऐसे माल और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट एमएन एंड को. को अनुमति है।

(36) एक कंपनी अपने कार्यालय भवन के नवीनीकरण के लिए सीमेंट, टाइल्स आदि खरीदती है और आर्किटेक्ट की सेवाएँ प्राप्त करती है। कंपनी ने ऐसे खर्च को अपने लाभ और हानि खाते में दर्ज किया है। ऐसे माल और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमति है।

(37) एक ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा उस नींव के निर्माण में प्रयुक्त माल और/या सेवाओं पर, जिस पर मशीनरी (जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त होगी) स्थायी रूप से स्थापित की जानी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमति है।

भाग 17(5)¹⁹ के संदर्भ में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसीएस) के नेटवर्क में प्रयुक्त डक्ट्स और मैनहोल्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता पर स्पष्टीकरण

मुद्दा: क्या दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसीएस) के नेटवर्क में प्रयुक्त डक्ट्स और मैनहोल्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है?

¹⁹ परिपत्र संख्या 219/13/2024 जीएसटी दिनांक 26.06.2024

क्या भाग 17(5) के खंड (ग) और (घ) के प्रावधानों, साथ ही भाग 17 के व्याख्या के संदर्भ में ऐसी सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्जित है?

स्पष्टीकरण: डक्ट्स और मैनहोल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) नेटवर्क के मूल घटक हैं, जो दूरसंचार सेवाओं के प्रदायन में उपयोग होते हैं। ओएफसी नेटवर्क सामान्यतः पीवीसी डक्ट्स/शीथ्स का उपयोग करके बिछाया जाता है, जिनमें ओएफसीएस को रखा जाता है, और सर्विस/कनेक्टिविटी मैनहोल्स होते हैं, जो नेटवर्क के नोड्स के रूप में कार्य करते हैं और केवल ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए भी आवश्यक हैं। भाग 17 के व्याख्या के दृष्टिगत, ऐसा प्रतीत होता है कि डक्ट्स और मैनहोल्स को “यंत्र एवं मशीनरी” की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें ओएफसी नेटवर्क के भाग के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूरसंचार संकेतों के संचरण की बाहरी आपूर्ति की जा सके।

इसके अतिरिक्त, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसीएस) के नेटवर्क में प्रयुक्त डक्ट्स और मैनहोल्स को भाग 17 के व्याख्या में “यंत्र एवं मशीनरी” की परिभाषा से विशेष रूप से बाहर नहीं रखा गया है, क्योंकि ये न तो भूमि, भवन या सिविल संरचनाओं के स्वरूप के हैं और न ही फैक्ट्री परिसर के बाहर बिछाए गए दूरसंचार टावर या पाइपलाइन के स्वरूप के हैं।

तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसीएस) के नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले ऐसे डक्ट्स एवं मैनहोल्स के संबंध में, भाग 17(5) के खंड (ग) अथवा खंड (घ) के अंतर्गत, इनपुट कर क्रेडिट के उपभोग पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(v) संघटन कर के अंतर्गत करारोपित अंतः आपूर्तियाँ [भाग 17(5) के खंड (ड)]

संघटन योजना के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता अपने ग्राहकों से कर की वसूली नहीं कर सकता। अतः ऐसा आपूर्तिकर्ता कर चालान के स्थान पर आपूर्ति बिल जारी करता है। संघटन करदाता अपनी त्रैमासिक कारोबार राशि पर निर्धारित दर से एकमुश्त कर का भुगतान करता है।

संघटन योजना के अंतर्गत वस्तुओं एवं/या सेवाओं पर चुकाया गया कर प्राप्तकर्ता के लिए इनपुट कर क्रेडिट के रूप में उपलब्ध नहीं होगा।

चूंकि संघटन आपूर्तिकर्ता अपनी आपूर्तियों पर प्राप्तकर्ता से कोई कर वसूल नहीं कर सकता, अतः यह स्पष्ट है कि ऐसी आपूर्तियों के संबंध में कोई इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता।

ऐसी आपूर्तियों के संबंध में प्राप्तकर्ताओं द्वारा कोई इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता। तथापि, भाग 17(5)(ई) में विशेष रूप से यह उपबंधित किया गया है कि संघटन आपूर्तिकर्ता से प्राप्त किसी करयोग्य व्यक्ति की अंतः आपूर्तियों पर इनपुट कर क्रेडिट अवरुद्ध रहेगा।

(vi) गैर-निवासी करयोग्य द्वारा प्राप्त अंतः आपूर्तियाँ [भाग 17(5) के खंड (च)]

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में गैर-निवासी करयोग्य व्यक्ति की परिभाषा दी गई है [देखें – संबंधित परिभाषाएँ शीर्षक के अंतर्गत]। मूल रूप से, गैर-निवासी करयोग्य व्यक्ति का भारत में कोई स्थायी व्यवसाय स्थान नहीं होता, परंतु वह भारत में अनियमित रूप से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है।

ऐसे गैर-निवासी करयोग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं एवं/या सेवाओं पर चुकाया गया कर, इनपुट कर क्रेडिट के रूप में उपलब्ध नहीं होगा। तथापि, उसके द्वारा आयातित वस्तुओं पर चुकाया गया कर, इनपुट कर क्रेडिट के रूप में अनुमन्य होगा।



जहाँ एक ओर गैर-निवासी करयोग्य व्यक्ति द्वारा आयातित वस्तुओं पर इनपुट कर क्रेडिट अनुमन्य है, वहीं उसके द्वारा आयातित सेवाओं पर इनपुट कर क्रेडिट अवरुद्ध रहेगा।

(vii) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रयोजन हेतु उपयोग की गई / उपयोग किए जाने का अभिप्राय रखने वाली अंतः आपूर्तियाँ [भाग 17(5) के खंड (छक)]

किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की भाग 135 के अंतर्गत निर्दिष्ट कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित दायित्वों के पालन हेतु उपयोग की जाती हैं या उपयोग किए जाने का अभिप्राय रखती हैं, इनपुट कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसी रणनीति है जिसे कंपनियाँ केवल अपने लाभ में वृद्धि करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आस-पास की दुनिया में सक्रिय एवं सकारात्मक सामाजिक भूमिका निभाने के उद्देश्य से अपनाती हैं। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों का उद्देश्य कंपनी के समुदाय को योगदान देने के प्रयासों को एक संरचना प्रदान करना, परोपकारी कार्यों में भाग लेना तथा सामाजिक दृष्टि से सकारात्मक मूल्य प्रदान करना है। व्यवसाय अब तेजी से सीएसआर को अपनाकर समाज में परिवर्तन लाने और अपनी कंपनी के चारों ओर एक सकारात्मक ब्रांड छवि स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं।

(viii) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्राप्त इनपुट की आपूर्ति [भाग 17(5) की खंड (ग)]


भाग 16 में माल और/या सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रमुख शर्तों में से एक यह है कि ऐसे माल और/या सेवाएँ व्यवसाय के संचालन या विस्तार के दौरान उपयोग की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जहाँ माल और/या सेवाएँ आंशिक रूप से किसी व्यवसाय के उद्देश्य के लिए और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं, भाग 17(1) उस आईटीसी को केवल व्यवसायिक उद्देश्यों से संबंधित हिस्से तक सीमित करती है।

इसके अतिरिक्त, भाग 17(5)(ग) विशेष रूप से उन माल और/या सेवाओं पर आईटीसी को अवरुद्ध करती है जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग की जाती हैं।

‘व्यक्तिगत उपभोग’ शब्द को जीएसटी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः इसे सामान्य अर्थ में समझा जा सकता है, जिसका तात्पर्य गैर-व्यावसायिक उपयोग से है।



(38) श्री एक्स के पास एक किराने की दुकान है। वह अपनी दुकान में बिक्री के लिए चावल, गेहूँ और बिस्कुट खरीदता है। खरीदी गई इन्वेंट्री में से वह 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ अपनी पत्नी को घरेलू उपयोग के लिए देता है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए होने के कारण, 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ पर आईटीसी अवरुद्ध है।

(ix) मुफ्त नमूने, उपहार, खोए/चोरी हुए माल आदि [भाग 17(5) की खंड (घ)]

उपहार या मुफ्त नमूनों के रूप में वितरित किए गए माल पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, खोए हुए माल, चोरी हुए माल, नष्ट किए गए माल और लेखा में लिख-कर समाप्त किए गए माल पर भी आईटीसी अवरुद्ध है। इसका कारण यह है कि मूलतः आईटीसी केवल आउटपुट आपूर्ति पर कर भुगतान के लिए उपलब्ध होता है। यदि आउटपुट आपूर्ति पर कोई कर देय नहीं है, तो ऐसे आउटपुट आपूर्ति से संबंधित इनपुट/इनपुट सेवा/पूँजीगत माल पर आईटीसी पात्र नहीं होता। अतः उपहार और मुफ्त नमूनों पर आईटीसी अवरुद्ध है क्योंकि उनकी बाह्य आपूर्ति पर कोई कर देय नहीं है। इसी प्रकार, खोए/नष्ट/चोरी किए गए या लेखा में लिख-कर समाप्त किए गए माल पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन मालों का कर योग्य आपूर्ति के लिए उपयोग कहा नहीं जा सकता।

'उपहार' का अर्थ

'उपहार' शब्द को जीएसटी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। अतः हमें उपहार की परिभाषा अन्य कानूनों में देखनी होगी। 1882 के संपत्ति अंतरण अधिनियम की भाग 122 में उपहार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह एक निश्चित मौजूदा चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण है, जो स्वेच्छा से और बिना किसी प्रतिफल के एक व्यक्ति (जिसे दाता कहा जाता है) द्वारा दूसरे व्यक्ति (जिसे ग्राही कहा जाता है) को किया जाता है और जिसे ग्राही या उसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

सामान्य भाषा में, उपहार बिना किसी प्रतिफल के दिया जाता है, स्वेच्छा पर आधारित होता है और कभी-कभी ही दिया जाता है। इसे अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता।

'नमूना का अर्थ

'नमूना' शब्द को भी जीएसटी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। शब्दकोशीय अर्थ में, नमूना "एक छोटा भाग या मात्रा जो यह दिखाने के लिए है कि सम्पूर्ण वस्तु कैसी है"। वाणिज्यिक भाषा में, नमूने संभावित ग्राहकों को दिए जाते हैं ताकि वे किसी वस्तु को खरीदने का निर्णय लेने से पहले उसकी गुणवत्ता का परीक्षण कर सकें।

बिक्री संवर्धन योजनाओं के संबंध में आपूर्तिकर्ता के पास आईटीसी

सर्कुलर संख्या 92/11/2019 जीएसटी दिनांक 07.03.2019 में विभिन्न बिक्री संवर्धन योजनाओं के संबंध में आपूर्तिकर्ता के हाथों में आईटीसी के अधिकार को स्पष्ट किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है [इस प्रकार की योजनाओं की कर योग्यता का अध्ययन सामग्री के माँड्यूल 1 के अध्याय 2: जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति और अध्याय 7: आपूर्ति का मूल्य में संबंधित स्थानों पर चर्चा की गई है]:

(क) नमूने और मुफ्त उपहार

बिना किसी प्रतिफल के मुफ्त में प्रदान किए जाने वाले नमूने जीएसटी के अंतर्गत “आपूर्ति” के रूप में योग्य नहीं होते, सिवाय उन मामलों के जहां यह गतिविधि जीएसटी अधिनियम की अनुसूची 1 के दायरे में आती हो।

उपहार या बिना किसी प्रतिफल के वितरित किए गए मुफ्त नमूनों से संबंधित इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल पर आपूर्तिकर्ता को आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि उपहार या मुफ्त नमूनों के वितरण की गतिविधि उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निहित प्रावधानों के कारण “आपूर्ति” के दायरे में आती है, तो आपूर्तिकर्ता आईटीसी का लाभ लेने के पात्र होंगे।

(ख) एक खरीदें, एक मुफ्त पाएं ऑफ़र

यह मुफ्त माल की व्यक्तिगत आपूर्ति नहीं है, बल्कि यह दो या अधिक व्यक्तिगत आपूर्ति का मामला है, जहां संपूर्ण आपूर्ति के लिए एक ही मूल्य लिया जा रहा है। इसे अधिकतम दो वस्तुओं की आपूर्ति एक वस्तु के मूल्य पर करने के रूप में ही माना जा सकता है।

इस प्रकार की आपूर्ति की कर योग्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि आपूर्ति सम्मिश्रित आपूर्ति है या मिश्रित आपूर्ति, और कर की दर भाग 8 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

इस प्रकार के ऑफ़र के अंतर्गत माल या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल पर आपूर्तिकर्ता आईटीसी लेने के पात्र होंगे।

(ग) छूट, जिसमें ‘जितना अधिक खरीदें, उतना अधिक बचाएं’ ऑफ़र शामिल हैं

ग्राहकों को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई छूट (जिसमें “जितना अधिक खरीदें, उतना अधिक बचाएं” योजना के तहत क्रमिक छूट और आपूर्ति के समय या पहले स्थापित की गई आपूर्ति पश्चात/वॉल्यूम छूट शामिल हैं) आपूर्ति के मूल्य को निर्धारित करने में शामिल नहीं की जाएंगी, बशर्ते कि वे भाग 15(3) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करें, जिसमें आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा दस्तावेज़(ओं) के आधार पर छूट से संबंधित आईटीसी की वापसी शामिल है, जो आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए हैं।

हालांकि, आपूर्तिकर्ता ऐसे इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल पर आईटीसी लेने के पात्र होंगे,

जो इस प्रकार की छूट के अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से संबंधित हैं।

(घ) द्वितीयक छूट

ये वे छूट हैं जो आपूर्ति के समय ज्ञात नहीं होतीं या आपूर्ति पूर्ण होने के बाद दी जाती हैं। ऐसी छूट आपूर्ति के मूल्य को निर्धारित करते समय बाहर नहीं की जाएंगी। इस मामले में आपूर्तिकर्ता के हार्थों आईटीसी की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

समय सीमा समाप्त होने वाली दवाओं/औषधियों की वापसी को नई आपूर्ति के रूप में माना जाने पर आईटीसी की वापसी

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सामान्य व्यापार प्रथा यह है कि दवाओं या औषधियों (इसे आगे "माल" कहा जाएगा) को निर्माता द्वारा थोक विक्रेता को और थोक विक्रेता द्वारा खुदरा विक्रेता को, जैसे मामला हो, चालान/आपूर्ति बिल के आधार पर बेचा जाता है। ऐसे माल की एक निश्चित उपयोग अवधि होती है जिसे सामान्यतः समाप्ति तिथि कहा जाता है। ऐसी वस्तुएँ जिनकी समाप्ति तिथि पार हो गई हो, उन्हें सामान्यतः **समय सीमा समाप्त माल** कहा जाता है और समाप्ति के कारण आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से निर्माता को वापस किया जाता है।

सर्कुलर संख्या 72/46/2018 जीएसटी दिनांक 26.10.2018 में स्पष्ट किया गया है कि खुदरा विक्रेता/थोक विक्रेता समय सीमा समाप्त माल को या तो इसे नई आपूर्ति मानकर वापस कर सकते हैं या **क्रेडिट नोट जारी करके वापस कर सकते हैं**।²⁰

समय सीमा समाप्त माल की वापसी को नई आपूर्ति मानकर करना

यदि समय सीमा समाप्त माल लौटाने वाला व्यक्ति एक पंजीकृत व्यक्ति है (संयोजन करदाता को छोड़कर), तो वह अपनी पसंद से उक्त माल को नई आपूर्ति मानकर वापस कर सकता है और इसके लिए चालान जारी कर सकता है (इसे आगे "वापसी आपूर्ति" कहा जाएगा)। उक्त माल का मूल्य, जैसा कि पहले माल की आपूर्ति के आधार पर चालान में दर्शाया गया था, उसे ऐसी वापसी आपूर्ति के मूल्य के रूप में लिया जा सकता है। थोक विक्रेता या निर्माता, जो भी इस वापसी आपूर्ति का प्राप्तकर्ता हो, वह भाग 16 में निर्दिष्ट शर्तों के पालन के अधीन उक्त वापसी आपूर्ति पर लगाए गए कर का आईटीसी लेने के पात्र होंगे।

²⁰ समय सीमा समाप्त दवाओं या औषधियों की वापसी के लिए क्रेडिट नोट जारी करने की प्रक्रिया इस अध्ययन सामग्री के इस मॉड्यूल के अध्याय 10: कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट में वर्णित है।

यदि समय सीमा समाप्त माल लौटाने वाला व्यक्ति एक संयोजन करदाता है, तो वह उक्त माल को आपूर्ति बिल जारी करके वापस कर सकता है और संयोजन करदाता पर लागू दर से कर का भुगतान कर सकता है। इस स्थिति में वापसी आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा। यदि समय सीमा समाप्त माल लौटाने वाला व्यक्ति पंजीकृत नहीं है, तो वह उक्त माल को कोई भी व्यावसायिक दस्तावेज़ जारी करके बिना कर लगाए वापस कर सकता है।

जहाँ खुदरा विक्रेता/थोक विक्रेता द्वारा नई आपूर्ति के रूप में लौटाए गए माल को निर्माता द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, तो उसे भाग 17(5)(झ) के अनुसार वापसी आपूर्ति पर प्राप्त आईटीसी को वापस करना आवश्यक है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस स्थिति में जो आईटीसी वापस करना आवश्यक है वह वापसी आपूर्ति पर प्राप्त आईटीसी है, न कि उस समय सीमा समाप्त माल के निर्माण से संबंधित आईटीसी।

यह स्पष्टीकरण समय सीमा समाप्त होने के अलावा अन्य कारणों से माल की वापसी पर भी लागू हो सकता है।



(39) यदि एक निर्माता ने ₹100/- मूल्य की दवाओं के निर्माण के समय ₹10/- का आईटीसी प्राप्त किया है, तो ऐसी दवाओं की समाप्ति के कारण वापसी के समय, थोक विक्रेता द्वारा जारी नई चालान के आधार पर के पास उपलब्ध आईटीसी ₹15/- है। अतः जब समय सीमा समाप्त माल को निर्माता द्वारा नष्ट किया जाता है, तो उसे ₹15/- का आईटीसी वापस करना होगा, न कि ₹10/- का।

(x) [भाग 17(5) की खंड (झ) के अंतर्गत] धोखाधड़ी, रोकथाम, जब्ती आदि के मामलों में भुगतान किया गया कर

भाग 74, 129 और 130²¹ के तहत भुगतान किया गया कर आईटीसी के रूप में उपलब्ध नहीं है। ये भागएँ ऐसे कर से संबंधित प्रावधान निर्धारित करती हैं जो कर चोरी के परिणामस्वरूप, माल या परिवहन साधनों को परिवहन के दौरान रोके जाने पर, या जब्त किए गए माल/परिवहन साधनों की मुक्ति के लिए भुगतान किए जाते हैं।

²¹यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति संयोजन कर का भुगतान बंद कर नियमित योजना में शामिल होता है या उसकी अप्रयुक्त आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति बन जाती है, तो उसे फॉर्म जीएसटी आईटीसी-01 में घोषणा दाखिल करनी होती है।

प्रश्नोत्तरी
समया



2

चीकू लिमिटेड, एक पंजीकृत व्यक्ति, कर योग्य माल के निर्माण में संलग्न है। यह जनवरी माह के दौरान अपने द्वारा प्राप्त इनवर्ड आपूर्ति पर भुगतान किए गए जीएसटी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करता है:

कच्चा माल खरीदा गया (जिसे फरवरी माह में प्राप्त किया जाना है)	₹ 2,00,000
पंजीगत वस्तुएँ खरीदी गईं (एक मशीन का चालान अनुपस्थित है। उस पर चुकाया गया जीएसटी ₹ 70,000 है)	₹ 4,80,000
मुफ्त नमूने वितरित किए गए	₹ 80,000
खनिजों के परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रक	₹ 1,20,000

जनवरी माह के लिए चीकू लिमिटेड द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) निर्धारित करें। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार, आईटीसी प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी अन्य शर्तें पूरी की जा चुकी हैं।

(क) ₹ 7,30,000	(ख) ₹ 5,30,000	(ग) ₹ 6,80,000	(घ) ₹ 7,60,000
----------------	----------------	----------------	----------------

प्रश्नोत्तरी
समया



3


धीरु लिमिटेड, एक पंजीकृत व्यक्ति, खिलौनों के निर्माण में संलग्न है। यह अक्टूबर माह में प्राप्त आंतरिक आपूर्तियों पर चुकाए गए जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करता है:

विवरण	जीएसटी (₹)
खरीदा गया कच्चा माल	2,00,000
कारखाने की परिसीमा के बाहर बिछाए गए पाइपलाइन का निर्माण	3,00,000
माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रकों के बीमा शुल्क का भुगतान	80,000

अक्टूबर माह के लिए धीरु लिमिटेड द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) निर्धारित करें। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार, आईटीसी प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी अन्य शर्तें पूरी की जा चुकी हैं।

(क) ₹ 5,00,000	(ख) ₹ 2,80,000	(ग) ₹ 3,80,000	(घ) ₹ 5,80,000
----------------	----------------	----------------	----------------

5. विशेष परिस्थितियों में क्रेडिट [भाग 18]

 वैधानिक प्रावधान		
भाग 18	विशेष परिस्थितियों में क्रेडिट की उपलब्धता	
उप-भाग	खंड	विवरण
(1)	ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जो निर्धारित किए जा सकते हैं—	
	(क)	जो व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए उस तिथि से तीस दिनों के भीतर आवेदन करता है, जिस तिथि से वह पंजीकरण के लिए दायित्वपूर्ण होता है, और उसे ऐसा पंजीकरण प्रदान किया गया है, वह उस दिन के लिए स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का अधिकारी होगा, जो उस तिथि के ठीक पहले के दिन से शुरू होता है, जिस तिथि से वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर भुगतान के लिए दायित्वपूर्ण होता है।
	(ख)	जो व्यक्ति भाग 25 की उप-भाग (3) के तहत पंजीकरण प्राप्त करता है, वह उस दिन के लिए स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का अधिकारी होगा, जो पंजीकरण प्रदान किए जाने की तिथि के ठीक पहले के दिन से शुरू होता है।
	(ग)	यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति भाग 10 के तहत कर का भुगतान करना बंद कर देता है, तो वह उस दिन के लिए स्टॉक में रखे गए इनपुट, स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का अधिकारी होगा, जो उस तिथि के ठीक पहले के दिन से शुरू होता है, जिस तिथि से वह भाग 9 के तहत कर भुगतान के लिए दायित्वपूर्ण होता है।
बशर्ते कि पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट को निर्धारित प्रतिशत अंकों द्वारा घटाया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है,		

	<p>(घ) जहाँ किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की एक करमुक्त आपूर्ति करयोग्य आपूर्ति बन जाती है, वहाँ ऐसा व्यक्ति उस दिन के लिए स्टॉक में रखे गए इनपुट, स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित उन इनपुटों तथा ऐसी करमुक्त आपूर्ति में विशेष रूप से प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का अधिकारी होगा, जो उस तिथि के ठीक पहले के दिन से शुरू होता है, जिस तिथि से ऐसी आपूर्ति करयोग्य बन जाती है।</p> <p>बशर्ते कि पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट को निर्धारित प्रतिशत अंकों द्वारा घटाया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।</p>
(2)	<p>कोई पंजीकृत व्यक्ति उप- भाग (1) के तहत अपने को की गई किसी भी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में उस कर चालान की निर्गमन तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकारी नहीं होगा, जो ऐसी आपूर्ति से संबंधित है।</p>
(3)	<p>जहाँ किसी पंजीकृत व्यक्ति की संरचना में बिक्री, विलय, विभाजन, समामेलन, पट्टे या देयताओं के अंतरण के लिए विशेष प्रावधानों सहित व्यवसाय के हस्तांतरण के कारण परिवर्तन होता है, वहाँ उक्त पंजीकृत व्यक्ति को अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेखे में अप्रयुक्त शेष इनपुट टैक्स क्रेडिट को उस बेचे गए, विलयित, विभाजित, समामेलित, पट्टे पर दिए गए या हस्तांतरित व्यवसाय को, जिस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है, अंतरण करने की अनुमति होगी।</p>
(4)	<p>जहाँ कोई पंजीकृत व्यक्ति, जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया है, भाग 10 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनता है या जहाँ उसके द्वारा आपूर्ति किए गए माल या सेवाएँ या दोनों पूर्णतः करमुक्त हो जाते हैं, वहाँ वह व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेखे या इलेक्ट्रॉनिक नकद लेखे में डेबिट के रूप में उस राशि का भुगतान करेगा, जो स्टॉक में रखे गए इनपुट, स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट तथा पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर होगी, जिसे निर्धारित प्रतिशत अंकों द्वारा घटाया जाएगा, और यह उस तिथि के ठीक पहले के दिन के लिए देय होगी, जिस दिन ऐसा विकल्प चुना गया है या, जहाँ लागू हो, जिस दिन ऐसी छूट प्रभावी होती है।</p> <p>बशर्ते कि ऐसी राशि के भुगतान के बाद, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेखे में शेष, यदि कोई हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि समाप्त हो जाएगी।</p>

(5)	उप-भाग (1) के अंतर्गत क्रेडिट की राशि तथा उप-भाग (4) के अंतर्गत देय राशि की गणना उस प्रकार से की जाएगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(6)	<p>ऐसे मामलों में जहाँ पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति की जाती है, जिन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, वहाँ पूंजीकृत व्यक्ति को उस राशि का भुगतान करना होगा जो उक्त पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर होगी, जिसे निर्धारित प्रतिशत अंकों द्वारा घटाया जाएगा, या ऐसी पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र और मशीनरी के लेन-देन मूल्य पर भाग 15 के तहत निर्धारित कर के बराबर होगी, जो भी अधिक हो।</p> <p>बशर्ते कि जहाँ अपचयनीय ईटें, सांचे और डाई, जिग्स तथा फिक्स्चर कबाड़ के रूप में आपूर्ति किए जाते हैं, वहाँ करयोग्य व्यक्ति उन वस्तुओं के लेन-देन मूल्य पर, जो भाग 15 के तहत निर्धारित किया गया है, कर का भुगतान कर सकता है।</p>
अध्याय V : सीजीएसटी नियमों के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट	
नियम 40	विशेष परिस्थितियों में क्रेडिट दावा करने का तरीका
(1)	<p>भाग 18 की उप-भाग (1) के प्रावधानों के अनुसार स्टॉक में रखे गए इनपुट या स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट पर या उक्त उप-भाग के खंड (ख) और (ग) के अनुसार पूंजीगत वस्तुओं पर दावा किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्-</p> <p>(क) भाग 18 की उप-भाग (1) के खंड (ख) और (ग) के अनुसार पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उस तारीख से चालान या अन्य किसी दस्तावेज़ की तिथि से प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं पर चुकाए गए कर को प्रति वर्ष की तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत अंकों द्वारा घटाने के पश्चात ही दावा किया जाएगा, जिस पर वह करयोग्य व्यक्ति ने पूंजीगत वस्तुएँ प्राप्त की थीं।</p> <p>(ख) पूंजीकृत व्यक्ति को भाग 18 की उप-भाग (1) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पात्र होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, या इस संबंध में आयुक्त द्वारा अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाई गई अतिरिक्त अवधि के भीतर, एक घोषणा करनी होगी। सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आईटीसी -01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप</p>

	<p>इस बात का कि वह उपरोक्त अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के पात्र हैं, ऐसा प्रभाव देने वाली</p> <p>बशर्ते कि राज्य कर आयुक्त या संघ शासित प्रदेश कर आयुक्त द्वारा समय सीमा में की गई किसी भी विस्तार को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किए जाने के रूप में माना जाएगा।</p>
(ग)	<p>खंड (ख) के अंतर्गत की जाने वाली घोषणा में स्पष्ट रूप से उन विवरणों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जो स्टॉक में रखे गए इनपुट या स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट, या जहाँ लागू हो, पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित हों-</p> <p>(i) भाग 18 की उप-भाग (1) के खंड (क) के अंतर्गत दावा करने के मामले में, उस दिन के ठीक पहले के दिन के लिए, जिस तिथि से वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर भुगतान के लिए दायित्वपूर्ण होता है।</p> <p>(ii) भाग 18 की उप-भाग (1) के खंड (ख) के अंतर्गत दावा करने के मामले में, पंजीकरण प्रदान किए जाने की तिथि के ठीक पहले के दिन के लिए।</p> <p>(iii) भाग 18 की उप-भाग (1) के खंड (ग) के अंतर्गत दावा करने के मामले में, उस दिन के ठीक पहले के दिन के लिए, जिस तिथि से वह भाग 9 के तहत कर भुगतान के लिए दायित्वपूर्ण होता है।</p> <p>(iv) भाग 18 की उप-भाग (1) के खंड (घ) के अंतर्गत दावा करने के मामले में, उस दिन के ठीक पहले के दिन के लिए, जिस तिथि से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति करयोग्य बन जाती है।</p>
(घ)	<p>खंड (ख) के अंतर्गत की गई घोषणा में प्रस्तुत विवरण को उस समय वैध रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए, जब केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर के कारण कुल दावा की राशि दो लाख रुपये से अधिक हो, और इसे एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।</p>
(ङ)	<p>भाग 18 की उप-भाग (1) के खंड (ग) और (घ) के अनुसार दावा किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटीआर -1 और, यदि लागू हो, फॉर्म जीएसटीआर -1 क या, जहाँ आवश्यक हो,</p>

	फॉर्म जीएसटीआर-4 में प्रस्तुत किए गए समवर्ती विवरणों के साथ सत्यापित किया जाएगा।
(2)	भाग 18 की उप-भाग (6) के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति के मामले में क्रेडिट की राशि उस तारीख से चालान जारी होने की तिथि से प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए उक्त वस्तुओं पर इनपुट टैक्स को पांच प्रतिशत अंकों की दर से घटाकर गणना की जाएगी।
नियम 41	व्यवसाय की बिक्री, विलय, समामेलन, पट्टे या हस्तांतरण पर क्रेडिट का अंतरण
(1)	यदि किसी कारणवश व्यवसाय की बिक्री, विलय, विभाजन, समामेलन, पट्टा, हस्तांतरण या स्वामित्व में परिवर्तन होता है, तो पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी आईटीसी-02 में, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, व्यवसाय की बिक्री, विलय, विभाजन, समामेलन, पट्टा या हस्तांतरण के विवरण प्रस्तुत करना होगा और अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेखे में शेष अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्राप्तकर्ता को अंतरण करने का अनुरोध करना होगा। बशर्ते कि विभाजन के मामले में, इनपुट टैक्स क्रेडिट को विभाजन योजना में निर्दिष्ट नई इकाइयों की संपत्ति के मूल्य के अनुपात में बांटा जाएगा। व्याख्या: - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "संपत्ति का मूल्य" का अर्थ व्यवसाय की समस्त संपत्तियों का मूल्य है, चाहे उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया हो या नहीं।
(2)	हस्तांतरण करने वाले को यह भी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि व्यवसाय की बिक्री, विलय, विभाजन, समामेलन, पट्टा या हस्तांतरण देयताओं के अंतरण के लिए विशेष प्रावधान के साथ किया गया है।
(3)	प्राप्तकर्ता को सामान्य पोर्टल पर हस्तांतरणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों को स्वीकार करना होगा और ऐसी स्वीकृति के उपरांत, फॉर्म जीएसटी आईटीसी-02 में निर्दिष्ट अप्रयुक्त क्रेडिट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेखे में जमा कर दिया जाएगा।
(4)	इस प्रकार हस्तांतरित इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्तकर्ता द्वारा उसके खाता पुस्तकों में उचित रूप से अंकित किया जाएगा।

नियम 41 क	राज्य या संघ शासित प्रदेश में एकाधिक व्यवसाय स्थलों के लिए अलग पंजीकरण प्राप्त करने पर क्रेडिट का अंतरण
(1)	<p>जो पंजीकृत व्यक्ति नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार एकाधिक व्यवसाय स्थलों के लिए अलग पंजीकरण प्राप्त करता है और जो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेखे में शेष अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को किसी या सभी नए पंजीकृत व्यवसाय स्थलों में पूर्णतः या आंशिक रूप से अंतरण करना चाहता है, उसे ऐसे अलग पंजीकरण प्राप्त करने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म जीएसटी आईटीसी-02 क में विवरण सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना होगा, चाहे सीधे या इस संबंध में आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से।</p> <p>बशर्ते कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नए पंजीकृत इकाइयों को उनके पंजीकरण के समय उनके पास रखी गई संपत्तियों के मूल्य के अनुपात में स्थानांतरित किया जाएगा।</p> <p>व्याख्या: - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 'संपत्ति का मूल्य' का अर्थ व्यवसाय की समस्त संपत्तियों का मूल्य है, चाहे उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया हो या नहीं।</p>
(2)	नए पंजीकृत व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) को सामान्य पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति (हस्तांतरणकर्ता) द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों को स्वीकार करना होगा और ऐसी स्वीकृति के उपरांत, फॉर्म जीएसटी आईटीसी-02 क में निर्दिष्ट अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेखे में जमा कर दिया जाएगा।
नियम 44	विशेष परिस्थितियों में क्रेडिट की वापसी का तरीका
(1)	<p>स्टॉक में रखे गए इनपुट, स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार और तैयार माल में सम्मिलित इनपुट, तथा स्टॉक में रखी पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, धारा 18 की उप-भाग (4) या भाग 29 की उप-भाग (5) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित तरीके से निर्धारित की जाएगी, अर्थात्-</p> <p>(क) स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार तथा तैयार माल में सम्मिलित इनपुट के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का गणना उस आधार पर अनुपातिक रूप से की जाएगी जिस पर संबंधित</p>

	<p>चालानों पर पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति ने ऐसे इनपुट पर क्रेडिट प्राप्त किया था।</p>
	<p>(ख) स्टॉक में रखी पूंजीगत वस्तुओं के लिए, शेष उपयोगी जीवन (माह में) में सम्मिलित इनपुट टैक्स क्रेडिट को आनुपातिक आधार पर गणना की जाएगी, जिसमें उपयोगी जीवन को पाँच वर्ष मानकर लिया जाएगा।</p>
(2)	<p>उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राशि को केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा।</p>
(3)	<p>जहाँ स्टॉक में रखे गए इनपुट से संबंधित कर चालान उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पंजीकृत व्यक्ति उप-नियम (1) के तहत राशि का अनुमान उस दिन की प्रभावी तिथि पर माल के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर लगाएगा, जिस दिन भाग 18 की उप-भाग (4) या, जहाँ लागू हो, भाग 29 की उप-भाग (5) में निर्दिष्ट किसी घटना का सामना होता है।</p>
(4)	<p>उप-नियम (1) के तहत निर्धारित राशि पंजीकृत व्यक्ति की आउटपुट टैक्स देयता का हिस्सा होगी और इस राशि का विवरण फॉर्म जीएसटी आईटीसी-03 में प्रस्तुत किया जाएगा, यदि यह राशि भाग 18 की उप-भाग (4) में निर्दिष्ट किसी घटना से संबंधित हो, और फॉर्म जीएसटीआर-10 में प्रस्तुत किया जाएगा, यदि यह राशि पंजीकरण रद्द करने से संबंधित हो।</p>
(5)	<p>उप-नियम (3) के अनुसार प्रस्तुत किए गए विवरण को एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा वैध रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए।</p>
(6)	<p>भाग 18 की उप-भाग (6) के प्रयोजनों के लिए पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि उसी प्रकार से निर्धारित की जाएगी, जैसा कि उप-नियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट है, और यह राशि केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अलग-अलग निर्धारित की जाएगी।</p> <p>बशर्ते कि जहाँ इस प्रकार निर्धारित राशि पूंजीगत वस्तुओं के लेन-देन मूल्य पर निर्धारित कर से अधिक हो, वहाँ यह निर्धारित राशि आउटपुट टैक्स देयता का हिस्सा होगी और इसे फॉर्म जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किया जाएगा।</p>



विश्लेषण

भाग 18 के प्रावधान करती हैं

- (1) स्टॉक में रखे गए इनपुट और तैयार माल या कार्य-प्रगति में सम्मिलित इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अधिकार, और अंतिम दो मामलों में पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में भी: (i) पंजीकरण/स्वैच्छिक पंजीकरण के समय, (ii) रचना कराधान छोड़कर सामान्य कर भुगतान स्थिति में प्रवेश करने पर, (iii) किसी पंजीकृत व्यक्ति के लिए करमुक्त आपूर्ति करयोग्य आपूर्ति बनने के कारण कर भुगतान स्थिति में प्रवेश करने पर।
- (2) स्टॉक में रखे गए इनपुट, तैयार माल या कार्य-प्रगति में सम्मिलित इनपुट तथा पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की वापसी: (i) सामान्य कर भुगतान स्थिति छोड़कर रचना कराधान के लिए विकल्प चुनने के समय, (ii) किसी पंजीकृत व्यक्ति के लिए करयोग्य आपूर्ति करमुक्त आपूर्ति बनने के कारण कर भुगतान स्थिति छोड़ने के समय।
- (3) उन पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति पर देय राशि, जिन पर आईटीसी लिया गया हो।
- (4) पंजीकृत व्यक्ति की संरचना में परिवर्तन के कारण आईटीसी का अंतरण।
- (i) पंजीकरण/स्वैच्छिक पंजीकरण के समय या सामान्य कर भुगतान स्थिति में प्रवेश करने पर या कर भुगतान स्थिति में आने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अधिकार [भाग 18 की उप-भाग (1) और (2) को नियम 40 के साथ पढ़ें]**

पंजीकरण/स्वैच्छिक पंजीकरण के समय या सामान्य कर/कर भुगतान स्थिति में प्रवेश करने पर स्टॉक में रखे गए इनपुट, स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट निम्नलिखित प्रकार से उपलब्ध है:

क्रम संख्या	क्रेडिट लेने के लिए पात्र व्यक्ति	आईटीसी के पात्र माल		प्रतिबंध / शर्तें
		स्टॉक में रखे गए इनपुट / पूंजीगत वस्तुएँ	दिनांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वह व्यक्ति जिसने आवेदन किया है	स्टॉक में रखे गए इनपुट और इनपुट	तत्काल पूर्व वाला दिन	→ आईटीसी का दावा करने की अवधि चालान की तिथि से 1 वर्ष के भीतर

	पंजीकरण के लिए दायित्वपूर्ण होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले और जिसे ऐसा पंजीकरण प्रदान किया गया हो।	स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित	उस तिथि से जिस दिन वह कर भुगतान के लिए दायित्वपूर्ण होता है	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चालान जारी करने की तिथि।
2.	वह व्यक्ति जिसे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वैच्छिक पंजीकरण प्राप्त करता है	स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट	पंजीकरण की तिथि के ठीक पहले का दिन	
3.	पंजीकृत व्यक्ति जो रचना कर का भुगतान करना बंद कर देता है और सामान्य योजना में स्थानांतरित हो जाता है	स्टॉक में रखे गए इनपुट, स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट, और पूंजीगत वस्तुएँ	सामान्य योजना के तहत कर भुगतान के लिए दायित्वपूर्ण होने की तिथि से ठीक पहले का दिन	
4.	पंजीकृत व्यक्ति जिसके करमुक्त आपूर्ति करयोग्य बन जाती है	स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट	जिस तिथि से ऐसी आपूर्ति करयोग्य बनती है, उसके ठीक पहले का दिन	
				<p>→ पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) चालान की तिथि से प्रत्येक तिमाही या वर्ष के भाग के लिए 5% की दर से घटाया जाएगा।</p> <p>→ दावा किया गया आईटीसी संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए समवर्ती विवरणों के साथ सत्यापित किया जाएगा।</p>

आपूर्तियाँ	ऐसी छूट प्राप्त आपूर्ति से संबंधित स्टॉक तथा केवल ऐसी छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए विशिष्ट रूप से प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुएँ।	करयोग्य	प्रदाता. आईटीसी उस दिनांक से एक वर्ष के भीतर लिया जाना चाहिए, जिस दिनांक को प्रदाता द्वारा कर चालान जारी किया गया हो।
------------	---	---------	--

उपरोक्त सभी मामलों में, पंजीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक घोषणा²² करनी होती है, जिसमें स्पष्ट रूप से उन इनपुट्स का विवरण देना होता है जो स्टॉक में रखे गए हैं, स्टॉक में रखी गई अर्द्ध-निर्मित या निर्मित वस्तुओं में सम्मिलित इनपुट्स तथा पूंजीगत वस्तुएँ, जो तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित दिनांक को मौजूद हैं। यह घोषणा उस दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए (जिसे राज्य जीएसटी/केंद्रीय जीएसटी/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी आयुक्त द्वारा बढ़ाया जा सकता है), जब पंजीकृत व्यक्ति आईटीसी लेने के पात्र हो जाता है। यदि सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी से संबंधित आईटीसी का दावा कुल मिलाकर ₹ 2,00,000 से अधिक है, तो यह घोषणा एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कराना आवश्यक है।



(40) 'जेड' 1 अगस्त से कर देयता के लिए उत्तरदायी हो जाता है और 15 अगस्त को 1 अगस्त से प्रभावी पंजीकरण प्राप्त करता है। 'जेड' 31 जुलाई को स्टॉक में रखे गए इनपुट्स तथा अर्द्ध-निर्मित या निर्मित वस्तुओं में सम्मिलित इनपुट्स पर आईटीसी लेने के पात्र है। 'जेड' पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी नहीं ले सकता।



(41) 'ए' 5 जून को स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए आवेदन करता है और 22 जून से प्रभावी पंजीकरण प्राप्त करता है। 'ए' 21 जून को स्टॉक में रखे गए इनपुट्स तथा अर्द्ध-निर्मित या निर्मित वस्तुओं में सम्मिलित इनपुट्स पर आईटीसी लेने के पात्र है। 'ए' पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी नहीं ले सकता।



(42) 'बी', एक पंजीकृत करदाता व्यक्ति, 30 जुलाई तक संघटन योजना के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा था। हालांकि, 31 जुलाई से 'बी' नियमित योजना के अंतर्गत कर देयता के लिए उत्तरदायी हो जाता है। 'बी' 30 जुलाई को स्टॉक में रखे गए इनपुट्स, अर्द्ध-निर्मित या

²² जब कोई पंजीकृत व्यक्ति संघटन कर का भुगतान करना बंद करता है और नियमित योजना में शामिल होता है या उसकी छूट प्राप्त आपूर्ति करयोग्य आपूर्ति बन जाती है, तो घोषणा फॉर्म जीएसटी आईटीसी-01 में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

निर्मित वस्तुओं में सम्मिलित इनपुट्स तथा पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी लेने के पात्र होगा। पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी चालान की दिनांक से प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के अनुसार 5% से घटाया जाएगा।

(ii) संघटन कर में शामिल होने या करदाता स्थिति से बाहर निकलने पर आईटीसी की वापसी [भाग 18(4) के साथ नियम 44 का पठान]

- भाग 18(4) के अंतर्गत आईटीसी की वापसी आवश्यक है जब कोई पंजीकृत व्यक्ति, जिसने आईटीसी लिया है, संघटन कर में शामिल हो जाता है या जब उसकी आपूर्ति पूरी तरह से कर से छूट प्राप्त हो जाती है।
- इनपुट्स पर आईटीसी को ऐसे इनपुट्स पर लिया गया क्रेडिट वाले संबंधित चालानों के आधार पर अनुपातिक रूप से वापस किया जाना चाहिए। यदि चालान उपलब्ध नहीं हैं, तो आईटीसी को स्विच ओवर/छूट की दिनांक पर उन वस्तुओं के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर वापस किया जा सकता है। प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर दी गई जानकारी को एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कराना आवश्यक है।

पूंजीगत वस्तुओं की शेष उपयोगी अवधि (महीनों में) में शामिल आईटीसी को उपयोगी जीवन को 5 वर्ष मानकर अनुपातिक आधार पर वापस किया जाना चाहिए।



(43) पूंजीगत वस्तुएँ 4 वर्ष, 6 महीने और 15 दिन तक प्रयुक्त हो चुकी हैं। शेष उपयोगी जीवन महीनों में = 5 महीने (महीने के हिस्से को अनदेखा करते हुए)।

ऐसी पूंजीगत वस्तुओं पर लिया गया आईटीसी = सी

शेष उपयोगी जीवन के लिए वापस किया जाने वाला आईटीसी = सी × 5/60

- पंजीकृत व्यक्ति को स्विच ओवर की दिनांक/छूट की दिनांक से ठीक पहले वाले दिन स्टॉक में रखे गए इनपुट्स, अर्द्ध-निर्मित या निर्मित वस्तुओं में सम्मिलित इनपुट्स तथा पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में वापसी राशि को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट या कैश लेज़र में डेबिट करना होता है।
- यदि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में कोई आईटीसी शेष है, तो वह शेष राशि समाप्त हो जाती है।
- पंजीकरण रद्द करने पर भी स्टॉक में रखे गए इनपुट्स, अर्द्ध-निर्मित या निर्मित वस्तुओं में सम्मिलित इनपुट्स, पूंजीगत वस्तुएँ या संयंत्र एवं मशीनरी के संबंध में

आईटीसी की वापसी आवश्यक होती है, जो रद्द करने की दिनांक से ठीक पहले वाले दिन की स्थिति पर लागू होती है। इनपुट्स और पूंजीगत वस्तुओं पर वापसी की जाने वाली राशि भाग 18 की उपभाग (4) के लिए लागू विधि के अनुसार गणना की जाती है (जैसा ऊपर चर्चा की गई)।

- ❑ इनपुट्स और पूंजीगत वस्तुओं पर वापस किया जाने वाला आईटीसी सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के आईटीसी के लिए अलग-अलग गणना किया जाता है।
- ❑ वापसी की जाने वाली राशि पंजीकृत व्यक्ति की आउटपुट टैक्स देयता में जोड़ दी जाती है।

(iii) उन पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति पर देय राशि, जिन पर आईटीसी लिया गया है [भाग 18(6) के साथ नियम 40(2) एवं नियम 44(6) का पठान]


- ❑ यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उन पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति की जाती है, जिन पर आईटीसी लिया गया है, तो उसे निम्नलिखित में से उच्चतम राशि का भुगतान करना होगा:
 - ✓ ऐसी वस्तुओं पर लिया गया आईटीसी, चालान जारी होने की दिनांक से प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के अनुसार 5% कम किया गया (अर्थात, पूंजीगत वस्तुओं के शेष उपयोगी जीवन से संबंधित आईटीसी), या
 - ✓ ऐसी पूंजीगत वस्तुओं/संयंत्र एवं मशीनरी के लेन-देन मूल्य पर कर
- ❑ पूंजीगत वस्तुओं के शेष उपयोगी जीवन से संबंधित आईटीसी को सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के आईटीसी के लिए अलग-अलग गणना करना चाहिए।
- ❑ जहाँ निर्धारित शेष आईटीसी की राशि पूंजीगत वस्तुओं के लेन-देन मूल्य पर देय कर से अधिक हो, ऐसी राशि का भुगतान करना आवश्यक है और इसे आउटपुट टैक्स देयता में जोड़ना चाहिए।
- ❑ यदि रिफ्रेक्टरी ईटें, साँचे और डाई, जिग्स और फिक्स्चर स्ट्रैप के रूप में आपूर्ति की जाती हैं, तो करदाता व्यक्ति लेन-देन मूल्य पर कर का भुगतान कर सकता है।

***नोट:** नियम 44(6) के अंतर्गत, पूंजीगत वस्तुओं की शेष उपयोगी अवधि (महीनों में) में शामिल आईटीसी को उपयोगी जीवन को 5 वर्ष मानकर अनुपातिक आधार पर वापस किया जाता है।

(iv) पंजीकृत व्यक्ति की संरचना में परिवर्तन के कारण आईटीसी का हस्तांतरण [भाग 18(3) के साथ नियम 41 का पठान]

विक्रय, विलय, खंड-विलय, संगम, पट्टे, हस्तांतरण या व्यवसाय के स्वामित्व में परिवर्तन आदि के मामले में, पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में शेष अव्यवहित आईटीसी को नए संस्थान को स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते ऐसी संरचना परिवर्तन में देयताओं के हस्तांतरण के लिए विशिष्ट प्रावधान हो। सर्कुलर संख्या 96/15/2019 जीएसटी दिनांक 28.03.2019 ने स्पष्ट किया है कि व्यवसाय के स्वामित्व में हस्तांतरण या परिवर्तन में एकल स्वामी की मृत्यु के कारण होने वाला हस्तांतरण या परिवर्तन भी शामिल है।

उपरोक्त प्रावधानों को अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र की सहायता से समझाया गया है:




खंड-विलय के मामले में, आईटीसी को नए इकाइयों के परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, जैसा कि खंड-विलय योजना में निर्दिष्ट है। यहाँ, **“परिसंपत्तियों का मूल्य”** का अर्थ है व्यवसाय की संपूर्ण परिसंपत्तियों का मूल्य, चाहे उस पर आईटीसी लिया गया हो या नहीं।

पंजीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर संरचना में परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि संरचना में परिवर्तन देयताओं के हस्तांतरण के विशिष्ट प्रावधान के साथ किया गया है। ऐसे विवरणों को सामान्य पोर्टल पर प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरांत, शेष अव्यवहित आईटीसी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित इनपुट्स और पूंजीगत वस्तुओं को अपने खातों में सही रूप से रिकॉर्ड करना चाहिए।

(v) किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक से अधिक व्यापार स्थानों के लिए अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त करने पर आईटीसी का हस्तांतरण [नियम 41ए]

भाग 25 करदाता को किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक से अधिक व्यापार स्थानों के लिए अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त करने की अनुमति देती है [भाग 25 के प्रावधानों पर इस अध्ययन सामग्री के इस मॉड्यूल के अध्याय 9: पंजीकरण में चर्चा की गई है]। पंजीकृत व्यक्ति (हस्तांतरणकर्ता), जिसके पास राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक से अधिक व्यापार स्थानों के लिए अलग-अलग पंजीकरण हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में शेष अव्यवहित आईटीसी को (पूरी तरह या आंशिक रूप से) नए पंजीकृत व्यापार स्थानों में से किसी एक या सभी को उनके पंजीकरण के समय धारण की गई परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुपात में हस्तांतरित कर सकता है। यहाँ, 'परिसंपत्तियों का मूल्य' का अर्थ है व्यवसाय की संपूर्ण परिसंपत्तियों का मूल्य, चाहे उस पर आईटीसी लिया गया हो या नहीं।

पंजीकृत व्यक्ति को ऐसे अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त करने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर निर्धारित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे विवरणों को सामान्य पोर्टल पर नए पंजीकृत व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरांत, शेष अव्यवहित आईटीसी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में क्रेडिट कर दिया जाता है।




प्रश्नोत्तरी
समय!

4

वृंदा एंटरप्राइजेज हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एक व्यापारी है। इसने चालू वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से संघटन योजना का विकल्प चुना। हालांकि, 1 जुलाई से, इसने नियमित कर भुगतान योजना में स्विच कर लिया क्योंकि इसका कुल कारोबार ₹ 1.50 करोड़ को पार कर गया। 30 जून को वस्तुओं का स्टॉक (पिछले 6 महीनों में खरीदी गई) और मशीनरी (3 मई को खरीदी गई) क्रमशः ₹ 16,00,000 और ₹ 6,20,000 है। वृंदा एंटरप्राइजेज द्वारा लिया जाने वाला आईटीसी की राशि निर्धारित की जानी है, मानते हुए कि लागू जीएसटी दर 18% है।

(क) शून्य	(ख) ₹ 3,94,020	(ग) ₹ 3,96,000	(घ) ₹ 2,88,000
-----------	----------------	----------------	----------------

6. आईटीसी का उपयोग कैसे किया जाता है

 कानूनी प्रावधान		
भाग 49	कर, ब्याज, जुर्माना और अन्य राशियों का भुगतान (संबंधित अंश)	
उप-भाग	खंड	विवरण
(5)	पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, जो निम्नलिखित कारणों से है—	
	(क)	एकीकृत कर का उपयोग पहले एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो इसे क्रमशः केंद्रीय कर और राज्य कर या, जहां लागू हो, केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है।
	(ख)	केंद्रीय कर का उपयोग पहले केंद्रीय कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो इसे एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है।
	(ग)	राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो इसे एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह प्रावधान है कि राज्य कर के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग केवल तभी एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जाएगा जब केंद्रीय कर के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का शेष एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध न हो।
	(घ)	केंद्र शासित प्रदेश कर का उपयोग पहले केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो इसे एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश कर के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग केवल तभी एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जाएगा जब केंद्रीय कर के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स

		क्रेडिट का शेष एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध न हो।
	(ड)	केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा; और
	(च)	राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर का उपयोग केंद्रीय कर के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा।
भाग 49 क	कुछ शर्तों के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग	
	भाग 49 में शामिल किसी भी प्रावधान के बावजूद, केंद्रीय कर, राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब पहले एकीकृत कर के कारण उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा उपयोग ऐसे भुगतान के लिए किया गया हो, और इसके बाद ही इसे क्रमशः एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान में लगाया जा सके।	
भाग 49 ख	इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का क्रम	
	इस अध्याय में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद और भाग 49 की उपभाग (5) के खंड (ड) तथा खंड (च) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद की सिफारिशों पर, एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर, जैसा भी मामला हो, के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के क्रम और विधि को ऐसे किसी भी कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट कर सकती है।	
अध्याय IX: सीजीएसटी नियमों के तहत कर का भुगतान		
नियम 86 क	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध राशि के उपयोग की शर्तें	
(1)	आयुक्त या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो सहायक आयुक्त के पद से कम न हो, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का आईटीसी धोखाधड़ी से लिया गया है या वह पात्र नहीं है, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में-	
	(क)	इनपुट टैक्स का क्रेडिट नियम 36 के तहत निर्धारित कर चालान, डेबिट नोट या किसी अन्य दस्तावेज़ के आधार पर लिया गया है-

	<p>i. जिस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है, जिसे असत्यापित पाया गया हो या जो किसी भी स्थान से व्यवसाय संचालित नहीं कर रहा है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया था; या</p> <p>ii. वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति के बिना; या</p>
(ख)	किसी आपूर्ति के संबंध में, जिसके लिए नियम 36 के तहत कर चालान, डेबिट नोट या किसी अन्य दस्तावेज़ के आधार पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया गया हो, उस आपूर्ति के संबंध में सरकार को कर का भुगतान नहीं किया गया है; या
(ग)	जिस पंजीकृत व्यक्ति ने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है, उसे असत्यापित पाया गया हो या जो किसी भी स्थान से व्यवसाय संचालित नहीं कर रहा है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया था; या
(घ)	जो पंजीकृत व्यक्ति किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले रहा है, उसके पास नियम 36 के तहत कर चालान, डेबिट नोट या किसी अन्य दस्तावेज़ नहीं है;
	लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए, वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में ऐसे क्रेडिट के समकक्ष राशि को भाग 49 के तहत किसी भी देयता के निपटान या किसी भी शेष अव्यवहित राशि की वापसी के दावे के लिए डेबिट करने की अनुमति नहीं दे सकता है।
(2)	आयुक्त या उप-नियम (1) के अंतर्गत उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, यदि संतुष्ट हो जाए कि ऊपर वर्णित इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के डेबिट को अस्वीकार करने की शर्तें अब मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे डेबिट की अनुमति दे सकता है।
(3)	ऐसी सीमा लगाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद यह प्रतिबंध प्रभावहीन हो जाएगा।
नियम 86 ख	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध राशि के उपयोग पर प्रतिबंध
	इन नियमों में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, पंजीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध राशि का उपयोग अपने आउटपुट टैक्स की देयता के निपटान के लिए ऐसे मामलों में नहीं कर सकता जहाँ किसी महीने में

छूट प्राप्त आपूर्ति और शून्य-रेट आपूर्ति को छोड़कर करयोग्य आपूर्ति का मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक हो, और इसका उपयोग उस कर देयता के 99 प्रतिशत से अधिक के लिए नहीं किया जा सकता:	
यह प्रावधान है कि उक्त प्रतिबंध उस स्थिति में लागू नहीं होगा जहाँ -	
(क)	उक्त व्यक्ति या उसके एकल स्वामी, कार्यकर्ता, प्रबंध निदेशक या उसके दो भागीदारों में से कोई भी, पूर्णकालिक निदेशक, संघों की प्रबंध समिति के सदस्य या ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य, जैसा भी मामला हो, ने प्रत्येक पिछले दो वित्तीय वर्षों में, जिनके लिए उक्त अधिनियम की भाग 139 की उपभाग (1) के तहत आय विवरण दाखिल करने की समयसीमा समाप्त हो चुकी है, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत एक लाख रुपये से अधिक आयकर का भुगतान किया हो, या
(ख)	पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष में भाग 54 की उपभाग (3) के प्रथम प्रावधान के खंड (i) के तहत शेष अव्यवहित इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण एक लाख रुपये से अधिक की वापसी राशि प्राप्त की हो, या
(ग)	पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष में भाग 54 की उपभाग (3) के प्रथम प्रावधान के खंड (ii) के तहत शेष अव्यवहित इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण एक लाख रुपये से अधिक की वापसी राशि प्राप्त की हो, या
(घ)	पंजीकृत व्यक्ति ने चालू वित्तीय वर्ष में उक्त महीने तक कुल आउटपुट टैक्स देयता के 1% से अधिक राशि के लिए इलेक्ट्रॉनिक केश लेजर के माध्यम से अपने आउटपुट टैक्स की देयता का निपटान किया हो, जिसे संचयी रूप से लागू किया गया हो, या
(ङ)	पंजीकृत व्यक्ति है -
(i)	सरकारी विभाग, या
(ii)	एक सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम, या
(iii)	एक स्थानीय प्राधिकारी, या
(iv)	एक वैधानिक निकाय:


	इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि आयुक्त या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, ऐसे सत्यापन और ऐसे सुरक्षा उपायों के बाद, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, उक्त प्रतिबंध हटा सकता है।
नियम 88 क	इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का क्रम
	एकीकृत कर के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग पहले एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जाएगा, और शेष राशि, यदि कोई हो, तो इसे क्रमशः केंद्रीय कर और राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर, जैसा भी मामला हो, के भुगतान के लिए किसी भी क्रम में उपयोग किया जा सकता है।
	यह प्रावधान है कि केंद्रीय कर, राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के कारण प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग केवल तभी एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर, जैसा भी मामला हो, के भुगतान के लिए किया जाएगा जब पहले एकीकृत कर के कारण उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा उपयोग किया जा चुका हो।



विश्लेषण

आईटीसी पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में क्रेडिट किया जाता है। करदाता व्यक्ति को प्राप्त आपूर्ति की प्रकृति के आधार पर सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के आईटीसी का अधिकार होता है।

उदाहरण के लिए, एक आपूर्तिकर्ता जो आंतरिक राज्य, अंतर-राज्य और आयात (वस्तुओं) के माध्यम से खरीद करता है, निम्नलिखित के अनुसार आईटीसी का पात्र होता है:



व्यक्ति अपने आउटपुट टैक्स देयता का भुगतान करने के लिए आईटीसी का उपयोग कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय जीएसटी एक डुअल जीएसटी है जिसमें किसी आपूर्ति लेन-देन पर दो कर, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी, समानांतर रूप से लगाया जाता है। जहां सीजीएसटी का राजस्व केंद्रीय सरकार को प्राप्त होता है, वहीं एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का राजस्व संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त होता है। अतः, सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का आईटीसी आपस में विनिमेय नहीं है और इस प्रकार, **सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का क्रॉस उपयोग अनुमत नहीं है।**

आईजीएसटी एक अस्थायी कर है। करदाता द्वारा प्रारंभ में भुगतान किया गया आईजीएसटी केंद्रीय क्लियरिंग अथॉरिटी के पास जाता है। आईटीसी ऑफ आईजीएसटी का उपयोग सीजीएसटी या एसजीएसटी/यूटीजीएसटी (या इसके विपरीत) के भुगतान के लिए किया जा सकता है। अतः आईजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के क्रॉस उपयोग की अनुमति है। करदाता को यह लचीलापन प्रदान किया गया है कि वह आईटीसी ऑफ आईजीएसटी का उपयोग पहले आईजीएसटी के भुगतान के लिए करे और उसके बाद सीजीएसटी और/या एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए किसी भी अनुपात और किसी भी क्रम में कर सके, इस शर्त के अधीन कि इंटिग्रेटेड टैक्स के कारण पूरे इनपुट टैक्स क्रेडिट को समाप्त कर दिया जाए, इसके बाद ही केंद्रीय कर या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया जा सके। यदि आईटीसी ऑफ आईजीएसटी का उपयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी (या इसके विपरीत) के भुगतान के लिए किया जाता है, तो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र में उपयुक्त डेबिट/क्रेडिट किया जाता है।

भाग 49(5), 49ए, 49बी, नियम 88ए और परिपत्र संख्या 98/17/2019 जीएसटी दिनांक 23.04.2019 मिलकर आईटीसी के उपयोग का क्रम निर्धारित करते हैं। इन प्रावधानों का संयुक्त अध्ययन यह दर्शाता है कि आईटीसी के उपयोग का क्रम निम्नलिखित (संख्याओं के क्रमानुसार) है:

आईटीसी का	आउटपुट आईजीएसटी देयता	आउटपुट सीजीएसटी देयता	आउटपुट एसजीएसटी/यूटीजीएसटी देयता
आईजीएसटी	(I)	(II) - किसी भी क्रम में और किसी भी अनुपात में	
(III) आईटीसी ऑफ आईजीएसटी को अनिवार्य रूप से पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए।			
सीजीएसटी	अनुमत	अनुमत	अनुमत नहीं
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	अनुमत	अनुमत नहीं	अनुमत
उपरोक्त संख्याओं को निम्नलिखित प्रकार से आगे स्पष्ट किया जा सकता है:			
(I)	आईटीसी ऑफ आईजीएसटी का उपयोग पहले आईजीएसटी के भुगतान के लिए किया जाना चाहिए।		

(II)	<p>शेष आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, यदि कोई बचा हो, का उपयोग सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए किसी भी क्रम में और किसी भी अनुपात में किया जा सकता है, अर्थात शेष आईटीसी ऑफ आईजीएसटी का उपयोग किया जा सकता है -</p> <ul style="list-style-type: none"> • पहले सीजीएसटी के भुगतान के लिए और उसके बाद एसजीएसटी के भुगतान के लिए; या • पहले एसजीएसटी के भुगतान के लिए और उसके बाद सीजीएसटी के भुगतान के लिए; या • सीजीएसटी और एसजीएसटी के भुगतान के लिए किसी भी अनुपात में एक साथ, जैसे 50:50, 30:70, 40:60 आदि
(III)	<p>आईटीसी ऑफ आईजीएसटी का पूरा उपयोग सीजीएसटी या एसजीएसटी /यूटीजीएसटी के आईटीसी का उपयोग करने से पहले किया जाना चाहिए।</p> <ul style="list-style-type: none"> • क्रॉस-उपयोग केवल सीजीएसटी - आईजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी - आईजीएसटी के बीच ही उपलब्ध है। • सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। • आईटीसी ऑफ आईजीएसटी को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए, उसके बाद ही सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के आईटीसी का उपयोग किया जा सकता है।



(44) विभिन्न कर शीर्षों के तहत उपलब्ध आईटीसी की राशि और आउटपुट टैक्स देयता

कर शीर्ष	आउटपुट टैक्स देयता (₹)	आईटीसी (₹)
आईजीएसटी	1000	1300
सीजीएसटी	300	200
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	<u>300</u>	<u>200</u>
कुल	1600	1700

विकल्प 1

आईटीसी का	आउटपुट आईजीएसटी देयता (₹) का निर्वहन	आउटपुट सीजीएसटी देयता (₹) का निर्वहन	आउटपुट एसजीएसटी/यूटीजीएसटी देयता (₹) का निर्वहन	आईटीसी शेष राशि (₹)
आईजीएसटी	1000	200	100	0
आईटीसी ऑफ आईजीएसटी पूरी तरह समाप्त हो चुका है				
सीजीएसटी	0	100	-	100

एसजीएसटी/यूटी जीएसटी	0	-	200	0
कुल	1000	300	300	100

विकल्प 2

आईटीसी का	आउटपुट आईजीएसटी देयता (₹) का निर्वहन	आउटपुट सीजीएसटी देयता (₹) का निर्वहन	आउटपुट एसजीएसटी/यूटीजीएसटी देयता (₹) का निर्वहन	आईटीसी शेष राशि (₹)
आईजीएसटी	1000	100	200	0
आईटीसी ऑफ आईजीएसटी पूरी तरह समाप्त हो चुका है				
सीजीएसटी	0	200	-	0
एसजीएसटी/यूटीजी एसटी	0	-	100	100
कुल	1000	300	300	100

विकल्प 3

आईटीसी का	आउटपुट आईजीएसटी देयता (₹) का निर्वहन	आउटपुट सीजीएसटी देयता (₹) का निर्वहन	आउटपुट एसजीएसटी/यूटीजीएसटी देयता (₹) का निर्वहन	आईटीसी शेष राशि (₹)
आईजीएसटी	1000	150	150	0
आईटीसी ऑफ आईजीएसटी पूरी तरह समाप्त हो चुका है				
सीजीएसटी	0	150	-	50
एसजीएसटी/यूटीजी एसटी	0	-	150	50
कुल	1000	300	300	100

आईटीसी ऑफ आईजीएसटी का उपयोग सीजीएसटी और एसजीएसटी देयताओं के खिलाफ करने के लिए अन्य विकल्प भी हो सकते हैं। इस उदाहरण में, सीजीएसटी और एसजीएसटी देयताओं के खिलाफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी का उपयोग करने के तीन विकल्प दर्शाए गए हैं।

आईटीसी के उपयोग पर प्रतिबंध [नियम 86 क]

आयुक्त/एक अधिकारी (सहायक आयुक्त के स्तर से नीचे न हो) जिसे वह अधिकृत करता है, को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध आईटीसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, यदि उसके पास यह विश्वास करने के कारण हों कि ऐसा आईटीसी धोखाधड़ीपूर्वक लिया गया है या अयोग्य है।

आईटीसी पर प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में लगाया जा सकता है:

- (i) आईटीसी का लाभ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कर चालानों/डेबिट नोट्स/निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर लिया गया हो -
- गैर-मौजूद पंजीकृत व्यक्ति (सप्लायर) द्वारा जारी किया गया हो या उस सप्लायर द्वारा जारी किया गया हो जो पंजीकरण में घोषित स्थान से कोई व्यवसाय नहीं कर रहा हो; या
 - वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की वास्तविक प्राप्ति के बिना; या
 - किसी भी आपूर्ति के संबंध में, जिसके कर का भुगतान सरकार को नहीं किया गया हो
- (ii) आईटीसी का लाभ लेने वाला पंजीकृत व्यक्ति गैर-मौजूद पाया गया हो या पंजीकृत व्यवसाय स्थल से कोई व्यवसाय नहीं कर रहा हो; या
- (iii) आईटीसी का लाभ लेने वाला पंजीकृत व्यक्ति कर चालान/डेबिट नोट या इसके लिए किसी अन्य निर्धारित वैध दस्तावेज का स्वामित्व नहीं रखता हो।

यदि आईटीसी इस प्रकार लिया गया है, तो उस आईटीसी का उपयोग भाग 49 के तहत किसी भी देयता को पूरा करने के लिए नहीं करने या उस आईटीसी की किसी भी अप्रयुक्त राशि की वापसी की अनुमति न देने के माध्यम से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे प्रतिबंध लागू करने की अवधि प्रतिबंध लगाने की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष तक हो सकती है। हालांकि, आयुक्त/अधिकारी जिसे वह अधिकृत करता है, ऐसे प्रतिबंध को हटा सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि प्रतिबंध लगाने की शर्तें अब मौजूद नहीं हैं।

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि के उपयोग पर प्रतिबंध [नियम 86 ख]

नियम 86बी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध आईटीसी का उपयोग आउटपुट टैक्स देयता को पूरा करने के लिए प्रतिबंधित करता है। उक्त नियम एक नॉन-ओब्स्टेंट क्लॉज़ से शुरू होता है और इस प्रकार, यह सीजीएसटी नियमों की किसी भी अन्य प्रावधानों पर अधिमान प्रभाव डालता है।

□ नियम 86 ख की लागूता

- ❖ नियम 86बी उन पंजीकृत व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी मासिक कर योग्य आपूर्ति (छूट प्राप्त आपूर्ति और शून्य-रेट आपूर्ति को छोड़कर) की मात्रा ₹ 50 लाख से अधिक हो।
- ❖ अतः उन मामलों में जहाँ किसी माह में कर योग्य आपूर्ति की मात्रा ₹ 50 लाख तक हो, इस प्रतिबंध का पालन नहीं किया जाएगा।

□ लगाए गए प्रतिबंध का स्वरूप

उस पंजीकृत व्यक्ति, जिस पर उक्त नियम लागू होता है, के लिए यह आईटीसी का उपयोग आउटपुट टैक्स देयता का 99% से अधिक पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग आउटपुट टैक्स देयता का केवल 99% पूरा करने तक ही किया जा सकेगा। शेष 1% आउटपुट टैक्स देयता का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करना आवश्यक है। उपरोक्त प्रतिबंध को संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है:

आउटपुट टैक्स देयता का न्यूनतम 1% इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का उपयोग करके भुगतान किया जाना चाहिए।



(45) फरवरी माह के लिए रमन एंड सन्स की अंतर-राज्यीय आपूर्ति का कुल मूल्य ₹100 लाख है। उक्त आपूर्ति पर 18% आईजीएसटी लागू है। अतः रमन एंड सन्स की कुल आउटपुट टैक्स देयता ₹18 लाख है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि ₹20 लाख (आईजीएसटी) है। नियम 86बी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के अनुसार, रमन एंड सन्स अपनी आउटपुट टैक्स देयता का 99% अर्थात् ₹17,82,000 (₹18,00,000 का 99%) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि से चुका सकता है। हालांकि, शेष 1% आउटपुट टैक्स देयता अर्थात् ₹18,000 (₹18,00,000 का 1%) का भुगतान अनिवार्य रूप से केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से करना होगा।

□ नियम 86बी के अपवाद

आईटीसी के संभावित दुरुपयोग को रोकने और अनुपालक करदाताओं को राहत प्रदान करने के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, नियम 86बी के कुछ अपवाद निर्धारित किए गए हैं। ये अपवाद विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि जिन करदाताओं ने कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा किया है, उन्हें नियम 86बी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से अनावश्यक रूप से बौझिल न होना पड़े।

➤ ₹1 लाख से अधिक की आयकर का भुगतान

नियम 86बी के तहत प्रतिबंध उन मामलों में लागू नहीं होता जहाँ नीचे उल्लेखित व्यक्ति ने प्रत्येक पिछले 2 वित्तीय वर्षों में (जिनके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की भाग 139(1) के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है) आयकर के रूप में ₹1 लाख से अधिक का भुगतान किया हो:

- ❖ पंजीकृत व्यक्ति/स्वामी/कर्ता/प्रबंध निदेशक/इसके किसी भी दो साझेदार
 - ❖ पूर्णकालिक निदेशक
 - ❖ संघों की प्रबंध समिति के सदस्य
 - ❖ विश्वासियों की समिति
- **₹1 लाख से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी प्राप्त करना**
नियम 86 ख उस स्थिति में लागू नहीं होता जब पंजीकृत व्यक्ति ने अप्रयुक्त आईटीसी के कारण ₹1 लाख से अधिक की वापसी प्राप्त की हो:
- ❖ कर का भुगतान किए बिना की गई शून्य-रेट आपूर्ति
 - ❖ इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर
- यह ध्यान देने योग्य है कि वापसी राशि पिछली वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई होनी चाहिए।
- **वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल आउटपुट टैक्स देयता के 1% से अधिक राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से**
यदि पंजीकृत व्यक्ति ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के उक्त माह तक, संचयी रूप से, कुल आउटपुट टैक्स देयता के 1% से अधिक राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से किया है, तो नियम 86बी के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
यह अपवाद उन पंजीकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करता है जिन्होंने लगातार अपनी जीएसटी देयताओं के लिए पर्याप्त नकद भुगतान किया है। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कुल जीएसटी नकद भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी पूर्ववर्ती महीनों के लिए संचयी रूप से माना जाता है। यह संचयी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत व्यक्ति को पूरे वर्ष में किए गए उसके लगातार नकद भुगतानों के लिए श्रेय दिया जाए, बजाय इसके कि प्रत्येक महीने का स्वतंत्र रूप से आकलन किया जाए।



(46) मान लीजिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सितम्बर माह तक बाह्य आपूर्ति का मूल्य ₹80 लाख है। अगस्त माह तक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से चुकाई गई आउटपुट टैक्स देयता ₹1 लाख है। नियम 86 ख सितम्बर माह में लागू नहीं होगा, भले ही इस माह के दौरान आपूर्ति का मूल्य ₹50 लाख से अधिक हो, क्योंकि नकद में किया गया संचयी टैक्स भुगतान कुल आउटपुट टैक्स देयता के 1% से अधिक है (₹80 लाख का 1% = ₹80,000) ।

₹50 लाख से अधिक हो, क्योंकि नकद में किया गया संचयी टैक्स भुगतान कुल आउटपुट टैक्स देयता के 1% से अधिक है (₹80 लाख का 1% = ₹80,000)।

चार्ज मैकेनिज्म के तहत भुगतान की गई जीएसटी देयता को इलेक्ट्रॉनिक केश लेजर के माध्यम से किए गए भुगतान में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

➤ निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति

नियम 86बी निम्नलिखित पंजीकृत व्यक्तियों के मामले में लागू नहीं होता:

- ❖ सरकारी विभाग; या
- ❖ एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम; या
- ❖ एक स्थानीय प्राधिकरण; या
- ❖ एक संवैधानिक निकाय।

हालांकि, आयुक्त या इस संबंध में अधिकृत अधिकारी, उपयुक्त सत्यापन और आवश्यक सुरक्षा उपायों के बाद उक्त प्रतिबंध को हटा सकता है।

प्रश्नोत्तरी
समय!



5

दुआ एंड कंपनी ने मार्च माह में ₹80 लाख की बाह्य अंतर-राज्यीय आपूर्ति की। इस माह के दौरान, उसने ₹70 लाख के कच्चे माल की खरीद की और ₹5 लाख का सीमेंट एक संयंत्र और मशीनरी के लिए नींव और संरचनात्मक समर्थन बनाने हेतु प्राप्त किया। मान लीजिए कि संबंधित अवधि के लिए आईजीएसटी का आईटीसी ओपनिंग बैलेंस ₹2 लाख है और मार्च माह में की गई सभी इनवर्ड और आउटवर्ड आपूर्ति अंतर-राज्यीय हैं। तो, मार्च माह के लिए नेट आईजीएसटी देयता (यदि कोई हो) केश में गणना कीजिए। लागू जीएसटी दर: 18%। उपरोक्त जानकारी के आधार पर, आईटीसी का लाभ लेने के लिए सभी अन्य आवश्यक शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

(क) ₹ 14,400

(ख) शून्य

(ग) ₹ 14.40 लाख

(घ) ₹ 9,000

उदाहरण 2

एबीसी लिमिटेड, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है, भारी मशीनरी के निर्माण में संलग्न है। इसने जुलाई माह के दौरान निम्नलिखित वस्तुओं की प्राप्ति की।

क्र. सं.	वस्तुएँ	जीएसटी (₹)
(i)	इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, जो निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने हैं	5,20,000
(ii)	कच्चे माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रक	1,00,000
(iii)	कच्चा माल	2,00,000
(iv)	मिठाई/कॉनफेक्शनरी आइटम। ये वस्तुएँ कंपनी द्वारा आयोजित ग्राहक मिलन समारोह में ग्राहकों को मुफ्त में प्रदान की गईं।	25,000

जुलाई माह के लिए एबीसी कंपनी लिमिटेड द्वारा लाभ लिया जा सकने वाले आईटीसी की राशि निर्धारित कीजिए और विभिन्न वस्तुओं के उपचार के लिए आवश्यक व्याख्या प्रदान कीजिए। उपरोक्त दी गई जानकारी के आधार पर, मान लें कि आईटीसी का लाभ लेने के लिए सभी अन्य आवश्यक शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

उत्तर

जुलाई माह के लिए एबीसी कंपनी लिमिटेड द्वारा लाभ लिया जा सकने वाले आईटीसी की गणना

क्र. सं.	वस्तुएँ	आईटीसी (₹)
(i)	इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर [व्यवसाय के संचालन या उसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयुक्त वस्तुएँ होने के कारण, इसके आईटीसी का लाभ भाग 16(1) के अंतर्गत उपलब्ध है]	5,20,000
(ii)	कच्चे माल के परिवहन के लिए उपयोग किए गए ट्रक [वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहनों पर आईटीसी भाग 17(5)(ए) के तहत अवरुद्ध नहीं है]	1,00,000
(iii)	कच्चा माल	2,00,000

	[व्यवसाय के संचालन या उसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयुक्त वस्तुएँ होने के कारण, इसके आईटीसी का लाभ भाग 16(1) के अंतर्गत उपलब्ध है]	
(iv)	ग्राहक मिलन समारोह में ग्राहकों के उपभोग हेतु कॉन्फेक्शनरी आइटम [भोजन या पेय पदार्थों पर आईटीसी विशेष रूप से अस्वीकृत है जब तक कि इसका उपयोग समान श्रेणी की आउटवर्ड टैक्सेबल आपूर्ति बनाने में या कर योग्य संयुक्त/मिश्रित आपूर्ति के घटक के रूप में न किया गया हो - भाग 17(5)(ब)(i)]	शून्य
	कुल आईटीसी	8,20,000

उदाहरण 3

एक्सवायजेड लिमिटेड, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है, कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में संलग्न है। निम्नलिखित विवरणों के आधार पर अक्टूबर माह के लिए एक्सवायजेड लिमिटेड द्वारा लाभ लिया जा सकने वाला आईटीसी निर्धारित कीजिए।:-

क्र. सं.	इनवर्ड आपूर्ति	जीएसटी (₹)	टिप्पणियाँ
(i)	इनपुट्स 'क'	1,00,000	एक चालान, जिस पर देय जीएसटी ₹10,000 था, गायब है।
(ii)	इनपुट्स 'ख'	50,000	इनपुट दो खेपों में प्राप्त किए जाने हैं। पहली खेप अक्टूबर में प्राप्त हुई है।
(iii)	पूंजीगत वस्तुएँ	1,20,000	एक्सवायजेड लिमिटेड ने पूंजीगत वस्तुओं को पूर्ण चालान मूल्य (जीएसटी सहित) पर पूंजीकृत किया है, क्योंकि वह पूर्ण चालान मूल्य पर मूल्यहास का लाभ लेगी।
(iv)	इनपुट सेवाएँ	2,25,000	एक चालान, दिनांक 20 जनवरी, जिस पर देय जीएसटी ₹50,000 था, गायब था और अक्टूबर में प्राप्त हुआ है।

नोट:

- उपरोक्त दी गई जानकारी के अधीन यह मान लिया जाए कि आईटीसी प्राप्त करने के लिए आवश्यक अन्य सभी शर्तें पूर्ण की गई हैं।
- पिछले वित्तीय वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15 सितंबर को दायर किया गया था।

उत्तर

अक्टूबर माह के लिए एक्सवायजेड लिमिटेड द्वारा लिया जा सकने वाला आईटीसी का गणन

क्र. सं.	इनवर्ड आपूर्ति	आईटीसी (₹)
(i)	इनपुट्स 'ए' [गायब चालान पर आईटीसी नहीं ली जा सकती। आईटीसी का दावा करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति के पास चालान होना आवश्यक है - भाग 16(2)(ए)]	90,000
(ii)	इनपुट्स 'बी' [जब इनपुट्स को खेपों में प्राप्त किया जाता है, तो आईटीसी केवल अंतिम खेप प्राप्त होने पर ही लिया जा सकता है - भाग 16(2) का प्रथम उपबंध]	शून्य
(iii)	पूँजीगत वस्तुएँ [भाग 16(3) के अनुसार, यदि पूँजीगत वस्तुओं पर कर घटक पर मूल्यहास दावा किया गया है, तो उस पर चुकाए गए इनपुट टैक्स को आईटीसी के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता।]	शून्य
(iv)	इनपुट सेवाएँ [भाग 16(4) के अनुसार, किसी चालान पर आईटीसी उसी वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद 30 नवंबर या वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तारीख में से जो भी पहले हो, उसके बाद प्राप्त नहीं की जा सकती। चूंकि पिछले वित्तीय वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15 सितंबर को (30 नवंबर से पहले) दाखिल किया जा चुका है, इसलिए पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित चालान पर आईटीसी 15 सितंबर के बाद प्राप्त नहीं की जा सकती।]	1,75,000
	कुल आईटीसी	2,65,000

उदाहरण 4

एक्सटी प्रा. लि., एक वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता, नियमित योजना के तहत जीएसटी का भुगतान करता है। इसने कर अवधि में निम्नलिखित आउटपुट कर योग्य आपूर्ति की है:

विवरण	राशि (₹)
राज्य-अंदर की वस्तुओं की आपूर्ति	8,00,000
राज्य-से-राज्य वस्तुओं की आपूर्ति	3,00,000

इसने उस कर अवधि में की गई खरीद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी भी प्रदान की है:

विवरण	राशि (₹)
राज्य-अंदर की वस्तुओं की खरीद	2,00,000
राज्य-से-राज्य वस्तुओं की खरीद	50,000

कंपनी के पास उस कर अवधि के लिए निम्नलिखित आईटीसी शेष राशि हैं।:

विवरण	राशि (₹)
सीजीएसटी	57,000
एसजीएसटी	शून्य
आईजीएसटी	70,000

नोट:

- सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की दरें क्रमशः 9%, 9% और 18% हैं।
- जहां भी लागू हो, आंतरिक और बाह्य आपूर्ति दोनों करों से अलग हैं।
- आईटीसी प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी शर्तें पूरी की जा चुकी हैं।

एक्सटी प्रा. लि. द्वारा उस कर अवधि के लिए नकद में देय न्यूनतम जीएसटी की गणना करें। आवश्यकतानुसार उचित अनुमान लगाएँ।

उत्तर

आउटवर्ड सप्लाईज पर देय जीएसटी की गणना

क्र. सं.	विवरण	सीजीएसटी @ 9% (₹)	एसजीएसटी @ 9% (₹)	आईजीएसटी @ 18% (₹)	कुल (₹)
(i)	राज्य-अंदर की वस्तुओं की आपूर्ति ₹ 8,00,000 के लिए	72,000	72,000		1,44,000
(ii)	राज्य-से-राज्य वस्तुओं की आपूर्ति ₹ 3,00,000 के लिए			54,000	54,000
	कुल देय जीएसटी				1,98,000

कुल आईटीसी की गणना

विवरण	सीजीएसटी @ 9% (₹)	एसजीएसटी @ 9% (₹)	आईजीएसटी @ 18% (₹)
आरंभिक आईटीसी	57,000	शून्य	70,000
जोड़ें: राज्य-अंदर की वस्तुओं की खरीद पर आईटीसी, मूल्य ₹2,00,000	18,000	18,000	शून्य
जोड़ें: राज्य-से-राज्य वस्तुओं की खरीद पर आईटीसी, मूल्य ₹50,000	शून्य	शून्य	9,000
कुल आईटीसी	75,000	18,000	79,000

इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से न्यूनतम देय जीएसटी की गणना

विवरण	सीजीएसटी @ 9% (₹)	एसजीएसटी @ 9% (₹)	आईजीएसटी @ 18% (₹)	कुल (₹)
देय जीएसटी	72,000	72,000	54,000	1,98,000
घटाएँ: आईटीसी [आईजीएसटी का पहला आईटीसी]	(शून्य)	(25,000)	(54,000)	79,000


पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए - पहले आईजीएसटी देयता के विरुद्ध और फिर सीजीएसटी एवं एसजीएसटी देयताओं के विरुद्ध, ताकि नकद भुगतान न्यूनतम हों]	आईजीएसटी	आईजीएसटी	आईजीएसटी	
सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी क्रमशः सीजीएसटी और एसजीएसटी के विरुद्ध समायोजित किया गया	(72,000) सीजीएसटी	(18,000) एसजीएसटी		90,000
नकद में न्यूनतम देय जीएसटी	शून्य	29,000	शून्य	29,000


नोट: चूंकि सीजीएसटी के आईटीसी की पर्याप्त शेष राशि सीजीएसटी देयता के भुगतान के लिए उपलब्ध है और सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी का क्रॉस उपयोग अनुमति प्राप्त नहीं है, इसलिए नकद भुगतान को न्यूनतम करने के लिए आईजीएसटी का आईटीसी (आईजीएसटी देयता का भुगतान करने के बाद) एसजीएसटी का भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया है।




आइए पुनःसारांश करें


- I. कुछ प्रमुख शब्दों की परिभाषाएँ निम्नलिखित आरेखों के माध्यम से संक्षेपित की गई हैं:






गैर-निवासी करदायी व्यक्ति





II. भाग 16 के प्रावधान, जो आईटीसी प्राप्त करने की पात्रता और शर्तों से संबंधित हैं, संबंधित नियमों के साथ संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।



यदि कर घटक पर अवमूल्यन लिया गया हो, तो आईटीसी अनुमति नहीं है।

मालों को किस्तों में प्राप्त किया गया → आईटीसी केवल अंतिम किस्त की प्राप्ति पर अनु

आईटीसी प्राप्त करने की समय सीमा - किसी विशेष वित्तीय वर्ष से संबंधित आईटीसी अगले वित्तीय वर्ष की 30 नवंबर तक या वार्षिक रिटर्न दाखिल करने तक, जो भी पहले हो, प्राप्त किया जा सकता है।
अपवाद: पहले पलटा गया आईटीसी पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

❖ यदि चालान जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर माल और/या सेवाओं के पूरे/आंशिक मूल्य + कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अनुपातित आईटीसी को पलटा/ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।


❖ प्रदायक को भुगतान करने पर, आईटीसी को बिना किसी समय सीमा के पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

अपवाद


- रिवर्स चार्ज आपूर्ति
- बिना मूल्यांकन की मान्यताप्राप्त आपूर्ति
- आपूर्ति के मूल्य में उन जोड़ियों को शामिल किया गया है जो आपूर्तिकर्ता की देयता के कारण प्राप्तकर्ता द्वारा वहन की गई हैं।


III. भाग 17 के प्रावधान, जो क्रेडिट के विभाजन और अवरुद्ध क्रेडिट से संबंधित हैं, संबंधित नियमों के साथ संक्षेप में निम्नलिखित हैं।

ए. क्रेडिट का विभाजन



मुक्त आपूर्ति में रिवर्स चार्ज आपूर्ति और प्रतिभूतियों में लेन-देन शामिल हैं और इसमें अनुसूची III में निर्दिष्ट गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं, सिवाय इसके कि भूमि की बिक्री और भवन की बिक्री जब पूरा मुआवजा पूरा होने के प्रमाण पत्र/पहली अधिभोग की तिथि के बाद प्राप्त किया गया हो, जो भी पहले हो, और उक्त अनुसूची के पैराग्राफ 8 की खंड (ए) के संबंध में निर्धारित की गई ऐसी गतिविधियाँ/लेन-देन का मूल्य।






अयोग्य एमवी - 13 व्यक्तियों (डाइवर सहित) तक की बैठने की क्षमता वाले व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटर वाहन, वीईएस एवं एसी - जहाज एवं विमान, जीआई - जनरल इंश्योरेंस, आर एंड एम - मरम्मत एवं रखरखाव, एफ एंड बी - भोजन एवं पेय पदार्थ, आउटडोर कैटरिंग - बाहरी खानपान सेवा, बीटी - ब्यूटी ट्रीटमेंट, एचएस - स्वास्थ्य सेवाएँ, सी एंड पीएस - कॉस्मेटिक एवं प्लास्टिक सर्जरी, एलआई - जीवन बीमा, एचआई - स्वास्थ्य बीमा, एनआरटीपी - गैर-निवासी करदाता व्यक्ति, डब्ल्यूसीएस - वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेवा, एलटीसी - लीव ट्रेवल कंसेशन, एचटी - होम टाउन, ट्रप्टन - परिवहन, पी एंड एम - प्लांट एवं मशीनरी।

(क) निर्माण में पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/जोड़/परिवर्तन/मरम्मत शामिल हैं, जब तक कि उक्त अचल संपत्ति में पूंजीकरण की सीमा तक हो।
(ख) पी एंड एम का अर्थ है उपकरण, मशीनरी एवं यंत्र जो आधार या संरचनात्मक समर्थन के द्वारा भूमि से जुड़े हों, लेकिन इसमें भूमि, भवन/अन्य सिविल संरचनाएँ, दूरसंचार टावर, और फैक्ट्री परिसर के बाहर बिछाई गई पाइपलाइनों को शामिल नहीं किया गया है।

IV. भाग 18 के प्रावधान, संबंधित नियमों सहित, का सारांश निम्नानुसार है:


क. क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देने वाली विशेष परिस्थितियाँ



उपरोक्त क्रेडिट प्राप्त करने की शर्तें:

- इलेक्ट्रॉनिक घोषणा दाखिल करना जिसमें उस दिन के ठीक पहले की स्थिति में स्टॉक में रखे इनपुट/अर्द्ध-निर्मित माल और तैयार माल में निहित इनपुट तथा पूंजीगत वस्तुओं का विवरण दिया गया हो, जिस दिन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है।
- क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पात्र होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर घोषणा दाखिल करनी होगी।
- उपर्युक्त (i) में दी गई जानकारी का प्रमाण एक प्रैक्टिसिंग सी.ए./कास्ट अकाउंटेंट द्वारा देना आवश्यक है यदि सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी./आई.जी.एस.टी. क्रेडिट का कुल दावा ₹2,00,000 से अधिक हो।

ख. क्रेडिट पलटने/राशि भुगतान की ओर ले जाने वाली विशेष परिस्थितियाँ



पंजीकृत व्यक्ति की संगठन संरचना में परिवर्तन के कारण अप्रयुक्त आई.टी.सी. का स्थानांतरण

विक्रय, विलय, एकीकरण, लीज़ या व्यवसाय के स्थानांतरण के मामले में, यदि नए इकाई को देयताओं के हस्तांतरण के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान है, तो अप्रयुक्त आई.टी.सी. नए इकाई को स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे स्थानांतरित इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं को ग्राही द्वारा उसकी खाता पुस्तकों में उचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

विभाजन (डिमर्जर) के मामले में, आई.टी.सी. को नए इकाइयों की संपूर्ण संपत्तियों (उन संपत्तियों सहित जिन पर आई.टी.सी. नहीं लिया गया है) के मूल्य के अनुपात में डिमर्जर योजना के अनुसार विभाजित किया जाता है।

संगठन संरचना में परिवर्तन का विवरण सामान्य पोर्टल पर अप्रयुक्त आई.टी.सी. के हस्तांतरण के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सी.ए./कास्ट अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि संगठन संरचना में परिवर्तन देयताओं के हस्तांतरण के लिए विशिष्ट प्रावधान के साथ किया गया है।

जब ग्राही द्वारा सामान्य पोर्टल पर ऐसे विवरणों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अप्रयुक्त आई.टी.सी. उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाता है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न व्यावसायिक स्थलों के लिए अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त करने पर अप्रयुक्त आई.टी.सी. का स्थानांतरण

विभिन्न व्यावसायिक स्थलों के लिए अलग-अलग पंजीकरण रखने वाला पंजीकृत व्यक्ति अपने अप्रयुक्त आई.टी.सी. को नए पंजीकृत व्यावसायिक स्थल(ओं) में से किसी एक या सभी में उस समय उनके पास उपलब्ध संपत्तियों के मूल्य के अनुपात में स्थानांतरित कर सकता है।


संपत्तियों का मूल्य का अर्थ है व्यवसाय की संपूर्ण संपत्तियों का मूल्य, चाहे उनके लिए आई.टी.सी. लिया गया हो या नहीं।

पंजीकृत व्यक्ति को ऐसे अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर नियत विवरण प्रदान करना चाहिए।

जब नए पंजीकृत व्यक्ति (ग्राही) द्वारा सामान्य पोर्टल पर ऐसे विवरणों को स्वीकार

कर लिया जाता है, तो अप्रयुक्त आई.टी.सी. उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाता है।

V. आईटीसी के उपभोग से संबंधित उपबंधों का सारांश निम्नानुसार है:





अपने ज्ञान की परीक्षा लें

1. इनपुट कर क्या है?
2. आईटीसी के उपभोग के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?
3. क्या कोई व्यक्ति आपूर्ति के साथ कर का भुगतान किए बिना प्रतिफल का भुगतान किए बिना आईटीसी ले सकता है?
4. आईटीसी लेने की समय-सीमा क्या है तथा उसके कारण क्या हैं?
5. नये पंजीकृत व्यक्ति का आईटीसी पर अधिकार क्या है?
6. ऐसे पंजीकृत वस्तुओं की आपूर्ति पर कर का प्रभाव क्या होगा, जिन पर पंजीकृत व्यक्ति ने आईटीसी लिया हो?
7. एक पंजीकृत व्यक्ति अपना व्यवसाय किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित करता है।
क्या ऐसा पंजीकृत व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में पड़ी अप्रयुक्त आईटीसी को ऐसे स्थानांतरित किए गए व्यवसाय में ट्रांसफर करने की अनुमति रखता है? चर्चा करें।
8. स्वस्तिक प्रा. लि. कर योग्य वस्तुओं का निर्माता है। इसने ₹8,00,000 की मशीनरी खरीदी, जिस पर ₹14,400 का आईजीएसटी भरा गया। कंपनी ने मशीन के पूरे मूल्य पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मूल्यहास का दावा किया है, अर्थात् आईजीएसटी घटक सहित, और साथ ही उसने ₹14,400 का आईजीएसटी के रूप में आईटीसी भी लिया।
कंपनी द्वारा अपनाए गए रुख की कानूनी रूप से सही होने की जांच करें।
9. एक कर योग्य व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसाय में संलग्न है। वह अपने कार्यकारी निदेशकों के उपयोग के लिए एक कार (अधिकतम बैठने की क्षमता - 5 व्यक्ति) खरीदता है।
क्या वह ऐसी कार की खरीद पर भुगतान किए गए जीएसटी के संबंध में आईटीसी का लाभ उठा सकता है?
10. एक तकनीकी परीक्षण एजेंसी बीएमटी लिमिटेड द्वारा भेजे जाने से पहले प्रत्येक मशीन टूल के बैच का परीक्षण और प्रमाणन करती है। इनमें से कुछ उपकरण एसईजेड की किसी इकाई को अधिकृत कार्यों के लिए भेजे जाते हैं, जिन पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया जाता क्योंकि ये आपूर्ति कर योग्य नहीं हैं।
बीएमटी लिमिटेड के वित्तीय कर्मों यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें परीक्षण एजेंसी की सेवाओं पर आईटीसी की उलट करनी होगी, जो एस.ई.जेड. आपूर्ति से संबंधित है। अपने विचार प्रकट करें।

11. ए.बी.', एक पंजीकृत व्यक्ति, 30 जुलाई तक संरचना योजना के तहत कर का भुगतान कर रहा था। हालांकि, 31 जुलाई से, ए.बी.' नियमित योजना के तहत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

क्या ए.बी.' किसी भी आईटीसी के लिए पात्र है?

12. बबला एंटरप्राइजेज़ केवल वस्तुओं की करमुक्त आपूर्ति में संलग्न है और इस कारण जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं है। 1 अक्टूबर को, इसकी वस्तुओं पर उपलब्ध छूट वापस ले ली जाती है। उस दिन बबला एंटरप्राइजेज़ का कारोबार ₹ 45 लाख था।

बबला एंटरप्राइजेज़ की आईटीसी लेने की पात्रता की जांच करें, यदि कोई हो।

13. ममता ट्रेड लिंक्स करमुक्त वस्तुओं में व्यापार करती है और कर योग्य सेवाएँ प्रदान करती है। यह जी.एस.टी. के तहत पंजीकृत है। 1 अक्टूबर को, इसकी वस्तुओं पर उपलब्ध छूट वापस ले ली जाती है।

इस स्थिति का विश्लेषण करें और यह निर्धारित करें कि ममता ट्रेड लिंक्स इनपुट और/या पूंजीगत वस्तुओं पर किसी भी आईटीसी के लिए पात्र है या नहीं, जो करमुक्त वस्तुओं की आपूर्ति में उपयोग की गई हैं।

14. हर्षगीत प्रा. लि., एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में संलग्न है। कंपनी ने जुलाई माह के दौरान की गई खरीद/सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:

क्रमांक	विवरण	जीएसटी (₹)
(1)	कच्चा माल (सितंबर माह में प्राप्त किया जाना है)	2,50,000
(2)	फैक्टरी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्लब की सदस्यता (किसी भी कानून के तहत प्रदान करना अनिवार्य नहीं)	1,45,000
(3)	इनपुट्स पाँच किस्तों में प्राप्त किए जाने हैं, जिनमें से तीसरी किस्त महीने के दौरान प्राप्त हुई।	80,000
(4)	कच्चे माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रक	40,000
(5)	पूंजीगत वस्तुएँ (3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का चालान अनुपस्थित है और उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया जीएसटी ₹ 80,000)	1,50,000

हर्षगीत प्रा. लि. द्वारा जुलाई माह के लिए कितनी आईटीसी ली जा सकती है, इसका निर्धारण करते समय विभिन्न वस्तुओं के उपचार के लिए आवश्यक व्याख्या प्रदान करें।

उपरोक्त दी गई जानकारी के अनुसार, आईटीसी का लाभ उठाने के लिए अन्य सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

15. जमकू लिमिटेड, एक पंजीकृत व्यक्ति, मसालों के व्यवसाय में संलग्न है। यह अक्टूबर माह में प्राप्त आंतरिक आपूर्तियों पर चुकाए गए जीएसटी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है।

क्रमांक	विवरण	जीएसटी (₹)
(1)	कच्चे मसालों की खरीद - ग्राहकों को बेचे गए कच्चे मसाले - निदेशकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयुक्त कच्चे मसाले	50,000 20,000
(2)	निर्माण प्रक्रिया में उपयोग के लिए खरीदी गई इलेक्ट्रिक मशीनरी	25,000
(3)	कर्मचारियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त 6 सीटर मोटर वाहन	55,000
(4)	स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए ठेकेदार को किए गए भुगतान	1,25,000

जमकू लिमिटेड द्वारा अक्टूबर माह के लिए कितनी आईटीसी ली जा सकती है, इसका निर्धारण करते समय विभिन्न वस्तुओं के उपचार के लिए आवश्यक व्याख्या प्रदान करें। उपरोक्त दी गई जानकारी के अनुसार, आईटीसी का लाभ उठाने के लिए अन्य सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

16. डीना लिमिटेड, महाराष्ट्र का एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, यात्री ऑटो के निर्माण में संलग्न है। कंपनी मार्च माह के दौरान की गई खरीद/प्राप्त सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करती है:

क्रमांक	विवरण	जीएसटी (₹)
(1)	लोहा की खरीद, जो कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है/सामग्री दो किस्तों में प्राप्त की गई – पहली मार्च में और दूसरी अप्रैल में]	2,50,000
(2)	सहायक उपकरणों की खरीद, जो डीना लिमिटेड के निर्देश पर सीधे कंपनी के डीलरों को वितरित किए गए [केवल चालान डीना लिमिटेड को प्राप्त हुआ]	90,000

(3)	कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से कंपनी तक और वापस ले जाने के लिए 15 सीट क्षमता वाली बस की खरीद	1,97,000
(4)	कंपनी के अधिकारियों द्वारा कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त 5 सीट क्षमता वाली कार पर लिया गया सामान्य बीमा	5,200

आपको मार्च माह के लिए डीना लिमिटेड द्वारा ली जा सकने वाली आईटीसी का निर्धारण करना है, साथ ही विभिन्न वस्तुओं के उपचार के लिए संक्षिप्त व्याख्या प्रदान करनी है। उपरोक्त दी गई जानकारी के अनुसार, आईटीसी का लाभ उठाने के लिए अन्य सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

17. कम्फर्टेबल (प्रा.) लि. ओडिशा राज्य में जीएसटी के तहत पंजीकृत है। यह लोहा और इस्पात उत्पादों के निर्माण के व्यवसाय में संलग्न है। इसे हाई-फाई इन्फोटेक (प्रा.) लि. से 28 अक्टूबर को ₹11,00,000/- (जीएसटी @ 18% को छोड़कर) की आईटी इंजीनियरिंग सेवाएँ प्राप्त हुईं। प्रदान की गई सेवा के लिए चालान 5 नवंबर को जारी किया गया।

कम्फर्टेबल (प्रा.) लि. ने 30 नवंबर को ₹4,20,000/- का आंशिक भुगतान किया। हाई-फाई इन्फोटेक (प्रा.) लि. द्वारा प्रदान की गई सेवा से असंतुष्ट होने के कारण उसने शेष भुगतान नहीं किया। प्रदान की गई सेवा में कमी को हाई-फाई इन्फोटेक (प्रा.) लि. ने अगले वित्तीय वर्ष की 15 अप्रैल तक पूरा कर दिया। कम्फर्टेबल (प्रा.) लि. ने शेष भुगतान अगले वित्तीय वर्ष की 6 जुलाई को किया।

कम्फर्टेबल (प्रा.) लि. द्वारा हाई-फाई इन्फोटेक (प्रा.) लि. से प्राप्त आईटी इंजीनियरिंग सेवाओं के संबंध में आईटीसी की उपलब्धता का विश्लेषण इस प्रकार है।

18. नई दिल्ली के एम/एस. दीवान एंड संस ने नोएडा, उत्तर प्रदेश के एम/एस. करीम एंड ब्रदर्स को 250 किग्रा प्लास्टिक ग्रैन्यूल @ ₹50 प्रति किग्रा (जीएसटी को छोड़कर) का ऑर्डर दिया है। एम/एस. करीम एंड ब्रदर्स ने माल को एम/एस. दीवान एंड संस के गोदाम, नई दिल्ली में वितरित करने के लिए सहमति दी है।

जब एम/एस. करीम एंड ब्रदर्स के कारखाने में ऑर्डर पैक किया जा रहा था, उसी समय एम/एस. दीवान एंड संस को हापुर, उत्तर प्रदेश की शुभकामना सेल्स से 250 किग्रा प्लास्टिक ग्रैन्यूल @ ₹60 प्रति किग्रा (जीएसटी को छोड़कर) का ऑर्डर मिला। परिवहन लागत बचाने के लिए, एम/एस. दीवान एंड संस ने एम/एस. करीम एंड ब्रदर्स से अनुरोध किया कि प्लास्टिक ग्रैन्यूल सीधे शुभकामना सेल्स के हापुर स्थित गोदाम में वितरित किए जाएँ। इसके अनुसार, एम/एस. करीम एंड ब्रदर्स ने प्लास्टिक ग्रैन्यूल शुभकामना सेल्स के हापुर स्थित गोदाम में वितरित कर दिए।

एम/एस. दीवान एंड संस एवं एम/एस. करीम एंड ब्रदर्स के लिए आईटीसी की उपलब्धता की जांच करें।

सूचना: सभी पक्ष जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जीएसटी की दर 18% है।

19. पारितोष एंड कंपनी, एक वस्तु आपूर्तिकर्ता, नियमित योजना के तहत जीएसटी का भुगतान करता है। उसने एक कर अवधि में निम्नलिखित बाह्य कर योग्य आपूर्ति की है:

विवरण	राशि (₹)
राज्य के भीतर वस्तुओं की आपूर्ति	10,00,000
राज्य के भीतर वस्तुओं की आपूर्ति	8,00,000

उसने उस कर अवधि में की गई खरीद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी भी प्रस्तुत की है:

विवरण	राशि (₹)
राज्य के भीतर की गई वस्तुओं की खरीद	3,00,000
राज्य के भीतर की गई वस्तुओं की खरीद	2,50,000

पारितोष एंड कंपनी के पास उस कर अवधि के लिए निम्नलिखित आई.टी.सी. का उद्घाटन शेष है:

विवरण	राशि (₹)
सी.जी.एस.टी.	57,000
एस.जी.एस.टी.	60,000
आई.जी.एस.टी.	1,40,000

सूचना:

- सी.जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. की दरें क्रमशः 9%, 9% और 18% हैं।
- जहाँ लागू हो, दोनों इनवर्ड और आउटवर्ड आपूर्ति करों को अलग रखा गया है।
- आई.टी.सी. प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी शर्तें पूरी की जा चुकी हैं।

पारितोष एंड कंपनी के लिए कर अवधि के लिए न्यूनतम नकद में भुगतान योग्य जी.एस.टी. और अगले माह के लिए आगे ले जाने योग्य आई.टी.सी. की गणना करें।



जवाब

1. इनपुट टैक्स का अर्थ उस केंद्रीय कर (सी.जी.एस.टी.), राज्य कर (एस.जी.एस.टी.), एकीकृत कर (आई.जी.एस.टी.) या केन्द्र शासित प्रदेश कर (यू.टी.जी.एस.टी.) से है, जो किसी पंजीकृत व्यक्ति को की गई माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसमें रिवर्स चार्ज बेसिस पर भुगतान किया गया कर और आयात किए गए माल पर लागू एकीकृत माल एवं सेवा कर भी शामिल हैं। इसमें संयोजन प्रविधान के तहत भुगतान किया गया कर शामिल नहीं है।
2. आई.टी.सी. प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करदाता द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
 - (क) उसके पास कर चालान या डेबिट नोट या ऐसे अन्य कर भुगतान दस्तावेज़ हों, जैसा कि नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
 - (कक) उल्लिखित चालान या डेबिट नोट का विवरण प्रदायक द्वारा बाहरी आपूर्ति की विवरणिका में प्रस्तुत किया गया हो और ऐसे विवरण को चालान या डेबिट नोट के प्राप्तकर्ता को भाग 37 के तहत निर्दिष्ट तरीके से सूचित किया गया हो;
 - (ख) उसने माल या सेवा या दोनों प्राप्त कर लिए हों;
 - (खक) उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण, जो भाग 38 के तहत ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किया गया है, प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
 - (ग) भाग 41 के अधीन, प्रदायक ने वास्तव में आपूर्ति के संबंध में लगाए गए कर का भुगतान सरकार को कर दिया हो; और
 - (घ) उसने भाग 39 के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत किया हो।
3. हाँ, प्राप्तकर्ता आई.टी.सी. प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, उसे चालान जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर आपूर्ति के मूल्य के साथ कर का भुगतान करना आवश्यक है। यह शर्त उस स्थिति में लागू नहीं होती जब कर रिवर्स चार्ज बेसिस पर देय हो।
4. बिंदु (vi) "आई.टी.सी. प्राप्त करने की समय सीमा: उस चालान या डेबिट नोट से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष की 30 नवंबर या संबंधित वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि, जो भी पहले हो" को शीर्षक संख्या 3 "इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की योग्यता और शर्तें [भाग 16]" के अंतर्गत देखें।
5. (i) वह व्यक्ति जिसने पंजीकरण के लिए उस दिनांक से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया है।

जिस दिन वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हुआ, वह उस दिन के तुरंत पूर्व स्टॉक में रखे गए इनपुट और अर्ध-तय या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट का आई.टी.सी. प्राप्त कर सकता है, जिस दिन वह कर भुगतान के लिए उत्तरदायी हुआ।

(ii) स्वैच्छिक पंजीकरण के मामले में, पंजीकरण की तारीख के ठीक पहले दिन स्टॉक में रखे गए इनपुट और अर्ध-तय या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट का आई.टी.सी. प्राप्त किया जा सकता है।

6. यदि किसी पूंजीगत वस्तु या संयंत्र एवं मशीनरी की आपूर्ति पर आई.टी.सी. लिया गया हो, तो पंजीकृत व्यक्ति को उक्त पूंजीगत वस्तु या संयंत्र एवं मशीनरी पर लिए गए आई.टी.सी. की राशि का भुगतान करना होगा, जिसे चालान की तिथि से प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए 5% से घटाया जाएगा, या ऐसी पूंजीगत वस्तु या संयंत्र एवं मशीनरी के लेन-देन मूल्य पर कर, जो भी अधिक हो।

हालाँकि, यदि प्रतिरोधी ईटें, साँचे और डाई, जिग और फिक्स्चर कबाड़ के रूप में आपूर्ति किए जाते हैं, तो व्यक्ति लेन-देन मूल्य पर कर का भुगतान कर सकता है।

7. भाग 18(3) के अनुसार, बिक्री, विलय, पृथक्करण, एकत्रीकरण, व्यवसाय का स्थानांतरण या स्वामित्व में परिवर्तन आदि के मामले में, पंजीकृत व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष अप्रयुक्त आई.टी.सी. को नए उद्यम को स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते नए उद्यम को देयताओं के स्थानांतरण के लिए विशेष प्रावधान मौजूद हो।

पंजीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट से प्रमाणपत्र जमा करना चाहिए, जिसमें प्रमाणित हो कि संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन देयताओं के स्थानांतरण के विशेष प्रावधान के साथ किया गया है। ऐसे विवरणों को सामान्य पोर्टल पर स्थानांतरितकर्ता द्वारा स्वीकार किए जाने पर, अप्रयुक्त आई.टी.सी. उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा हो जाता है। स्थानांतरितकर्ता को हस्तांतरित किए गए इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं का उचित लेखांकन अपनी पुस्तकों में करना चाहिए।

8. भाग 16(3) के अनुसार, यदि पूंजीगत वस्तुओं और संयंत्र एवं मशीनरी पर आई.टी.सी. लेने वाला व्यक्ति उक्त वस्तुओं की लागत के कर घटक पर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मूल्यहास दावा कर चुका है, तो उक्त कर घटक पर आई.टी.सी. अनुमत नहीं होगा।

चूंकि दिए गए मामले में, स्वस्तिक प्रा. लि. ने मशीन की लागत के कर घटक पर मूल्यहास दावा किया है, इसलिए वह मशीन पर भुगतान किए गए ₹14,400 आई.जी.एस.टी. का आई.टी.सी. प्राप्त नहीं कर सकती।

वह या तो कर घटक पर मूल्यहास का दावा कर सकती है या ऐसे कर का आई.टी.सी. प्राप्त कर सकती है, लेकिन दोनों लाभ एक साथ नहीं ले सकती।

9. नहीं। स्वीकृत बैठने की क्षमता 13 व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) तक वाले व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटर वाहन पर आई.टी.सी. केवल तब लिया जा सकता है जब करदाता यात्री परिवहन के व्यवसाय में हो, या ऐसे मोटर वाहनों को चलाने के प्रशिक्षण की सेवाएँ प्रदान कर रहा हो, या ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति के व्यवसाय में हो। इसके अतिरिक्त, माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहनों पर भी आई.टी.सी. लिया जा सकता है।
10. आई.टी.सी. केवल उसी हद तक अस्वीकार किया जाता है, जितना कि वह गैर-व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई आपूर्ति या कर योग्य और शून्य-रेट की गई आपूर्ति के अलावा अन्य आपूर्ति से संबंधित हो। प्राधिकृत गतिविधियों के लिए एस.ई.जेड. इकाइयों को की गई आपूर्ति आई.जी.एस.टी. अधिनियम की भाग 16(1) के संदर्भ में शून्य-रेट आपूर्ति है। अतः, एस.ई.जेड. में इकाई को प्राधिकृत गतिविधियों के लिए की गई आपूर्ति में प्रयुक्त बी.एम.टी. प्रा. लि. की आंतरिक आपूर्ति पर पूरा आई.टी.सी. अनुमत है।
11. ' ए.बी. ' 30 जुलाई की स्थिति में स्टॉक में रखे गए इनपुट और अर्ध-तय या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट तथा पूंजीगत वस्तुओं पर आई.टी.सी. प्राप्त करने के लिए पात्र है। पूंजीगत वस्तुओं पर आई.टी.सी. चालान की तिथि से प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए 5% घटाया जाएगा।
12. चूंकि बाबला एंटरप्राइजेज, जो कि एक अप्रवर्तित व्यक्ति है, द्वारा आपूर्ति किए जा रहे माल पर उपलब्ध छूट वापस ले ली जाती है, इसलिए यह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है, क्योंकि छूट वापस लिए जाने के दिन इसका कारोबार सीमा राशि को पार कर चुका था।
मान लेते हैं कि बाबला एंटरप्राइजेज 1 अक्टूबर से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करता है और ऐसा पंजीकरण प्राप्त कर लेता है, तो इसे उस दिनांक से ठीक पहले दिन स्टॉक में रखे गए इनपुट और अर्ध-तय या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट पर आई.टी.सी. प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिस दिन से यह कर भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाता है, अर्थात् 30 सितंबर [भाग 18(1)(क)]। इस मामले में पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किया गया इनपुट टैक्स आई.टी.सी. के रूप में उपलब्ध नहीं होगा।
13. यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई छूट प्राप्त आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति बन जाती है, तो भाग 18(1)(घ) के प्रावधान लागू होते हैं। दिए गए मामले में, चूंकि ममता ट्रेड लिंक पंजीकृत व्यक्ति है, इसलिए भाग 18(1)(घ) लागू होगा।

भाग 18(1)(घ) के अनुसार, ममता ट्रेड लिंक उस दिनांक से ठीक पहले दिन स्टॉक में रखे गए इनपुट और अर्ध-तय या तैयार माल में सम्मिलित इनपुट, जो ऐसी छूट प्राप्त आपूर्ति से संबंधित हों, आई.टी.सी. प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

साथ ही, ऐसी पूंजीगत वस्तुओं पर, जो विशेष रूप से ऐसी छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए प्रयुक्त हों, उस दिनांक से ठीक पहले दिन, जिस दिन से यह आपूर्ति कर योग्य बन जाती है, अर्थात् 30 सितंबर, आई.टी.सी.प्राप्त करने का अधिकार होगा। पूंजीगत वस्तुओं पर आई.टी.सी. चालान की तिथि से प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए 5% घटाया जाएगा।

14. जुलाई माह के लिए हर्षगीत प्रा. लि. द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला आई.टी.सी.का गणना:

विवरण	आई.टी.सी. (₹)
कच्चा माल [आई.टी.सी. उपलब्ध नहीं क्योंकि जुलाई में कच्चा माल प्राप्त नहीं हुआ]	शून्य
कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्लब की सदस्यता (किसी भी कानून के तहत प्रदान करना अनिवार्य नहीं) [भाग 17(5) के तहत अवरुद्ध क्रेडिट]	शून्य
इनपुट्स 5 किशतों में प्राप्त किए जाने हैं, जिनमें से तीसरी किशत महीने के दौरान प्राप्त हुई [किशतों में प्राप्त माल के मामले में, आई.टी.सी. केवल अंतिम किशत प्राप्त होने पर ही लिया जा सकता है]	शून्य
कच्चे माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त ट्रक [माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहनों पर भुगतान किए गए जी.एस.टी. का आई.टी.सी. बिना किसी शर्त के अनुमत है]	40,000
पूंजीगत वस्तुएँ [आई.टी.सी. केवल वैध दस्तावेज़ (चालान) के आधार पर ही लिया जा सकता है। अतः जिन वस्तुओं पर चालान उपलब्ध नहीं है, जैसे ₹80,000 का जी.एस.टी., उसका आई.टी.सी. उपलब्ध नहीं है।]	70,000
कुल आई.टी.सी.	1,10,000

15. अक्टूबर माह के लिए जामकु लि. द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला आईटीसी का गणना:

विवरण	आईटीसी(₹)
ग्राहकों को बेचे जाने वाले कच्चे मसालों की खरीद [हर पंजीकृत व्यक्ति उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का पात्र है, जो उसे किसी भी माल की आपूर्ति पर लगाया गया हो और जिसे उसके व्यवसाय के संचालन या उसके आगे बढ़ाने में उपयोग किया गया हो या उपयोग करने का इरादा हो।]	50,000
निदेशकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए कच्चे मसालों की खरीद [व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग किए गए माल पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है।]	शून्य
निर्माण प्रक्रिया में उपयोग के लिए खरीदी गई इलेक्ट्रिक मशीनरी [हर पंजीकृत व्यक्ति उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का पात्र है, जो उसे किसी भी माल की आपूर्ति पर लगाया गया हो और जिसे उसके व्यवसाय के संचालन या उसके आगे बढ़ाने में उपयोग किया गया हो या उपयोग करने का इरादा हो।]	25,000
कर्मचारियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहन [13 व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) तक की बैठने की क्षमता वाले व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटर वाहनों पर आईटीसी अवरुद्ध है, सिवाय इसके कि वे वाहन (i) ऐसी मोटर वाहनों की आगे कर योग्य आपूर्ति करने के लिए, (ii) यात्री परिवहन की कर योग्य आपूर्ति करने के लिए, या (iii) ऐसे मोटर वाहन चलाने के प्रशिक्षण की कर योग्य आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाएँ। दिए गए मामले में, चूंकि प्रदायक मसालों के व्यवसाय में है, कर्मचारियों के परिवहन के लिए प्रयुक्त 6 सीटर मोटर वाहन पर आईटीसी अवरुद्ध है।]	शून्य
स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए ठेकेदार को भुगतान [जब किसी अचल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर) के निर्माण के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, तो आईटीसी उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि यह वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेवा की आगे आपूर्ति के लिए इनपुट सेवा हो।]	शून्य
कुल आईटीसी	75,000

16. मार्च माह के लिए दीना लि. द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला आईटीसी का गणना:

विवरण	आईटीसी (₹)
<p>कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले लोहा की खरीद [जब इनपुट्स किशतों में प्राप्त होते हैं, तो आईटीसी केवल अंतिम किशत प्राप्त होने पर ही लिया जा सकता है। अतः, चूंकि अंतिम किशत अप्रैल में प्राप्त होती है, इसलिए मार्च में आई.टी.सी. नहीं लिया जा सकता।]</p>	शून्य
<p>कंपनी के डीलरों को सीधे डिलीवर किए गए एक्सेसरीज़ की खरीद [जब कोई पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर माल किसी अन्य व्यक्ति को दस्तावेज़ के माध्यम से या अन्यथा, माल के परिवहन से पहले या दौरान, स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त माना जाता है। अतः, जिस पंजीकृत व्यक्ति के आदेश/निर्देश पर माल तीसरे व्यक्ति को डिलीवर किया गया है, उस पर आईटीसी उपलब्ध है।]</p>	90,000
<p>कर्मचारियों के परिवहन के लिए बस [13 व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) से अधिक बैठने की क्षमता वाले व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटर वाहनों पर आईटीसी किसी भी प्रयोजन के लिए अनुमति है।]</p>	1,97,000
<p>कंपनी के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कार (बैठने की क्षमता 5) पर ली गई सामान्य बीमा [13 व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) तक की बैठने की क्षमता वाले व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटर वाहनों पर आईटीसी अवरुद्ध है, सिवाय इसके कि वे वाहन (i) ऐसी मोटर वाहनों की आगे कर योग्य आपूर्ति करने के लिए, (ii) यात्री परिवहन की कर योग्य आपूर्ति करने के लिए, या (iii) ऐसे मोटर वाहन चलाने के प्रशिक्षण की कर योग्य आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाएँ। इसके अतिरिक्त, ऐसे अयोग्य मोटर वाहनों से संबंधित सामान्य बीमा सेवाओं पर आईटीसी अनुमत नहीं है। चूंकि कार किसी भी पात्र प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की गई है, इसलिए इसका आईटीसी अवरुद्ध है और अतः उस कार पर ली गई सामान्य बीमा पर भी आईटीसी अवरुद्ध है।]</p>	शून्य
कुल आईटीसी	2,87,000

17. हर पंजीकृत व्यक्ति उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का पात्र है, जो किसी भी माल और/या सेवा की आपूर्ति पर लगाया गया हो और जिसका उपयोग उसके व्यवसाय के संचालन या उसके आगे बढ़ाने में किया गया हो या करने का इरादा हो, यदि, अन्य बातों के साथ, उसके पास प्रदायक द्वारा जारी किया गया कर चालान हो और उसने उक्त माल और/या सेवाएँ प्राप्त कर ली हों।

पंजीकृत व्यक्ति को प्रदायक को माल और/या सेवाओं का मूल्य तथा कर चालान जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर कर का भुगतान करना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लिया गया संबंधित क्रेडिट उसे उलटने या ब्याज सहित भुगतान करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, एक बार जब प्राप्तकर्ता माल और/या सेवाओं का मूल्य तथा कर का भुगतान कर देता है, तो वह बिना किसी समय सीमा के पुनः क्रेडिट का लाभ लेने का पात्र होगा। यदि आंशिक भुगतान किया गया है, तो अनुपातित क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी।

दिए गए मामले में, हाई-फाई इन्फोटेक (प्रा.) लि. अक्टूबर माह में सेवा प्रदान करता है और कम्फर्टेबल (प्रा.) लि. नवंबर माह में चालान प्राप्त करता है। अतः, उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत और यह मानते हुए कि आई.टी.सी. प्राप्त करने के लिए अन्य सभी आवश्यक शर्तें पूरी हो चुकी हैं, कम्फर्टेबल (पी) लि. नवंबर माह के लिए 1,98,000 (11,00,000 × 18%) का आई.टी.सी. प्राप्त करेगा, जब उसे हाई-फाई इन्फोटेक (पी) लि. द्वारा जारी चालान प्राप्त होगा।

हालांकि, अनुपातित आई.टी.सी. राशि 1,33,932 [(12,98,000 - 4,20,000)/118] × 18] को कम्फर्टेबल (पी) लि. के मई माह के जी.एस.टी.आर.-3बी में उलट दिया जाएगा और इसके साथ संबंधित ब्याज का भुगतान करना होगा, क्योंकि चालान जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर, अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष की 4 मई तक, पूर्ण भुगतान नहीं किया गया। हालांकि, कम्फर्टेबल (पी) लि. अगले वित्तीय वर्ष के जुलाई माह में हाई-फाई इन्फोटेक (पी) लि. को शेष भुगतान करने पर इस 1,33,932 के आई.टी.सी. को पुनः प्राप्त कर सकता है।

18. आई.टी.सी. प्राप्त करने की शर्तों में से एक यह है कि आई.टी.सी. लेने वाला पंजीकृत व्यक्ति माल और/या सेवाएँ प्राप्त कर चुका हो। हालांकि, जब किसी पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर माल दस्तावेज़ के माध्यम से या अन्यथा, माल के परिवहन से पहले या दौरान, किसी तीसरे व्यक्ति को डिलीवर किया जाता है, तो उसे ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त माना जाता है। अतः, आई.टी.सी. उस पंजीकृत व्यक्ति को उपलब्ध है, जिसके निर्देश पर माल तीसरे व्यक्ति को डिलीवर किया गया हो, भले ही पंजीकृत व्यक्ति स्वयं माल प्राप्त न करे।

दिए गए मामले में, एम/एस. करिम एंड ब्रदर्स (प्रदायक) ने एम/एस. दिवान एंड संस (पंजीकृत व्यक्ति) के निर्देश पर शुभकामना सेल्स (तीसरा व्यक्ति) को माल डिलीवर किया है। अतः, उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत,

250 किग्रा प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स @ 50 प्रति किग्रा की खरीद पर एम/एस. दिवान एंड संस (पंजीकृत व्यक्ति) को 2,250 (50 × 250 × 18%) का आईटीसी उपलब्ध होगा।

अतिरिक्त रूप से, इस मामले में दिवान एंड संस (प्रदायक) और शुभकामना सेल्स (प्राप्तकर्ता) के बीच एक अन्य आपूर्ति भी है। अतः, शुभकामना सेल्स 250 किग्रा प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स @ 60 प्रति किग्रा की खरीद पर 2,700 (60 × 250 × 18%) का आईटीसी प्राप्त कर सकता है।


19. बाहरी आपूर्ति पर देय जी.एस.टी. का गणना

क्र. सं.	विवरण	सी.जी.एस.टी. @ 9% (₹)	एस.जी.एस.टी. @ 9% (₹)	आई.जी.एस.टी. @ 18% (₹)	कुल (₹)
(i)	राज्य-आंतरिक माल आपूर्ति ₹ 10,00,000 के लिए	90,000	<u>90,000</u>		1,80,000
(ii)	राज्य-आंतरराष्ट्रीय माल आपूर्ति ₹ 8,00,000 के लिए			1,44,000	1,44,000
कुल देय जी.एस.टी.					3,24,000
कुल आई.टी.सी. की गणना					
विवरण	सी.जी.एस.टी. @ 9% (₹)	एस.जी.एस.टी. @ 9% (₹)	आई.जी.एस.टी. @ 18% (₹)		
प्रारंभिक आई.टी.सी.	57,000	60,000	1,40,000		
जोड़ें: ₹ 3,00,000 मूल्य के राज्य-आंतरिक माल की खरीद पर आई.टी.सी.	27,000	27,000	शून्य		
जोड़ें: ₹ 2,50,000 मूल्य के राज्य-आंतरराष्ट्रीय माल की खरीद पर आई.टी.सी.	शून्य	शून्य	45,000		
कुल आई.टी.सी.	84,000	87,000	1,85,000		

इलेक्ट्रॉनिक नकद लेखे से देय न्यूनतम जी.एस.टी. की गणना

विवरण	सी.जी.एस.टी. @ 9% (₹)	एस.जी.एस.टी. @ 9% (₹)	आई.जी.एस.टी. @ 18% (₹)	कुल (₹)
देय जी.एस.टी.	90,000	90,000	1,44,000	3,24,000
घटाएँ: आई.टी.सी. [पहले आई.जी.एस.टी. का आई.टी.सी. पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए - पहले आई.जी.एस.टी. देयता के खिलाफ और फिर सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी. देयताओं के खिलाफ किसी भी क्रम में ताकि नकद प्रवाह न्यूनतम हो सके]	(22,000) आई.जी.एस.टी.	(19,000) आई.जी.एस.टी.	(1,44,000) आई.जी.एस.टी.	1,85,000
सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. आउटपुट टैक्स देयता के खिलाफ क्रमशः उपयोग किया गया आई.टी.सी.	(68,000) सी.जी.एस.टी.	(71,000) एस.जी.एस.टी.		1,39,000
न्यूनतम नकद में देय जी.एस.टी.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अगले माह के लिए स्थानांतरित करने योग्य आई.टी.सी. शेष	16,000	16,000	शून्य	32,000

नोट: उपरोक्त गणना आई.जी.एस.टी. (₹ 41,000 - आई.जी.एस.टी. देयता के खिलाफ समायोजन के बाद) के आई.टी.सी. को सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. देयताओं के खिलाफ समायोजित कर न्यूनतम नकद में देय जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. तथा एस.जी.एस.टी. के आई.टी.सी. को समान रूप से अगले माह के लिए स्थानांतरित करने के कई तरीकों में से एक है। उदाहरण के लिए, ₹ 10,000 का आई.जी.एस.टी. एस.जी.एस.टी. देयता के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है और ₹ 31,000 का आई.जी.एस.टी. सी.जी.एस.टी. देयता के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है। इस स्थिति में भी, कुल देय जी.एस.टी. शून्य होगा, लेकिन अगले माह के लिए स्थानांतरित करने योग्य सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. का आई.टी.सी. क्रमशः ₹ 25,000 और ₹ 7,000 (कुल ₹ 32,000) होगा। हालांकि, यदि पूरे ₹ 41,000 का आई.टी.सी. केवल सी.जी.एस.टी. देयता के खिलाफ समायोजित किया जाता है, तो नकद में ₹ 3,000 का एस.जी.एस.टी. देय होगा, जिससे नकद प्रवाह बढ़ जाएगा। अतः न्यूनतम देय जी.एस.टी. की गणना के लिए ऐसा समायोजन अनुशंसित नहीं होगा।



आड़ा

3. प्लांट एवं मशीनरी - कारखाना परिसर के बाहर बिछाई गई पाइपलाइनें।
6. पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट कर ऋण चालान की तिथि से प्रत्येक तिमाही या वर्ष के भाग के लिए ___% की दर से घटाया जाता है, उस स्थिति में जब कोई पंजीकृत व्यक्ति संयोजन कर का भुगतान करना बंद कर देता है और नियमित योजना में स्थानांतरित हो जाता है।
7. कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी चालान के संबंध में इनपुट कर ऋण लेने का हकदार नहीं है, यदि वह चालान जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है उसके अंत के पश्चात 30 सितम्बर के बाद या संबंधित वार्षिक विवरणी दाखिल करने के बाद (जो भी पहले हो), लिया जाए।
10. संयोजन करदाता से किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त आपूर्तियों पर इनपुट कर ऋण अवरुद्ध होता है।
11. ग्राहकों को विक्रय हेतु किसी कार डीलर द्वारा खरीदी गई कारों पर इनपुट कर ऋण _____ है।

13. यदि किसी चालान के अंतर्गत वस्तियाँ किशतों में प्राप्त होती हैं, तो पंजीकृत व्यक्ति को प्रत्येक _____ किशत प्राप्त होने पर कर ऋण लेने का अधिकार होता है।

नीचे की ओर

1. पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए, सेवाएँ वास्तव में _____ होनी चाहिए।
2. आप प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2बी में प्रतिबिंबित और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके जीएसटीआर-1एस में प्रस्तुत चालानों पर _____ प्रतिशत इनपुट कर ऋण दावा किया जा सकता है।
4. मोटर वाहन में उन _____ प्रयोजन के वाहन शामिल नहीं हैं जो कारखाने में उपयोग के लिए हैं।
5. अपने कारखाने के बाहर बिछाई जाने वाली पाइपलाइनों के निर्माण के लिए किसी विनिर्माण कंपनी द्वारा प्राप्त वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेवाओं पर इनपुट कर ऋण _____ है।
8. यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति की करयोग्य आपूर्ति का मूल्य किसी माह में ₹ _____ लाख से अधिक हो जाता है, तो उसे अपनी उत्पादन कर देयता का कम से कम 1% नकद में भुगतान करना होगा।
9. इनपुट कर ऋण _____ वस्तुओं के मामले में उपलब्ध नहीं है।
12. किसी भी _____ घटक पर या तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत मूल्यहास दावा किया जा सकता है या जीएसटी कानून के तहत इनपुट कर ऋण लिया जा सकता है।

इस अध्याय के क्विज़ टाइम और क्रॉसवर्ड पज़ल में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों तक पहुँचने के लिए निम्नलिखित क्यूआर कोड स्कैन करें।



कोड स्कैन करें

वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से किए गए संशोधन

वित्त अधिनियम, 2025, 29.03.2025 से लागू हो गया है। हालांकि, वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से सीजीएसटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम में किए गए अधिकांश संशोधन केवल उस तिथि से प्रभावी होंगे, जिसे केंद्रीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करेगी। ऐसी कोई अधिसूचना 30.04.2025 तक जारी नहीं की गई है। अतः मई 2026, सितंबर 2026 और/या जनवरी 2027 परीक्षाओं के लिए इन संशोधनों की प्रासंगिकता या अप्रासंगिकता की जानकारी आईसीएआई द्वारा घोषणा के माध्यम से दी जाएगी।

नीचे दी गई तालिका में भाग 17(5)(घ) के मौजूदा प्रावधानों की तुलना वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा किए गए संशोधित प्रावधानों के साथ की गई है।

एक बार आईसीएआई द्वारा परीक्षा(ओं) के लिए इन संशोधनों की प्रासंगिकता की घोषणा कर दी जाने के बाद, छात्रों को अध्याय में चर्चा किए गए संबंधित प्रावधानों के स्थान पर यहां दिए गए संशोधित प्रावधानों को पढ़ना चाहिए।

भाग संख्या	मौजूदा प्रावधान	वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा संशोधित प्रावधान	टिप्पणियाँ
17(5)(घ)	करयोग्य व्यक्ति द्वारा अपने खाते पर अचल संपत्ति के निर्माण के लिए प्राप्त वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों (प्लांट या मशीनरी को छोड़कर), जिसमें ऐसी वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों का उपयोग व्यवसाय के संचालन या उसकी उन्नति के क्रम में किया जाता है।	करयोग्य व्यक्ति द्वारा अपने खाते पर अचल संपत्ति के निर्माण के लिए प्राप्त वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों (प्लांट और मशीनरी को छोड़कर), जिसमें ऐसी वस्तुएँ या सेवाएँ या दोनों का उपयोग व्यवसाय के संचालन या उसकी उन्नति के क्रम में किया जाता है। व्याख्या 1 – खंड (ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह अभिव्यक्ति	भाग 17 की खंड (5) की उप-भाग (घ) में संशोधन किया जा रहा है ताकि "प्लांट या मशीनरी" शब्दों के स्थान पर "प्लांट और मशीनरी" शब्दों का प्रयोग किया जा सके।

	<p>व्याख्या – खंड (ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिए, "निर्माण" में पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, अतिरिक्त निर्माण या परिवर्तन, या मरम्मत शामिल है, परंतु यह सब उक्त अचल संपत्ति में पूंजीकरण की सीमा तक ही लागू होगा।</p>	<p>"निर्माण" में पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, अतिरिक्त निर्माण या परिवर्तन, या मरम्मत शामिल है, परंतु यह सब उस अचल संपत्ति में पूंजीकरण की सीमा तक ही लागू होगा।</p> <p>व्याख्या 2 – खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, आदेश या न्यायादेश में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, "प्लांट या मशीनरी" का कोई भी उल्लेख "प्लांट और मशीनरी" के उल्लेख के रूप में व्याख्यायित किया जाएगा और हमेशा इसे इसी रूप में माना जाएगा।</p>	
--	--	---	--

